कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 63 अंक : 5 पृष्ठ : 52 मार्च 2017 मूल्य : ₹ 22

बजट 2017-18

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास और बजट 2017-18

- वर्ष 2017–18 का एजेंडा हैः टेक इंडिया (टीईसी) यानी 'ट्रांसफार्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया'।
- ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 187223 करोड़ रुपये।
- वर्ष 2017–18 के लिए कृषि संबंधी ऋण 10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर नियत।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया। इसके लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- नाबार्ड में पहले से ही स्थापित दीर्घावधिक सिंचाई निधि में 100 प्रतिशत तक अभिवर्धन; 5000 करोड़ रुपये की आरंभिक निधि के साथ प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि की भी स्थापना।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार कर विस्तार 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक; प्रत्येक राष्ट्रीय कृषि बाजार को 75 लाख रुपये तक सहायता।
- अनुबंध खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने हेतु राज्यों को परिचालित किया जाएगा।
- 2000 करोड़ रुपये की राशि के साथ नाबार्ड में डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि की स्थापना।
- वर्ष 2019 गांधीजी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना तथा 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाना।
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।
- 2017–18 में मनरेगा के लिए आवंटन अब तक का सर्वाधिक 48000 करोड़ रुपये होगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की गति का लक्ष्य 2017–18 में 133 किलोमीटर प्रतिदिन तय किया गया है।
- मनरेगा के अंतर्गत कृषि से जुड़े 5 लाख के लक्ष्य की तुलना में 10 लाख तालाबों का कार्य मार्च 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2017–18 में खेती से जुड़े 5 लाख और तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा।
- 1 मई 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवंटन वर्ष 2017–18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जोकि वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान से 8000 करोड़ रुपये अधिक है। बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान पूरे करने का लक्ष्य।
- ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 42 प्रतिशत (अक्तूबर 2014 तक) से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई। खुले में शौच जाने से मुक्त गांवों को अब पाइपयुक्त जलापूर्ति के लिए प्राथमिकता।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के उपमिशन के हिस्से के रूप में अगले चार वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28 हजार से अधिक निवासों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने का प्रस्ताव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में नए कौशल विकसित करने के लिए 2022 तक 5 लाख लोगों को राजगीरी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थानों में मानव संसाधन विकास हेतु मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम 2017–18 के दौरान शुरू किया जाएगा।
- देशभर में 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार; 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र देश भर में स्थापित किए जाएंगे।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 जिलों में स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन के जरिए सार्वभौमिक पहुंच, लिंग समानता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु नवाचार निधि शुरू की जाएगी।
- 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रो में 500 करोड़ रुपये के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत उस प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6000 रुपये अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।
- सस्ते आवासों को अवसंरचना का दर्जा दिया जाएगा।
- प्राकृतिक आपदाओं से गरीब परिवारों के घरों एवं घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई हेतु प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आपदा बीमा योजना शुरू की जाएगी जिसमें एक लाख के कवर हेतु मात्र 100 रुपये का वार्षिक प्रीमियम रखा जाएगा।
- भारत नेट के अंतर्गत 2017–18 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर पर हाईस्पीड ब्राडबैंड कनेक्टिविटी डेढ़ लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीमेडिसन, शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए 'डिजी गांव' पहल शुरू की जाएगी।
- सरकार ने 2017 तक कालाज़ार और फिलारियासिस, 2018 तक कोढ़, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक समाप्त करने के लक्ष्य की कार्ययोजना भी तैयार की है। ❑

कुरुक्षेत्र

वर्ष : 63· मासिक अंक : 5· पृष्ठ : 52 · फाल्गुन–चैत्र 1938· मार्च 2017

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
वरिष्ठ संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03
दूरभाष : 011–24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना
व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011–24367453
ई–मेल : pdjucir@gmail.com
आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
मनोज कुमार

मूल्य एक प्रति	:	22 रुपये
विशेषांक	:	30 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	230 रुपये
द्विवार्षिक	:	430 रुपये
त्रिवार्षिक	:	610 रुपये

इस अंक में

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने वाला बजट — भुवन भास्कर — 5

बजट से खुलेगा ग्रामीण विकास का रास्ता — सतीश सिंह — 10

बुनियादी ढांचे पर टिका है ग्रामीण भारत का विकास — नितिन प्रधान — 13

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी योजनाएं — चंद्रभान यादव — 16

सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण पर बल — जगन्नाथ कश्यप — 19

गांवों में रोजगार और कौशल विकास — शिशिर सिन्हा — 23

डिजिटल गांव से लिखी जा रही विकास की इबारत — आलोक कुमार — 27

समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास — प्रमोद जोशी — 30

बजट में सौर ऊर्जा पर जोर — ऋषभ कृष्ण सक्सेना — 34

बढ़ते स्वास्थ्य बजट में ग्रामीण भारत की भागीदारी — आशुतोष कुमार सिंह — 38

पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता को प्राथमिकता — धीप्रज्ञ द्विवेदी — 41

पंचायतों की गरीबी मुक्ति में कितना सहायक बजट — अरुण तिवारी — 45

स्वच्छता पखवाड़ा लेखा-जोखा — --- — 48

स्वच्छता सेनानी

सफलता की कहानी-सरपंचों की जुबानी — गोपेन्द्र नाथ भट्ट — 49

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48–53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 से संपर्क करें। दूरभाष : 011–24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

संपादकीय

यूं तो पिछले बजट की तरह वित्तवर्ष 2017–18 का बजट भी ग्रामीण विकास, खेती और किसान कल्याण पर केंद्रित है लेकिन अगर इसे देश के 'भविष्य का बजट' कहा जाए तो अतिशयेक्ति नहीं होगी। चूंकि इसमें देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन हेतु ठोस कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार से निपटने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भी सख्त कदम उठाए गए हैं। बजट 2017–18 आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ने वाला एक संतुलित बजट है। इस बजट में देश में व्याप्त असामनताओं को दूर करने के गंभीर प्रयास दिखते हैं। साथ ही किसानों, गरीबों और महिलाओं के सशक्तीकरण और कल्याण की दिशा में भी अत्यंत प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

किसानों की दशा सुधारने के लिए उन्हें अधिक और निर्बाध कर्ज उपलब्ध कराने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, तकनीक का बेहतर तरीके से उपयोग करने के उपाय भी किए जाएंगे। सरकार सहकारिता के क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए जिला सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग से जोड़ेगी। मनरेगा को भी अधिक बजट आवंटित करके ग्रामीण विकास में नई जान फूंकने की कोशिश की गई है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।

इस बजट में शिक्षा की क्वालिटी सुधारने की दिशा में विशेष कदम उठाए गए हैं। स्कूलों में बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, यह जानने के लिए एक एनुअल लर्निंग आउटकम सिस्टम तैयार करने का प्रस्ताव है। एक तरफ रचनात्मकता को बढ़ावा देने के प्रयास हैं तो दूसरी तरफ विज्ञान शिक्षा पर भी ज्यादा ध्यान देने की बात कही गई है। साथ ही, ऑनलाईन कोर्स को बढ़ावा देने के लिए 'स्वयं' प्लेटफार्म शुरू करने और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है।

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बजट में युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का विस्तार 600 और जिलों तक किया जाएगा। कौशल को बढ़ावा देने के लिए 'संकल्प' कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी किया गया है। इसके लिए 4000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 'संकल्प' के जरिए साढ़े तीन करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वे जॉब मार्केट के लिए फिट बन सकें। देशभर में 100 इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे।

गांवों तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है। सरकार ने ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ने की महत्वाकांक्षी भारत नेट परियोजना के लिए 2017–18 के बजट में 10 हजार करोड़ रुपये बढ़ाए हैं। इस योजना के तहत डेढ़ लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर के जरिए हाईस्पीड ब्रॉडबैंड किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए टेलीमेडिसिन, शिक्षा और कौशल उपलब्ध कराने के लिए 'डिजी गांव' पहल की जाएगी। पहले चरण में 5 हजार गांवों को 'डिजी गांव' बनाए जाने की योजना है।

स्वास्थ्य के बजट में भी 25 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। झारखंड एवं गुजरात में दो नए एम्स की घोषणा के साथ वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य का ब्यौरा देने के लिए स्मार्टकार्ड योजना का भी ऐलान किया गया है। पांच बीमारियों के उन्मूलन के लिए सरकार ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। 2017 तक देश में कालाज़ार और फाइलेरिया समाप्त करने की योजना है। 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त किया जाएगा।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अंधेरे में रहे रहे 18 हजार गांवों में से 11 हजार गांवों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बाकी बचे गांवों में मई 2018 तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन के लिए बजट आवंटन 1 लाख 35 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख 45 हजार 339 करोड़ कर दिया गया है। 2019 तक बेघरों को रियायती दरों पर घर दिलाने के लिए एक करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। सस्ते मकानों को अवसंरचना का दर्जा दिया गया है ताकि अधिक से अधिक बिल्डर इस ओर आकर्षित हो।

मनरेगा आवंटन में वृद्धि, डीबीटी के तहत सब्सिडी बढ़ाने और निम्न मध्य आय वर्ग पर आयकर का बोझ घटाने से ग्रामीण क्षेत्रों में फायदा होगा। छोटे और मझोले कारोबारियों को आयकर में 5 फीसदी की छूट से भी लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

मिट्टी परीक्षण के लिए बड़ी संख्या में प्रयोगशालाएं बनाने, 10 लाख करोड़ का कृषि ऋण, लंबी अवधि के लिए सिंचाई फंड, नए सूक्ष्म सिंचाई कोष का गठन, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने जैसे कदमों से किसानों को फायदा होगा। बजट में 2019 तक 50 हजार पंचायतों से गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य तय किया गया है।

उम्मीद है कि इस बजट से आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और समाज के हर वर्ग को फायदा होगा। स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार हेतु उठाए गए कदमों से उम्मीद है कि बेहतर भारत और समाज के निर्माण में मदद मिलेगी।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत करने वाला बजट

–भुवन भास्कर

ऐसा कम ही होता है कि देश के कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले लोग आम बजट को लेकर उत्साहित हो। लेकिन इस साल का आम बजट 2017–18 इस मामले में एक अपवाद था। सरकार ने पिछले बजट में किसानों और खेती को लेकर जिस तरह कई नई योजनाओं की घोषणा की थी और जिस तरह मूलभूत कृषिगत ढांचे को सुधारने के लिए कई पहल की थी, उसके मद्देनजर यह माना जा रहा था कि वर्ष 2017–18 के बजट में ग्रामीण भारत केंद्रीय विषय होगा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो एक फरवरी, 2017 को पेश बजट वाकई कई मायनों में खेती–किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाला साबित होगा।

फंड आवंटनः एक नजर में

सरकार ने इस बजट में ग्रामीण विकास पर 1,87,223 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। इसमें से 58663 करोड़ रुपये कृषि और संबंधित गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे, जोकि चालू वित्तवर्ष के संशोधित बजटीय प्रावधान से 5842 करोड़ रुपये अधिक हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास पर 1,28,560 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। चालू वित्तवर्ष के संशोधित बजटीय प्रावधान से यह 13,613 करोड़ रुपये ज्यादा हैं। यह साफतौर पर सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण भारत के महत्व को इंगित करता है और 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में संसाधनों की प्रचुरता सुनिश्चित करने के लिहाज से एक अहम कदम है।

किसानों को कृषि कार्यों के लिए दिए जाने वाले कर्ज का प्रावधान भी चालू वित्तवर्ष के 9 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। पिछले आम बजट में पहली बार सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत स्थायी निर्माण कार्य कराने पर जोर दिया था और इसके तहत मार्च 2017 तक 5 लाख तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा था। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में बताया कि मार्च 2017 तक मनरेगा के तहत 5 लाख की जगह कुल 10 लाख तालाब तैयार कर लिए जाएंगे और अगले साल भर में एक बार फिर 5 लाख तालाब खोदने का लक्ष्य रखा गया। वित्तमंत्री ने यह भी बताया कि 2017–18 के लिए मनरेगा के तहत 48,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है, जो अब तक इस योजना के तहत किया गया सबसे ज्यादा आवंटन है। चालू साल के लिए यह प्रावधान 38,500 करोड़ रुपये था। हालांकि संशोधित बजट में इसे बढ़ाकर 47499 करोड़ रुपये कर दिया गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो बजट में केवल 501 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है।

इन तमाम खर्चों और अच्छे मानसून के आधार पर सरकार यह उम्मीद कर रही है कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्तवर्ष में 4.1 प्रतिशत तक रहने की उम्मीद है। जाहिर है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने का लक्ष्य तब तक हासिल नहीं किया जा सकता, जब तक कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार इत्यादि जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों की वृद्धि दर में पर्याप्त तेजी नहीं आती। अर्थशास्त्र के मूलभूत नियम के मुताबिक वृद्धि

दर का सीधा संबंध पूंजी निर्माण (कैपिटल फॉर्मेशन) पर निवेश की दर से है और इसीलिए सरकारी लक्ष्यों की गंभीरता को परखने के लिए खर्च की प्रकृति को समझना आवश्यक है। आइए, देखते हैं कि इस लिहाज से 2017–18 के बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कितने बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।

बुनियादी ढांचा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव की शुरुआत उसके बुनियादी ढांचे से ही हो सकती है। इस लिहाज से मोदी सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद से प्रयास शुरू कर दिए थे और सड़क व बिजली को इस विकास के केंद्र में रखा गया था। इस फोकस के परिणाम भी दिखने शुरू हो गए हैं। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016–17 के दौरान प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, जोकि 2011–14 के दौरान औसतन महज 73 किलोमीटर था। अगले वित्तवर्ष में इस फोकस को बनाए रखते हुए सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह 2012–13 में 8,885 करोड़ रुपये और 2013–14 के दौरान खर्च किए गए 9,806 करोड़ रुपये के दुगुना से भी ज्यादा है। इसी तरह, केंद्र सरकार 100 प्रतिशत गांवों के विद्युतीकरण का अपना लक्ष्य पूरा करने के लिहाज से भी लगातार आगे बढ़ रही है और 2017–18 के बजट में श्री जेटली ने भरोसा दिलाया है कि 1 मई 2018 तक यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2017–18 के दौरान 29043 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जोकि पिछले वित्तवर्ष से 8107 करोड़ रुपये अधिक हैं। सरकार 2019 तक कच्चे घरों में रहने वाले और बेघर करीब एक करोड़ लोगों को आवास मुहैया कराना चाहती है। साफ है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मूलभूत क्षेत्रों की वृद्धि दर में तेजी लाना चाहती है।

कृषि : कृषि को लेकर 2017–18 के आम बजट में कई घोषणाएं और प्रावधान किए गए हैं। इनमें कुछ तो सब्सिडी और जोखिम प्रबंधन के मद में हैं और कुछ निवेश के मद में। जहां सिंचाई, किसानों के लिए मार्केटिंग लिंकेज का निर्माण इत्यादि पूंजीगत निवेश की श्रेणी में डाले जा सकते हैं, वहीं खाद सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी, फसल बीमा योजना इत्यादि को सब्सिडी और जोखिम प्रबंधन की श्रेणी में रखा जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इन मदों पर हुई घोषणाओं को समझना जरूरी है।

सिंचाई: चालू वित्तवर्ष में कृषि क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत तक वृद्धि की उम्मीद है। इस सफलता के पीछे एक बड़ा कारण 2016 में मानसून का सामान्य रहना है, जिसके कारण जहां बुवाई के रकबे में 3.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, वहीं उत्पादकता भी 0.6 प्रतिशत बढ़ी। इससे सरकार को कृषि वृद्धि दर सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई के महत्व का भी पता चल गया है और इसलिए इस बजट में इससे संबंधित कुछ अहम घोषणाएं की गई हैं। पिछले बजट में नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए बनाए गए लंबी अवधि के 20,000 करोड़ रुपये के कोष (लांग टर्म इरीगेशन फंड) में 20,000 करोड़ रुपये और जोड़ कर इसे 40,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इक्रियर में कृषि के लिए इंफोसिस चेयर प्रोफेसर डॉ. अशोक गुलाटी के मुताबिक नाबार्ड इस साल मार्च अंत तक इस कोष में 15,000 करोड़ रुपये जुटा लेने के लिए आश्वस्त है और उनके मुताबिक नाबार्ड ने पहले ही 36,000 करोड़ रुपये की योजनाओं की स्वीकृति दे दी है, जिसके लिए अब बाजार से फंड जुटाए जाने की जरूरत है। लॉंग टर्म इरीगेश फंड के अलावा 'हर बूंद से ज्यादा फसल' लेने के प्रधानमंत्री के नारे को जमीन पर उतारने के लिए 5000 करोड़ रुपये से नाबार्ड के तहत एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष की भी शुरुआत की गई है। इसमें यदि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटित 7,160 करोड़ रुपये भी जोड़ दिए जाएं, देशभर में सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर के खाते में कुल 52,000 करोड़ रुपये से ज्यादा आए हैं, जो सरकार के नेक इरादे दर्शाता है। इसे सही दिशा में किया जा रहा एक बेहतरीन प्रयास माना जाना चाहिए, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुखद बदलाव की नींव रखेगा।

मार्केटिंग: ई–नाम सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत 14 अप्रैल, 2016 को हुई। बजट भाषण में श्री जेटली ने एक बार फिर ई–नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत मार्च 2018 तक 585 मंडियों को शामिल करने के लक्ष्य को दोहराया। सरकार ई–नाम के जरिए पूरे देश के कृषि बाजारों को इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर लाना चाहती है और एक बार इसके पूरी तरह लागू हो जाने के बाद देश के किसी भी एक हिस्से में बैठा कारोबारी देश के किसी भी दूसरे हिस्से की किसी मंडी में आने वाली फसल के बारे में कम्प्यूटर के एक क्लिक से सारी जानकारी हासिल कर सकेगा और वही से बोलियां भी लगा सकेगा। यही नहीं, इन मंडियों में नापतोल के लिए पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का इस्तेमाल होगा, किसानों को उसी दिन शाम तक सीधे खाते में भुगतान हासिल हो सकेगा और बोलियों की कीमतें पूरी तरह पारदर्शी होंगी। कर्नाटक में इसी अवधारणा के साथ पिछले दो सालों से ज्यादा से एकीकृत बाजार प्लेटफॉर्म (यूएमपी) सफलतापूर्वक काम कर रहा है, जिसे कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स और कर्नाटक सरकार बराबर भागीदारी वाली एक कंपनी राष्ट्रीय ई–मार्केट्स लिमिटेड (आरईएमएस) के जरिए चला रहे हैं।

लेकिन इस मॉडल के पूरी तरह सफल होने के लिए फसलों के मानकीकरण (स्टैंडर्डाइजेशन) पर काम करने की जरूरत है ताकि व्यापारी फसल को बिना देखे या बिना छुए उसकी गुणवत्ता के बारे में आश्वस्त हो सकें। इसके लिए देश भर में फसलों की क्लीनिंग और ग्रेडिंग का बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने पहली बार इस महत्वपूर्ण मसले पर ध्यान

बजट 2017–18 का एजेंडा

- वर्ष 2017–18 का एजेंडा हैः टेक इंडिया यानी 'ट्रांसफार्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया'।

टेक इंडिया के उद्देश्य

- शासन की गुणवत्ता और जनता के जीवन–स्तर को बदलना।
- समाज के विभिन्न वर्गों विशेषतः युवकों और कमजोर तबकों में ऊर्जा का संचार करना और उन्हें उनकी क्षमता से परिचित कराना; और
- देश में भ्रष्टाचार, काला धन और अपारदर्शी राजनीतिक फंडिंग की बुराइयों को समाप्त करना।

इस व्यापक एजेंडे को चलाने के दस विशिष्ट स्तंभ

- किसान : 5 वर्षों में आय दुगुना करने के लिए प्रतिबद्ध;
- ग्रामीण आबादी : रोजगार और बुनियादी अवसंरचना मुहैया कराना;
- युवा : शिक्षा, कौशल और रोजगार के जरिए ऊर्जा का संचार करना;
- गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग : सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और किफायती आवास की प्रणाली को मजबूत करना;
- अवसंरचना : कारगरता, उत्पादकता और जीवन–स्तर के लिए;
- वित्तीय क्षेत्र : मजबूत संस्थाओं के द्वारा विकास और स्थिरता;
- डिजिटल अर्थव्यवस्था : गति, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता हेतु;
- सार्वजनिक सेवा : जनता की भागीदारी के जरिए कारगर शासन और कारगर सेवा सुपुर्दगी;
- विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन : संसाधनों का इष्टतम नियोजन सुनिश्चित करना और राजकोषीय स्थिरता बनाए रखना;
- कर प्रशासन : ईमानदारों का आदर करना।

देते हुए 2017–18 के आम बजट में ई–नाम में शामिल हर मंडी को 75 लाख रुपये देने की घोषणा की है, जिससे किसानों को क्लीनिंग और ग्रेडिंग की सुविधा दी जाएगी। यह एक स्वागत योग्य घोषणा है लेकिन जिन 250 से ज्यादा मंडियों को अब तक ई–नाम में जोड़ा जा चुका है, वहां भी अब तक इसका पूरा फायदा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। नई मंडियों को जोड़ने के साथ ही सरकार को जुड़ चुकी मंडियों की व्यवस्था को दुरुस्त करने और किसानों को उनका पूरा फायदा मिले, यह सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।

बीमाः पिछले साल घोषित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल रकबे का लक्ष्य चालू साल के 30 प्रतिशत से बढ़ाते हुए 2017–18 में 40 प्रतिशत और 2018–19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बजट में 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जोकि लक्ष्य के हिसाब से काफी कम है। बजट 2016–17 के दौरान इस मद में 5,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन कुल खर्च 13,500 करोड़ रुपये होने की संभावना है। इक्रियर के डॉ. गुलाटी का दावा है कि इस साल भी यह रकम 25 से 33 प्रतिशत कम पड़ सकती है। जाहिर है इसके लिए साल के दौरान सरकार को और रकम का प्रावधान करना पड़ेगा, जिसके बिना यह लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल है। जिस देश में 65 प्रतिशत खेत सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हो, और लू, ओला, आंधी जैसी प्राकृतिक आपदाएं तलवार के समान हमेशा किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेरने को तैयार रहती हो, वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा मसला क्रियान्वयन का है।

किसानों के लिए चलने वाली किसी बीमा योजना की सफलता को मापने के दो मानदंड हैं। पहला, योजना के तहत शामिल किसान और खेतों का रकबा और दूसरा, नुकसान के दावे का निपटारा। पीएमएफबीवाई से पहले किसानों की फसल राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) के तहत कवर होती थी। यदि खरीफ 2015 मौसम के आंकड़े देखें, तो उस वक्त एनएआईएस और एमएनएआईएस में शामिल किसानों की कुल संख्या 3.09 करोड़ थी और इसमें 3.39 करोड़ हेक्टेयर जमीन कवर हुई थी। यह हाल के कई वर्षों के दौरान सबसे कम बारिश वाला साल था, जिसमें पूरा देश सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। फिर फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ हुई। पीआईबी द्वारा 7 दिसंबर, 2016 को जारी रिलीज के मुताबिक खरीफ 2016 मौसम के दौरान इसमें शामिल होने वाले किसानों की संख्या पिछले मौसम के मुकाबले 18.5 प्रतिशत बढ़कर 3.66 करोड़ तक पहुंच गई जो देश में मौजूद कुल किसानों की एक–चौथाई से ज्यादा (26.5 प्रतिशत) है। इसी तरह 2016 खरीफ के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत कवर जमीन का रकबा भी 15 प्रतिशत बढ़कर 3.88 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण सफलता सरकार को मिली वह थी सुनिश्चित बीमित राशि के मोर्चे पर जहां 104 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की गई और यह रकम साल भर पहले के 69,307 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,41,339 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इन आंकड़ों के लिहाज से माना जा सकता है कि अपने पहले ही साल में पीएमएफबीवाई ने कवरेज के लिहाज से जबर्दस्त सफलता हासिल की है। लेकिन क्रियान्वयन के मोर्चे पर तस्वीर इतनी गुलाबी नहीं है।

वैसे तो पिछले साल सामान्य मानसून के कारण कमोबेश खेती की स्थिति ठीक ही रही, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और असम जैसे कुछ राज्यों में बाढ़ और अतिवृष्टि के कारण किसानों

को फसल का नुकसान हुआ। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस (इक्रियर) की रिपोर्ट के मुताबिक इन मामलों में दावे के निपटारे के लिए खुली आंखों से नुकसान का जायजा लिया गया, जबकि ड्रोन की मदद ली जा सकती थी। पीएमएफबीवाई के दिशानिर्देशों में साफ है कि फील्ड अधिकारियों को स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना है, जो नहीं हुआ। राज्यों को बीमा कंपनियों के खाते में प्रीमियम की रकम का अग्रिम भुगतान करना है, लेकिन वह भी नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में किसानों को दावे के भुगतान में आंशिक सफलता ही मिली है। पहले साल के इस अनुभव से केंद्र सरकार सीख लेकर अपेक्षित बदलाव करे, तभी बजटीय प्रावधानों और आंकड़ों को ज़मीनी सफलता में बदला जा सकेगा।

कृषि कर्जः खेती–किसानी के कामों में किसानों को छोटी अवधि की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले फार्म क्रेडिट यानी कृषि कर्ज के मद में 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले साल यह 9 लाख करोड़ रुपये था। यह हालांकि सरकार की ओर से किसानों को सूदखोर महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए किया जाने वाला एक अहम प्रयास है, लेकिन इसके साथ ही यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कृषि कर्ज के लिए लगातार बढ़ते फंड के बावजूद न तो किसानों के हालात में बहुत बदलाव आ रहा है और न ही कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्याओं में। इसका एक प्रमुख कारण सरकारी–तंत्र तक बड़ी संख्या में किसानों की पहुंच न हो पाना है। पिछले कई वर्षों से यह संख्या 65 प्रतिशत तक सीमित है, हालांकि जनधन योजना की अपार सफलता के बाद इसमें अब बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। लेकिन इसके लिए आंकड़ों का इंतजार करना होगा। बहरहाल, होता यह है कि सरकार की ओर से आवंटित सब्सिडी वाले कृषि कर्ज (ब्याज दरों में छूट के तौर पर 15,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी) का एक बड़ा हिस्सा बड़े और समृद्ध किसान समेट लेते हैं और फिर उसे उसी बैंक में जमा कर 6 से 8 प्रतिशत का ब्याज हासिल करते हैं। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि इस विशाल फंड का इस्तेमाल सच में जरूरतमंद कर सकें। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने 2017–18 के बजट में सभी 63000 सक्रिय प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटीज को जिला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों के कोर बैंकिंग से जोड़ने के लिए नाबार्ड की मदद करने की बात कही है और इसके लिए 3 साल की अवधि तय की है, जिस दौरान इस पर 1900 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह कदम छोटे और सीमांत किसानों के लिए कर्ज हासिल करने को आसान बनाएगा।

इस अहम बुनियादी कदम के साथ ही सरकार को अब लंबी अवधि के ऐसे कर्ज की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे पूंजी निर्माण हो सके क्योंकि ऊपर बताए गए कृषि कर्ज के 80 प्रतिशत का इस्तेमाल छोटी अवधि के फसल कर्ज के तौर पर होता है। वस्तुतः अगर सरकार इस कर्ज का ज्यादा उत्पादक इस्तेमाल करना चाहती है, तो उसे यह व्यवस्था करनी होगी कि किसान ट्रैक्टर और दूसरी परिसंपत्तियों की खरीद में इसका इस्तेमाल कर सके, जिससे उसकी आमदनी बढ़ाने में ढांचागत प्रगति होगी।

सब्सिडी और निवेशः यह एक ऐसा मसला है, जिस पर 2017–18 के बजट ने बहुत हद तक निराश किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आधार नंबर से जोड़ कर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की पैरवी करते रहे हैं, उसे देखते हुए उम्मीद थी कि 70,000 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी और 1,45,339 लाख करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी के वितरण में सरकार किसी बड़े सुधार का रास्ता दिखाएगी। लेकिन इस मसले पर सरकार ने बजट में पूरी तरह चुप्पी साधी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिहाज से यह एक अहम सुधार है, जिसके लिए शायद अब अगले बजट तक इंतजार करना होगा।

वहीं दूसरी ओर सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सब मिशन ऑन एग्री एक्सटेंशन और कृषि शोध एवं शिक्षा पर कुल मिलाकर 38,903 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया है। दूसरे शब्दों में, आमदनी बढ़ाने के वास्तविक तरीके यानी पूंजी निर्माण के लिए निवेश पर सरकार का खर्च सब्सिडी के मुकाबले में पांचवें हिस्से से भी कम है। यह अनुपात किसानों की आमदनी दोगुनी करने के सरकार के लक्ष्य को मुश्किल बनाएगा।

अन्य गतिविधियां

वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बजट में कृषि के साथ कृषि संबंधित अन्य गतिविधियों के लिए कुल 58,663 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इन अन्य गतिविधियों में गौ–पालन, मछली पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि गतिविधियां शामिल हैं। बजट 2017–18 में सरकार ने नाबार्ड के तहत 2000 करोड़ रुपये के शुरुआती फंड के साथ डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है, जिसमें अगले 3 साल में 6000 करोड़ रुपये और डाले जाएंगे। सरकार ने हालांकि साफ नहीं किया है कि इस फंड का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा, लेकिन यदि इसे केवल प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर ही खर्च किया जाए तो परिणाम चमत्कारिक हो सकते हैं। दूध की प्रोसेसिंग के लिए 10 लाख लीटर क्षमता का प्लांट लगाने में 100 करोड़ रुपये की लागत आती है यानी 2000 करोड़ रुपये में सरकार दूध की प्रोसेसिंग के 20 प्लांट लगा सकती है। जब एक बार प्लांट लगता है तो उसके कारण आसपास के क्षेत्रों में मांग पैदा होती है और फिर किसान उसके लिहाज से गायों की संख्या भी बढ़ाता है। तो इस तरह किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से यह एक बहुत अहम घोषणा है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे।

रोजगारः ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार ने इस बजट में कई बुनियादी बातों का समावेश

प्रधानमंत्री का बजट 2017-18 पर वक्तव्य

- ये एक ऐसा बजट है जो गरीब को सशक्त बनाएगा, बुनियादी ढांचे को और भी मजबूत बनाएगा, गति भी देगा हर किसी की उम्मीदों को अवसर देगा, अर्थतंत्र को एक नई ताकत देगा, नई मजबूती देगा और विकास को बहुत तेजी देगा।
- ये बजट कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचा इन सभी क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नये अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वह इस बजट में साफ–साफ नजर आती है।
- सरकार का लक्ष्य 2022 तक हमारे देश के किसानों की आय दुगुनी करने का इरादा है, नीतियां एवं योजनाएं उसी प्रकार से तय की गई हैं, बजट में सबसे ज्यादा जोर इस बार भी किसान, गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित पर केंद्रित किया है।
- कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वॉटरशेड डेवलपमेंट, स्वच्छ भारत मिशन ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो गांव की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव भी लाएंगे और ग्रामीण जीवन जीने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।
- बजट में रोजगार बढ़ाने पर भी भरपूर जोर दिया गया है। नौकरी के लिए नए–नए अवसर पैदा करने वाले सेक्टर इलैक्ट्रॉनिक मनुफेक्चरिंग, टेक्सटाइल की इंटीग्रेटिड प्लानिंग उसको विशेष राशि दी गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, संगठित क्षेत्र में लाने के लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं।
- कौशल विकास बजट में काफी बढोतरी की गई है। ये हमारे देश के युवाओं को ध्यान में रख करके और जो डेमोग्रेफिक डिविडेंड है इसका भरपूर फायदा भारत को मिलेगा उस पर ध्यान केंद्रित किया है।
- 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना' के लिए भी अब तक जितना हुआ है किसी भी वर्ष में न हुआ हो, इतना रिकार्ड आवंटन किया गया है।
- बजट में महिला कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं के लिए बजट में वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा के लिए भी बजट में काफी बढोत्तरी की गई है।
- ये बजट ग्रामीण के साथ–साथ शहरी इलाकों में भी आवास क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने वाला है।
- ये बजट हमारा देश, जो बदल रहा है उसको और अधिक तेजी से बदलने का प्रयास, एक प्रकार से हमारे स्वप्नों से जुड़ा हुआ, हमारे संकल्पों से जुड़ा हुआ, ये बजट एक प्रकार से हमारा भविष्य है, हमारी नई पीढ़ी का भविष्य है, हमारे किसान का भविष्य है।

किया है। प्रशिक्षण और कौशल विकास ऐसा ही एक क्षेत्र है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एटीयूएफएस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और एएसपीआईआरई सहित मनरेगा से इतर रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए 11,640 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जोकि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 10,682 से 958 करोड़ रुपये ज्यादा है। बजट पेश किए जाने के महज हफ्ते भर बाद 8 फरवरी को कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी दे दी। इस अभियान के तहत सरकार मार्च 2019 तक करीब 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों में डिजिटल साक्षरता का प्रसार करना चाहती है जिसके लिए 2,351.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दुनिया के इस सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 25 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2017–18 के दौरान 2.75 करोड़ और 2018–19 के दौरान 3 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे सरकार का एक अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम माना जाना चाहिए क्योंकि शिक्षा पर 71वें एनएसएसओ सर्वे के मुताबिक 2014 में 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से महज 6 प्रतिशत घरों में कम्प्यूटर थे। यानी माना जा सकता है बचे घरों में से ज्यादातर डिजिटली निरक्षर हैं।

इसके अलावा अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख लोगों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिए जाने की भी घोषणा की। इन घोषणाओं के अलावा वित्तमंत्री की ओर से 50 करोड़ सालाना टर्नओवर तक की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में 5 प्रतिशत की कटौती कर उसे 25 प्रतिशत तक लाने की घोषणा भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी क्योंकि देश में मौजूद लगभग 96 प्रतिशत कंपनियां इसी दायरे में आती हैं और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जाहिर तौर पर टैक्स में कमी से उनके लिए निवेश बढ़ाने के अवसर बढ़ेंगे और इससे और रोजगार पैदा होंगे। इन सब घोषणाओं और योजनाओं से सरकार को उम्मीद है कि 2019 तक एक करोड़ परिवार गरीबी के दलदल से बाहर आ जाएंगे और इसके साथ ही 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक व कृषि मामलों के विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : bhaskarbhuwan@gmail.com

बजट से खुलेगा ग्रामीण विकास का रास्ता

–सतीश सिंह

सरकार अच्छी तरह से जानती है बिना ग्रामीण क्षेत्र का विकास किए वह देश में समावेशी विकास को सुनिश्चित नहीं कर सकती है। लिहाजा, सरकार ने पिछले साल के बजट की तरह ही इस साल भी ग्रामीणों एवं उनसे संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। देखा जाए तो इस साल के बजट का लक्ष्य कृषि व ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों जैसे किसान, खेतिहर मजदूर, असंगठित क्षेत्र के मजदूर आदि के जीवन में खुशी के रंग भरना है।

ग्रामीण विकास के लिए राजकोषीय प्रबंधन

बजट में सबका ख्याल रखने के बावजूद राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार ने अपनी स्थिति को मजबूत रखने की कोशिश की है। राजस्व के सीमित स्रोत होने के बावजूद जरूरी सरकारी खर्चों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है। वित्तवर्ष 2017–18 में 21.47 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय का प्रावधान किया गया है, और पूंजीगत व्यय पिछले वित्तवर्ष की तुलना में 25.4 प्रतिशत अधिक है।

वित्तमंत्री ने अप्रत्यक्ष कर का बजट अनुमान 8.8 प्रतिशत रखा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर के संग्रह में वित्तवर्ष 2015 से कमी आ रही है। कस्टम ड्यूटी में वित्तवर्ष 2017–18 में 12.9 प्रतिशत की दर से इजाफा होने की बात कही गई है, जोकि राशि में 2.45 लाख करोड़ रुपये है। गौरतलब है कि यह वित्तवर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान 3.2 प्रतिशत से अधिक है। सेवा कर की प्राप्ति की वृद्धि 11.1 प्रतिशत की दर से होने का अनुमान लगाया गया है, जो राशि में 2.75 लाख करोड़ रुपये है। उम्मीद है कि अप्रत्यक्ष कर नीति से "मेक इन इंडिया" की संकल्पना को बल मिलेगा। साथ ही, बजट में 3 लाख रुपये तक सालाना आय अर्जित करने वालों के लिए टैक्स दर को 10 से 5 प्रतिशत करने से आगे आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयकर की जद में आने की प्रबल संभावना है। वित्तवर्ष 2017–18 में सरकार ने राजस्व घाटा 1.9 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान लगाया है, जो राशि में 5.46 लाख करोड़ रुपये है और पिछले बजट से 12,258 करोड़ रुपये अधिक है।

आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का मानना है कि राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत का लक्ष्य आशावादी नहीं, बल्कि व्यावहारिक है। इस बात की पूरी संभावना है कि राजस्व प्राप्ति लक्ष्य से अधिक रहेगी, क्योंकि बजट में विमुद्रीकरण से हुए अप्रत्याशित लाभ को शामिल नहीं किया गया है। अगले वित्तवर्ष में उन लोगों से भी कर संग्रहण किया जाएगा, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) का लाभ उठाने में विफल रहेंगे। बड़ी संख्या में ऐसे बैंक खाते हैं, जिनमें विमुद्रीकरण के दौरान जमा की गई राशि लोगों द्वारा जमा किए गए आयकर रिटर्न से मेल नहीं खाती हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से अप्रत्यक्ष कर में 8.8 प्रतिशत तक की वृद्धि होने का अनुमान है। विनिवेश से भी सरकार को अच्छी आय की उम्मीद है। राजस्व में पर्याप्त इजाफा होने से सरकार इसका इस्तेमाल ग्रामीण क्षेत्र के विकास में कर सकेगी।

खेती–किसानी में बेहतरी

किसानों की सुध लेते हुए वित्तवर्ष 2017–18 में फसल बीमा योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, ताकि अधिक से अधिक किसान फसल बीमा योजना से लाभान्वित हों। भारत में खेती–किसानी भगवान भरोसे की जाती है। कभी ज्यादा बारिश तो कभी अकाल यहां की जलवायु की विशेषता है। सिंचाई के समुचित साधन नहीं होने से किसानों की मानसून पर निर्भरता बढ़ जाती है। ऐसे में फसल के नुकसान की भरपाई का एकमात्र

गांव और बजट

- केंद्रीय बजट, राज्यों के बजटों, स्वसहायता समूहों आदि के लिए बैंक लिंकेज से ग्रामीण गरीबों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की जाएगी।
- वर्ष 2019 गांधीजी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना तथा 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाना।
- मनरेगा के अंतर्गत कृषि से जुड़े 5 लाख के लक्ष्य की तुलना में, मार्च, 2017 तक खेती से जुड़े 10 लाख तालाबों का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2017–18 के दौरान, खेती से जुड़े और 5 लाख तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा। इस उपाय से ग्राम पंचायतों को जल की कमी से काफी राहत मिलेगी।
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।
- 2017–18 में मनरेगा के लिए आवंटन अब तक का सर्वाधिक 48,000 करोड़ रुपये होगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों के निर्माण की गति 2016–17 में बढ़कर 133 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई जबकि 2011–14 के दौरान यह औसतन 73 किलोमीटर थी।
- सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित ब्लॉकों में 100 व्यक्तियों से अधिक की आबादी वाले निवासों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जोड़ने का कार्य आरंभ किया है। ऐसे सभी निवासों को 2019 तक कवर किए जाने की संभावना है और 2017–18 में राज्य के हिस्से सहित पीएमजीएसवाई के लिए आवंटन 27,000 करोड़ रुपये है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीणों के लिए आवंटन को बजट अनुमान 2016–17 के 15,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017–18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया है जिसमें बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 1 मई, 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग पर हम निरंतर अग्रसर हैं।
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और ऋण समर्थन स्कीमों के लिए आवंटन तीन गुना बढ़ा दिया गया है।
- ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज अक्तूबर 2014 की 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गई है। खुले में शौच जाने से मुक्त गांवों को अब पाइपयुक्त जलापूर्ति के लिए प्राथमिकता दी जा रही है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के उपमिशन के हिस्से के रूप में, अगले चार वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28,000 से अधिक निवासों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में नए कौशल विकसित करने के लिए 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजगीरी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थानों में 'मानव संसाधन विकास के परिणामों' के लिए मानव संसाधन सुधार' नामक कार्यक्रम 2017–18 के दौरन प्रारंभ किया जाएगा।
- ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 187223 करोड़ रुपये है।

विकल्प फसल बीमा ही है। इधर, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी सूदखोरों का जाल बिछा हुआ है, जिसका मूल कारण कर्ज की सरल एवं सुगम उपलब्धता का नहीं होना है। सूदखोर किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज देते हैं। इसलिए किसान इनसे कर्ज लेना बेहतर समझते हैं। किसान बैंकों से कर्ज लेने से परहेज नहीं करें, इसके लिए सरकार ने बैंकों को किसानों को दिए जाने वाले कर्ज की शर्तों को आसान बनाने के लिए कहा है। साथ ही बजट में कृषि ऋण वितरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया गया है।

बुनियादी बदलाव लाने की कोशिश

ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सामाजिक क्षेत्र की 28 प्रमुख योजनाओं पर वित्तवर्ष 2017–18 में 2.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो वित्तवर्ष 2016–17 के 2.46 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 12.14 प्रतिशत अधिक हैं। सामाजिक मोर्चे पर स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए सर्वाधिक रकम आवंटित की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन में 23 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की गई है, जो वित्तवर्ष 2016–17 में 39688 करोड़ रुपये के संशोधित आकलन के मुकाबले बढ़कर वित्तवर्ष 2017–18 में 48853 करोड़ रुपये हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए स्वास्थ्य मद के कुल आवंटन में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के घटक को कम रखा गया है। सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त रकम देने का भी प्रस्ताव किया है। इसके अलावा बजट में बुजुर्गों के लिए आधार से जुड़े स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की गई है। स्मार्ट कार्ड में बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़े विवरण दर्ज होंगे, जिससे उन्हें आसानी से स्वास्थ्य सुविधा मिल सकेगी।

ग्रामीण आवास के लक्ष्य को पूरा करना

ग्रामीणों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी आवासीय योजना मद में कुल मिलाकर 8107 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 2019 तक 1.3 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने की योजना बनाई है, जिसमें 33 लाख पहले की योजना के अधूरे आवास हैं, जिन्हें पूरा किया जाना है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि को भी 15 से बढ़ाकर 20 साल कर दिया है। इस संदर्भ में यदि पूरक आवंटन नहीं आता है तो संभव है कि 2017–18 के बजट का इस्तेमाल बकाया के भुगतान के लिए किया जाए। वित्तवर्ष 2016–17 में ग्रामीण आवास के लिए बजट अनुमान 15000 करोड़ रुपये था। वित्तवर्ष 2017–18 का आवंटन, जो 23,000 करोड़ रुपये है, वित्तवर्ष 2016–17 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में काफी अधिक है। इस मद में राशि कम पड़ने पर सरकार की योजना राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 10,000 करोड़ रुपये उधार लेने की है, ताकि ग्रामीण आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा सके।

गौरतलब है कि सस्ते आवास को बढ़ावा देने के लिए कई रियायतों की घोषणा की गई है। वित्तमंत्री ने सस्ते आवास को बुनियादी ढांचे का दर्जा देने का प्रस्ताव किया है, जिससे कंपनियों या बिल्डर को सस्ते ऋण हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्तमंत्री ने कहा है कि सस्ती आवासीय परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए मुनाफा आधारित आयकर छूट के तहत 30 और 60 वर्ग मीटर के बिल्डअप एरिया के बजाय कारपेट एरिया पर गौर किया जाएगा। आवासीय क्षेत्र को आधारभूत संरचना का दर्जा मिलने से प्रारंभिक फायदा तो बिल्डर को मिलेगा, लेकिन कालांतर में आम आदमी इससे लाभान्वित होंगे। इस सुविधा का कुछ फायदा शहर से सटे ग्रामीण इलाके के लोगों को भी मिल सकेगा।

प्रधानमंत्री सड़क योजना

सड़कों सहित सभी प्रकार के परिवहन ढ़ांचे (रेल और जहाजरानी सहित) के लिए 2017–18 में 2,41,387 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रतिदिन 133 किलोमीटर सड़क निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। जबकि वित्तवर्ष 2011–14 के दौरान औसत सड़क निर्माण 73 किलोमीटर प्रतिदिन था। अगले वित्तवर्ष के लिए भी इस मद में 19,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार जानती है, सड़क विकास की धमनियां होती हैं। सड़कों का जाल बिछाकर ही ग्रामीण क्षेत्र की विकास दर में इजाफा किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य 2021 की बजाय 2019 तक 65,000 पात्र बस्तियों को सड़कों का निर्माण करने, जोड़ने का है।

वित्तवर्ष 2017–18 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। एक तरफ किसानों की बेहतरी के लिए बजट में विशेष प्रावधान जैसे, फसल बीमा के लिए बढ़ी हुई राशि, अधिक कृषि ऋण का प्रावधान आदि किए गए तो दूसरी तरफ गांवों में जो आयकर देते हैं, उन्हें कर में रियायत दी गई है। ग्रामीण एवं कस्बाई इलाके के छोटे उद्यमियों को कॉर्पोरेट कर में राहत दी गई है। कमजोर तबके को सस्ते मकान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवास क्षेत्र को आधारभूत संरचना का दर्जा दिया गया है। आर्थिक एवं पिछड़े लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए मनरेगा के तहत 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सड़क व बिजली की मद में एक बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है।

देखा जाए तो विमुद्रीकरण से सबसे ज्यादा प्रभावित किसान, छोटे कारोबारी, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार थे। इसलिए बजट में इनकी परेशानी को कम करने की कोशिश की गई है। बावजूद इसके अर्थव्यवस्था पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत के स्तर पर रखने की बात कही गई है। इतना ही नहीं वित्तवर्ष 2018–19 में इसे कम करके 3 प्रतिशत के स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, व्यय में केवल 6.5 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया, जिसकी बड़ी पूर्ति व्यक्तिगत आयकर से करने का प्रस्ताव है। एक अनुमान के मुताबिक इसमें वित्तवर्ष 2017–18 में 25 प्रतिशत तक का इजाफा होने की उम्मीद है।

सरकार ने विमुद्रीकरण के दौरान डिजिटल लेनदेन की जो मुहिम शुरू की थी, उसे बजट में भी जारी रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटली लेनदेन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए सरकार ने भीम एप के इस्तेमाल को ग्रामीण क्षेत्र में लोकप्रिय बनाने के लिए व्यक्तियों के लिए रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैशबैक स्कीम की शुरुआत की है, जिसका फायदा ग्रामीणों को मिल सकेगा, ऐसी उम्मीद है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए बजट में स्टार्टअप को कर छूट का प्रोत्साहन दिया गया है। सूक्ष्म एवं मझोले उद्यम, जिनका 50 करोड़ रुपये तक का टर्न ओवर है, को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए उनकी आयकर देयता को घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है, जिससे 96 प्रतिशत छोटे कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण की राशि को बढ़ाकर 2.4 लाख करोड़ करने से भी ऐसे कारोबारियों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की आशा है। कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा बजट में किए गए इन उपायों से निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र का विकास एवं किसानों, खेतीहर मजदूरों एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बेहतरी को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(लेखक वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र, मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में मुख्य प्रबंधक के तौर पर कार्यरत हैं और विगत सात वर्षों से मुख्य रूप से आर्थिक व बैंकिंग विषयों पर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं।)

ई–मेल : satish5249@gmail.com

बुनियादी ढांचे पर टिका है ग्रामीण भारत का विकास

–नितिन प्रधान

गांवों का विकास मूलतः तीन बातों पर टिका है। पहला, सिंचाई की उचित व्यवस्था; दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल; तीसरा, गांवों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। ग्रामीण भारत के विकास को ध्यान में रखकर ही सरकार ने वित्तवर्ष 2017–18 के आम बजट में ऐसे कई प्रावधान किए हैं जो न केवल गांवों में इन तीनों मूलभूत सुविधाओं का विकास करेंगे बल्कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे का स्तर भी ऊपर ले जाएंगे।

किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ही पूरे देश को विकास के रास्ते पर ले जाता है। भारत जैसे विशाल देश को अगर विकास की रफ्तार तेज करनी है तो उसके लिए भी आवश्यक है कि गांवों का ढांचा मजबूत हो। जिस देश की दो तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में बसती हो और पूरे देश का पालन–पोषण करने की जिम्मेदारी जिन गांवों पर हो उनके लिए यह बेहद आवश्यक है कि वहां मूलभूत आवश्यकताएं पर्याप्त हो। खेती के लिए आवश्यक ढांचा, कृषि उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था, गांवों में बिजली की उपलब्धता आदि ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना कोई भी देश अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेज विकास की कल्पना नहीं कर सकता।

हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर आंकड़ों के जरिए सामने आई है उसके मुताबिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तिमाही विकास दर चार फीसदी से कुछ ऊपर रही है। माना जाता है कि अगर खेती के बढ़ने की रफ्तार यही बनी रहे तो पूरे देश की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को आसानी से आठ फीसदी से ऊपर ले जाया जा सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि भारत में कभी भी कृषि क्षेत्र की विकास दर चार फीसदी के आंकड़े पर लगातार बनी नहीं रह सकी। चूंकि कृषि विकास दर आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती है इसलिए साल–दर–साल इसमें उतार–चढ़ाव बना रहता है। बहुत कम ऐसा हो पाया है जब खेती की विकास दर चार फीसदी पर बनी रह सकी हो। साल 2015–16 में तो यह एक फीसदी से कुछ अधिक पर ही सिमट कर रह गई थी। स्पष्ट है कि पूरे देश के विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण भारत को गति प्रदान की जाए।

अब सवाल यह उठता है कि ग्रामीण भारत की रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। गांवों का विकास मूलतः तीन बातों पर टिका है। पहला, सिंचाई की उचित व्यवस्था, ताकि खेती को मानसून पर निर्भर न रहना पड़े। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल, जिससे किसानों को बिना समय नष्ट किए अपनी पैदावार मंडियों और बाजारों तक पहुंचाने की सहूलियत हो और वे अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकें। तीसरा, गांवों में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता ताकि ग्रामीण भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास में संतुलन बना रह सके। सिंचाई की सुविधा होगी तो किसानों को खेती के लिए हर साल मानसून पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सड़के होंगी तो किसान मंडी तक पहुंच सकेगा और फसल खराब होने से पहले उसे बाजार में पहुंचा कर उचित दाम प्राप्त कर सकेगा।

खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ग्राम मजबूत होंगे तो राज्य मजबूत होंगे, राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। सरकार इसी अवधारणा पर ग्रामीण विकास की योजनाओं को लेकर आगे चल रही है। ग्रामीण भारत के विकास को ध्यान में रखकर ही सरकार ने वित्तवर्ष 2017–18 के आम बजट में ऐसे कई प्रावधान किए हैं जो न केवल गांवों में उपरोक्त तीनों मूलभूत सुविधाओं का

अवसंरचना और बजट

- टेक इंडिया एजेंडा का पांचवां घटक अवसंरचना है।
- रेल, सड़कें, पोत परिवहन सहित समूचे परिवहन क्षेत्र के लिए 2017–18 में 2,41,387 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 2017–18 के लिए रेलवे के कुल पूंजीगत और विकास संबंधी व्यय को 1,31,000 करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त 55,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- रेलवे चार प्रमुख क्षेत्रों पर अपना फोकस रखेगी– (i) यात्री सुरक्षा, (ii) पूंजीगत और विकास कार्य; (iii) स्वच्छता और (iv) वित्त और लेखा सुधार।
- यात्रियों की संरक्षा के लिए, 5 वर्ष की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये की राशि के साथ राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष सृजित किया जाएगा।
- ब्रॉडगेज लाइनों पर मानवरहित लेवल क्रॉसिंगों को 2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा। सुरक्षा तैयारी और अनुरक्षण व्यवहार को बेहतर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली जाएगी।
- अगले 3 वर्षों में, समग्र परिणाम में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसे विनिर्दिष्ट गलियारों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के माध्यम से किया जाएगा।
- 2017–18 में 3,500 किलोमीटर रेलवे लाइन शुरू होंगी। पर्यटन और तीर्थाटन के लिए समर्पित रेलगाड़ियां शुरू करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 2017–18 के दौरान कम से कम 25 स्टेशनों का चयन किए जाने की संभावना है।
- 500 स्टेशनों को लिफ्ट और एस्कलेटर देकर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया जाएगा।
- मध्यावधि में लगभग, 7,000 स्टेशनों को सौर ऊर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- एसएमएस आधारित क्लीन माई कोच सेवा शुरू की गई है।
- कोच संबंधी सभी शिकायतों और आवश्यकताओं को दर्ज करने के लिए एकल विंडो इंटरफेस 'कोचमित्र' शुरू किया जाएगा।
- 2019 तक, भारतीय रेल के सभी कोचों में बायो शौचालय लगाया जाएगा। लागत, सेवा की गुणवत्ता और परिवहन के अन्य रूपों से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा।
- कार्यान्वयन के नवपरिवर्तनकारी मॉडलों और वित्तपोषण के साथ–साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मानकीकरण एवं स्वदेशीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए नई मेट्रो रेल नीति की घोषणा की जाएगी। इससे युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- मौजूदा कानूनों को युक्ति संगत बनाकर नया मेट्रो रेल अधिनियम अधिनियमित किया जाएगा। इससे निर्माण और संचालन में बेहतर निज़ी भागीदारी और निवेश सुसाध्य होगा।
- सड़क सेक्टर में, राजमार्गों के लिए बजट आवंटन 2016–17 में 57,976 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017–18 में 64,900 करोड़ रुपये किया गया।
- तटीय क्षेत्रों को जोड़ने के लिए निर्माण और विकास हेतु 2,000 कि.मी. लंबी तटीय कनेक्टिविटी सड़कों को चुना गया है। पीएमजीएसवाई सहित सड़कों की कुल लंबाई 2014–15 से मौजूदा वर्ष तक 1,40,000 किलोमीटर है, जो पिछले तीन वर्षों की तुलना में काफी अधिक है।

विकास करेंगे बल्कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे का स्तर भी ऊपर ले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण भारत को जोड़ने वाली सड़कों के विकास की। सरकार इस काम के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के नाम से एक केंद्रपोषित योजना चलाती है। सरकार ने इस योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़कों के लक्ष्य की पूर्ति की अवधि को घटा दिया है। पहले सरकार इस लक्ष्य को मार्च 2022 तक पूरा करना चाहती थी। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि इसे मार्च 2019 तक ही प्राप्त कर लिया जाएगा। सरकार का इरादा देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने का है। सरकार का इस पर खासा जोर है इसीलिए वह इस लक्ष्य को 2019 तक प्राप्त कर लेना चाहती है। साल 2014 तक इस योजना के तहत सड़क बनाने की गति 73 किलोमीटर प्रतिदिन थी और वर्तमान इसे बढ़ाकर 133 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है।

ग्राम सड़क योजना के इस लक्ष्य की प्राप्ति सुगम हो, इसके लिए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अगले वित्त वर्ष के बजट में इस मद में 19000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हालांकि इस योजना के तहत बनने वाली सड़कों पर आने वाले खर्च का एक हिस्सा राज्य वहन करते हैं। लेकिन सरकार ने इस योजना के लिए बजटीय राशि में वृद्धि कर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है कि वह इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती। अगर केंद्र द्वारा दी जाने वाली बजटीय राशि में राज्यों के अंशदान को भी जोड़ दिया जाए तो साल 2017–18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए कुल 27000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध होगी।

इस राशि से सरकार का लक्ष्य इस अवधि में 48500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का है। यह योजना केवल गांवों का विकास ही नहीं कर रही, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के विकास में भी सहायक बनती है। इसलिए वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित 44 जिलों में अगले चार वर्ष तक 5411 किलोमीटर सडकों का निर्माण भी इसी योजना के तहत किया जाएगा। साथ ही इन जिलों में 126 पुलों का निर्माण भी होगा। इन कार्यों पर 11700 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। सरकार की स्पष्ट अवधारणा है कि विकास के जरिए ही मुख्यधारा से भटक कर नौजवानों को उग्रवाद के रास्ते पर जाने से रोका जा सकता है। और इन क्षेत्रों में विकास का मूल जरिया ये सड़कें ही बनेंगी।

ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गांवों का विद्युतीकरण। ग्रामीण विद्युतीकरण इस सरकार के लिए प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर चलायी जा रही दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बजट आवंटन को साल 2017–18 के लिए 44 फीसदी बढ़ाया गया है। पिछले साल इसके लिए 3350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसे अब बढ़ाकर 4814 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बजट के जरिए सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो पहली मई 2018 तक देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण का इरादा रखती है। यानी मई 2018 तक देश के सौ फीसदी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 121225 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। मौजूदा सरकार के सत्ता संभालने के वक्त 18452 गांव ऐसे बचे थे जिनमें अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। सरकार ने बीते दो साल में इनमें से 11931 गांवों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत विद्युतीकृत कर दिया है। शेष गांवों को सरकार मई 2018 तक विद्युतीकृत कर देगी।

ग्रामीण क्षेत्र का विकास पूरी तरह किसानों की कृषि आय पर निर्भर करता है। सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जरूरी है कि किसानों को खेती के लिए पर्याप्त सुविधाएं मिलें। सिंचाई की व्यवस्था इसमें सबसे अहम है। बिना सिंचाई के साधनों के किसानों की आय में बढ़ोतरी का विचार नहीं किया जा सकता। यह सही है कि किसानों को डेयरी, पशुपालन और बागवानी जैसे सहायक उद्योगों की तरफ आकर्षित कर उनके लिए अतिरिक्त आय के उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन किसानों की वास्तविक आय उनकी कृषि पैदावार पर ही निर्भर करती है। इसलिए जरूरी है कि इस आय को बढ़ाने के लिए किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके महत्व को समझते हुए ही वित्तमंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए सिंचाई के बजटीय आवंटन को बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपये किया है। इसी तरह वाटरशेड कृषि सिंचाई योजना के लिए भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बीते साल के 1700 करोड़ रुपये के आवंटन में 35 फीसदी वृद्धि कर उसे 2017–18 के लिए 2310 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह ग्रामीण भारत की एक बुनियादी जरूरत आवास है। इसके तहत केंद्र के स्तर पर चलायी जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए 2019 तक मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तवर्ष 2016–17 में इस योजना के लिए 15000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। साल 2017–18 के बजट में इस योजना के बजटीय आवंटन को 53 फीसदी बढ़ाकर 23000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। गांवों में पीने का साफ पानी मुहैया कराना भी केंद्र की प्राथमिकता पर है। लिहाजा अगले वित्तवर्ष के बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 6000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अगले वित्तवर्ष के बजट में इस बात के पर्याप्त उपाय किए गए हैं जिससे एक स्वस्थ, स्वच्छ और आर्थिक दृष्टि से मजबूत ग्रामीण भारत का विकास हो सके। इसके लिए आवश्यक तमाम बुनियादी ढांचे के विकास पर पूरा ध्यान दिया गया है। वित्तवर्ष 2017–18 के बजट में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर बजटीय आवंटन में बढ़ोतरी सरकार के इरादों को बयान करती है। 128560 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास का बजट इस बात का परिचायक है कि सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में ग्रामीण भारत को वास्तव में मजबूत आर्थिक भारत की रीढ़ के रूप में तैयार करने का है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। 25 साल का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का अनुभव है। आर्थिक और वित्तीय विषयों पर लिखते रहते हैं। वर्तमान में दैनिक जागरण में राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ हैं।)

ई–मेल : pradhannitin@gmail.com

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	—	530	1000	1400

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी योजनाएं

–चंद्रभान यादव

केंद्र सरकार की ओर से आम बजट में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी योजनाएं तैयार की गई हैं। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नौ हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे किसानों की फसल सुरक्षा का दायरा बढ़ जाएगा। इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का वर्ष 2016–17 के लिए संशोधित बजट प्रावधान 48072 करोड़ रुपये था जोकि वर्ष 2017–18 के लिए बढ़ाकर 51,026 करोड़ रुपये किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए भी बजट में अलग से प्रावधान किया गया है। सरकार की योजना इसके जरिए पूरे देश में सिंचाई की सुविधा मुहैया कराना है। इसके साथ ही एक सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित रखने के लिए हजारा कृषि मंडी को 75 लाख रुपये की मदद दी जएगी। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। कृषि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में माकूल इंतजाम किए गए हैं।

केंद्र सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि भारत के किसान आत्मनिर्भर बनें। किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमाएं। उनकी हर समस्या का त्वरित निस्तारण हो, इसका ध्यान भी बजट में रखा गया है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री सिंचाई योजना सहित विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों को संवारने की कोशिश की गई थी, जिसका नतीजा रहा कि कृषि विकास दर इस वर्ष बढ़कर 4.1 प्रतिशत होने की आशा है। यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि केंद्र सरकार की ओर से खेती और खेतिहरों के लिए किए गए प्रयास सार्थक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी आधार पर इस बार भी केंद्र सरकार की ओर से बजट में किसानों के लिए तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिसकी वजह से खेती और खेतिहरों को गति मिलेगी; किसानों की माली हालत में सुधार होगा; वे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।

बजट में किए गए प्रावधानों को देखें तो खेती–किसानी और ग्रामीणों की बेहतरी के सिलसिले को सरकार ने इस बार के बजट में भी बरकरार रखा है। अच्छी फसल के लिए किसानों को समय से पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसी के मद्देनजर कई कृषि योजनाओं और पशुपालन के लिए धनराशि बढ़ाई गई है, वहीं ग्रामीण आबादी का भी ध्यान रखा गया है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने इस बार के बजट में खेती के ऋण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पिछले साल इस मद में 9 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे। इस बार ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के मकसद से मनरेगा के लिए सबसे ज्यादा 48 हजार करोड़ रुपये देने का इंतजाम किया गया है। इसमें तालाब खुदाई को इस बार भी जोड़ा गया है, जो किसी न किसी रूप में खेती को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए साफतौर पर कहा कि जब देश के किसान खुशहाल होंगे, तो विकसित भारत का सपना अपने आप पूरा हो जाएगा। किसानों की खुशहाली से ही विकास के नए रास्ते खुलेंगे। इसकी छाप हमें बजट में भी साफतौर पर दिखाई पड़ रही है। बजट में किसानों की आय 5 वर्षों में दुगुनी करने की सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है। यह प्रतिबद्धता साबित करती है कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से गंभीर है। इस बजट में केंद्र सरकार ने श्वेत एवं नीली क्रांति को बढ़ावा देने का

संकल्प दोहराया है। सफेद एवं नीली क्रांति कृषि की पूरक हैं। किसान एक तरफ जहां खेती के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाएगा वहीं श्वेतक्रांति के जरिए दोहरा लाभ कमाएं। सरकार का मानना है कि खेत को उपजाऊ बनाने के लिए कंपोस्ट खाद की जरूरत पड़ती है। इससे जहां पर्यावरण प्रदूषण कम होगा वहीं दूसरी तरफ उपज में हानिकारक तत्वों का खात्मा होगा। श्वेतक्रांति को बढ़ावा देने से दूध का उत्पादन बढ़ेगा। इससे मानव बिरादरी की सेहत में सुधार होगा। पशुओं से मिलने वाले गोबर से खेत की सेहत सुधरेगी। एक तरह से यह खेती को टिकाऊ और गुणवत्तापरक बनाने का उपक्रम साबित होगा। बजट में दूसरी प्रतिबद्धता नीली क्रांति की है। इसके जरिए भी किसान अतिरिक्त लाभ ले सकें, ऐसी कोशिश की जा रही है। तालाबों से किसान सिंचाई के साथ–साथ मछली पालन कर अपनी आय को दुगुना कर सकेंगे। पिछले साल पांच लाख तालाब बनाए गए थे। इसके अलावा मनरेगा के जरिए किसानों को सौ दिन रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही गई है, यह भी अच्छा कदम है। 'वन ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना के तहत पांच हजार करोड़ रुपये के सूक्ष्म सिंचाई कोष के जरिए अब उन एरिया में भी सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जा सकेगा, जहां अभी तक पानी नहीं पहुंचता था। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, बिचौलिए किसानों को ठग न पाएं, इसके लिए सरकार की ओर से मंडियों के उन्नयन की दिशा में भी कदम उठाया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

केंद्र सरकार की ओर से बजट में किए गए प्रावधान में सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में इस वर्ष 40 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को इस योजना के तहत लाया जाएगा, यह गत वर्ष में 30 प्रतिशत था। इसी तरह वर्ष 2018–19 में इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। गत वर्ष इस योजना में 5500 करोड़ का बजट प्रावधान था जिसे बाद में बकाया दावे का निपटान करने के लिए संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 13,240 करोड़ कर दिया गया था। इस वर्ष इस योजना के लिए बजट 9 हजार करोड़ रुपये रखा गया है जिसे बाद में आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत राशि 2015 के खरीफ मौसम में 69,000 करोड़ थी जो दोगुने से अधिक होकर 2016 के खरीफ मौसम में 1,41,625 करोड़ हो गई है।

सॉयल हेल्थ कार्ड

हमारे देश के किसानों की एक बड़ी संख्या को यह पता नहीं चल पाता है कि किस खाद का कितना प्रयोग करें। यदि किसानों को अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में जानकारी हो तो वे जरूरत के हिसाब से संबंधित खाद का प्रयोग कर सकेंगे। इससे मिट्टी की सेहत बरकरार रहेगी और किसानों को अधिक उपज मिल सकेगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट में देश में स्थित 648 कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब का प्रावधान

किसान और बजट

- चालू वित्तवर्ष में कृषि क्षेत्र में 4.1 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है।
- किसानों की आया बढ़ाने के लिए हमें और अधिक उपाय करने होंगे तथा किसानों को उनके उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने, और फसल प्राप्ति के उपरांत आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ बनाना होगा।
- वर्ष 2017–18 में कृषि संबंधी ऋण को 10 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर नियत किया गया है।
- किसानों को सहकारी ऋण ढ़ांचे से लिए गए ऋण के संबंध में 31 दिसंबर 2016 को की गई 60 दिन की ब्याज माफी का लाभ मिलेगा।
- छोटे किसानों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ सभी 63,000 कार्यरत प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण और समेकन हेतु नाबार्ड को सहायता देगी।
- फसल बीमा योजना का दायरा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया और 2018–19 में 50 प्रतिशत किया जाएगा। इसके लिए 9000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाएं और मृदा नमूना परीक्षण हेतु देश में सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना।
- 5,000 करोड़ रुपये की आरंभिक निधि के साथ 'प्रति बूंद अधिक फसल' प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि की स्थापना।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) का 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक विस्तार का लक्ष्य; प्रत्येक राष्ट्रीय कृषि बाजार को 75 लाख रुपये तक सहायता दी जाएगी।
- नाबार्ड में पहले से ही स्थापित दीर्घावधिक सिंचाई निधि 40,000 करोड़ रुपये बढ़कर की कुल राशि में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी किए जाने से कुल निधि।
- अनुबंध खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने हेतु राज्यों को परिचालित किया जाएगा।
- 2000 करोड़ रुपये की राशि के साथ नाबार्ड में डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी और यह राशि 3 वर्षों में बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपये की जाएगी।

किया गया है। यह किसानों के लिए रामबाण साबित होगा। इसके अलावा 1000 लघु प्रयोगशालाएं स्थानीय योग्य उद्यमियों के माध्यम से शुरू कराने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से ऋण एवं सब्सिडी का भी इंतजाम किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) का विकास

देश के तमाम किसान ऐसे हैं तो परंपरागत खेती के साथ ही फूल एवं फल–सब्जी आदि की औद्योगिक खेती करना चाहते हैं, लेकिन उनकी पहुंच मंडियों तक नहीं हो पाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से मंडियों के विकास पर भी ध्यान दिया गया है। बजट में यह प्रावधान किया गया है कि 585 मंडियों को जोड़ा जाएगा। इस कार्य में प्रत्येक मंडी में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा। इसमें स्वच्छता ग्रेडिंग और पैकेजिंग कार्य के लिए हर ई–नाम बाजार को अधिकतम 75 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए इन्हें ए.पी.एम.सी. एक्ट (मंडी एक्ट) से डिनोटिफाई करने का भी सुझाव दिया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमतों पर बेचने का अवसर मिलेगा।

डेयरी विकास पर जोर

केंद्र सरकार का मानना है कि खेती और डेयरी एक–दूसरे के पूरक हैं। दोनों को एक साथ जोड़कर किसानों के मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है। इस जुड़ाव के जरिए कृषि अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है। इसी मंशा के तहत सरकार की ओर से 2016–17 में श्वेतक्रांति के लिए 1,138 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। बाद में इसमें बढ़ोतरी कर 1312 करोड़ कर दिया गया। इस वर्ष 2017–18 में इसे बढ़ाकर 1,634 करोड़ रुपये किया गया है। इतना ही नहीं ऑपरेशन फ्लड में पुरानी दूध प्रसंस्करण इकाइयों के उत्थान हेतु डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना निधि 8 हजार करोड़ की संचित राशि से स्थापित की जाएगी। इसे तीन सालों में बनाया जाएगा। प्रारंभ में यह 2 हजार करोड़ रुपये का होगा। इससे खेती के साथ ही पशुधन विकास की दिशा में बेहतरीन काम हो सकेगा।

नीली क्रांति के जरिए जल–स्तर बचाने की कवायद

केंद्र सरकार की ओर से नीली क्रांति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए जहां किसानों हेतु सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है वहीं प्राकृतिक जलस्तर बढ़ाने की दिशा में भी अहम काम होगा। नीली क्रांति से जलस्तर बढ़ेगा और किसानों को आर्थिक फायदा भी होगा। केंद्र सरकार की ओर से इसे अपनी प्राथमिकता में शामिल करते हुए वर्ष 2016–17 के 247 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को संशोधित अनुमान में 392 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 2017–18 में इसे बढ़ाकर 401 करोड़ रुपये किया गया है।

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हेतु आवंटन 5,189 करोड़ से बढ़ाकर 7,377 करोड़ रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड में एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष स्थापित किया जा चुका है। इसकी स्थायी निधि में 20 हजार करोड़ की अतिरिक्त राशि शामिल करने की घोषणा पहले ही प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इस कोष में कुल निधि बढ़कर 40 हजार करोड़ हो जाएगी। इसी तरह 'प्रति बूंद अधिक फसल' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नाबार्ड के तहत एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष 5 हजार करोड़ की आरंभिक निधि से बनाया जाएगा।

किसानों का क्रेडिट कार्ड

कृषि क्षेत्र के लिए कुल क्रेडिट विगत वर्ष 9 लाख करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 10 लाख करोड़ किया गया। इसमें विशेष रूप से अल्प–सिंचित क्षेत्र, पूर्वी राज्य एवं जम्मू एवं कश्मीर के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में घोषित कर्ज पर 60 दिन के ब्याज भुगतान पर छूट का लाभ भी प्राप्त होगा। इसी तरह नाबार्ड द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रही 63,000 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ क्रियाशील प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों के कंप्यूटरीकरण तथा समेकन के लिए सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। इस कार्य को 1900 करोड़ रुपये की राशि से 3 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को ऋण का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित होगा।

आधुनिक अनुबंध खेती कानून

विभिन्न राज्यों में कांट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में किसानों के साथ किसी तरह की दिक्कत न हो, इसे ध्यान में रखते हुए अनुबंध खेती (कांट्रैक्ट फार्मिंग) संबंधी कानून भी तैयार किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का इरादा देश में कांट्रैक्ट फॉर्मिंग को बढ़ावा देने का है लेकिन इसमें किसी तरह से किसानों को नुकसान नहीं होने पाए। इसी के तहत लीज़ कानूनों को किसानों के लिए हितकर बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही उन किसानों को एकीकृत करने का भी प्रस्ताव है जो बेहतर मूल्य प्राप्त करने और फसल कटाई के उपरांत हानियों को कम करने के लिए कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के साथ फल और सब्जियां उगाते हैं।

कम्पोस्ट पिट्स बनाने की योजना

वित्तमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिहाज से मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपये का इंतजाम किया है। पिछली बार के संशोधित अनुमान 47,499 के मुकाबले इसमें 501 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह इस योजना के लिए अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि है। इस योजना के तहत अगले वित्तवर्ष में पांच लाख तालाब और 10 लाख कम्पोस्ट पिट्स बनाने की योजना है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कृषि एवं किसानों के मुद्दों पर नियमित विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं में लेखन कर रहे हैं।)

ई–मेल : chandrabhan0502@gmail.com

सामाजिक सुरक्षा और महिला सशक्तीकरण पर बल

–जगन्नाथ कश्यप

यह बजट लोक–लुभावन वादों का पिटारा खोले बगैर आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ने वाला एक संतुलित बजट है। इस बजट में देश में व्याप्त असमानताओं को दूर करने का गंभीर प्रयास दिखता है। बजट 2017–18 में महिला कल्याण एवं महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी अत्यंत ही प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

जब एक फरवरी को वित्तमंत्री बजट प्रस्तुत कर रहे थे तो विशेषज्ञों से लेकर आम जनमानस की नजरें इसी बात पर टिकी थी कि 'विमुद्रीकरण' का साहसिक कदम उठाने के बाद इस बजट की प्रकृति क्या होगी। क्या यह बजट जन सामान्य को आकर्षित करने वाला एक 'लोक लुभावन' पिटारों को खोलता हुआ बजट होगा या फिर अब तक वित्तमंत्री आर्थिक सुदृढ़ीकरण की जिस लीक पर चलते हुए लाख दबावों के बावजूद अर्थव्यवस्था को जड़ से मजबूत करने वाले प्रयासों के बजट को पेश करते रहे थे, वैसा ही करेंगे। लेकिन जब एक फरवरी को जेटली जी ने बजट प्रस्ताव रखना शुरू किया तो हर एक बढ़ते वाक्य के साथ यह स्पष्ट हो चला कि यह बजट भी कोई 'लोक–लुभावन वादों' का पिटारा खोले बगैर आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ने वाला एक संतुलित बजट है।

वित्तमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए अपने बजट प्रस्तावों को जिन दस विशिष्ट स्तंभों के अंतर्गत रखा वो निम्नलिखित हैं:–

किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, गरीब और विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग, वित्तीय स्रोत, डिजिटल व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन, कर प्रशासन।

अतः इन मुख्य स्तंभों में 1 से 4 जिसमें किसान, गरीब, युवा और ग्रामीण आबादी की बात की गई है, देखकर स्पष्ट हो जाता है कि कैसे यह बजट कमजोर तबका, वंचित वर्ग, महिलाओं, युवाओं व वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा व उत्थान पर बल दे रहा है। आइए, बिंदुवार समझने का प्रयत्न करते हैं कि कैसे यह बजट सामाजिक सुरक्षा और उत्थान को सुनिश्चित करता हुआ एक समावेशी बजट है।

देश के विकास के लिए हमारी लगभग आधी आबादी अर्थात महिलाओं का विकास एवं सशक्तीकरण बेहद आवश्यक है। अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2016–17 की माने तो भारत में 'मातृ मृत्युदर' एक गंभीर समस्या है, हालांकि यह 2001–03 के 301 मातृमुत्यु प्रति एक लाख शिशु जन्म से घटकर वर्ष 2011–13 के दौरान 167 मातृ मृत्यु प्रति एक लाख शिशु जन्म रहा। परन्तु फिर भी यह स्थिति चिंताजनक है। इसका मूल कारण गर्भवती महिलाओं में पोषक तत्वों का अभाव तथा असुरक्षित प्रसव आदि तो है ही, साथ ही भारत में 15–49 वर्ष की महिलाओं के बीच उच्च–स्तर अनीमिया का शिकार होना भी 'मातृ मृत्यु दर' का एक बड़ा कारण है। हालांकि सरकार पहले भी इन समस्याओं से निपटने हेतु योजनाएं बनाती और लाती रही है। लेकिन इस बजट में 31 दिसंबर, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई उद्घोषणा को मूर्त रूप देते हुए 'मातृत्व लाभ कार्यक्रम' के तहत आवंटन को चार गुना से भी अधिक बढ़ाते हुए पिछले वर्ष यानी 2016–17 के संशोधित अनुमान में ₹ 634 करोड़ की तुलना में 2017–18 के लिए ₹ 2700 करोड़ रखा गया है।

गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग हेतु प्रयास

- 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में 500 करोड़ रुपये के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेगा।
- मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत उस प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6,000 रुपये अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।
- सस्ते आवासों को अवसंरचना का दर्जा दिया जाएगा।
- गरीब परिवारों को प्राकृतिक आपदाओं से उनके घरों व सामान की हानि की भरपाई के लिए प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने के लिए एक लाख रुपये के कवर हेतु 100 रुपये के वहनीय वार्षिक प्रीमियम पर प्रधानमंत्री आपदा बीमा योजना नामक स्कीम शुरू की जाएगी।
- राष्ट्रीय आवास बैंक 2017–18 में लगभग 20,000 करोड़ रुपये के आवास ऋणों का पुनर्वित्तपोषण करेगा।
- सरकार ने 2017 तक कालाज़ार और फिलारियासिस, 2018 तक कोढ़, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक समाप्त करने के लक्ष्य की कार्ययोजना भी तैयार की है।
- श्रम अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए चार संहिताओं– 1. पारिश्रमिक, 2. औद्योगिक संबंध, 3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, और 4. सुरक्षा और कार्य करने की दशाओं पर मौजूदा कानूनों को सरल, युक्तिसंगत बनाने और समावेशित करने के उद्देश्य से विधायी सुधार किए जाएंगे।
- अनुसूचित जातियों के लिए आवंटन को बजट अनुमान 2016–17 की तुलना में 35 प्रतिशत बढ़ाया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटन बढ़ाकर 31,920 करोड़ रुपये एवं अल्पसंख्यक कार्यों के लिए 4,195 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार आधारित स्मार्टकार्ड शुरू किए जाएंगे जिनमें उनके स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरे निहित होंगे।

मातृत्व लाभ योजना के तहत उस प्रत्येक गर्भवती महिला के खाते में सीधे 6000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्थान में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी। यह कदम संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देगा जिससे शिशु और माता दोनों की सुरक्षा संभावना बढ़ेगी। साथ ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का माध्यम अपनाने से लीकेज की समस्या भी नहीं रहेगी जोकि इस सरकार का एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा था। इसके अलावा बजट 2017–18 में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई वह है 'महिला शक्ति केंद्रों' की स्थापना। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषाहार सभी सेवाएं सम्मिलित रूप से एक ही सहायता केंद्र से उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से देश के 14 लाख आईसीडीएस (एकीकृत बाल विकास सेवाएं) आंगनवाड़ी केंद्रों में 'महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और इन महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अंर्तराष्ट्रीय मजदूर संगठन (2011–12) के अनुसार भारत में लगभग 62–68 प्रतिशत महिलाएं कृषि क्षेत्र में, मात्र 20 प्रतिशत उद्योग जगत में तथा मात्र 17 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं। ऐसे में 'महिला शक्ति केंद्र' महिलाओं को रोजगार–उन्मुखी बनाने तथा उनके कौशल विकास में प्रभावी साबित हो सकते हैं।

परंतु यहां सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही होगा कि यह योजना भी कहीं न कहीं 'आईसीडीएस' के तंत्र का प्रयोग करती दिख रही है, ऐसे में क्या हमारे आंगनवाड़ी केंद्र इतने संसाधन संपन्न हैं कि वह अपने पूर्ववर्ती कार्यों के साथ–साथ इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे या फिर इसके लिए अलग से 'मानव संसाधन सहित अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी।' और अगर ऐसा है तब फिर 500 करोड़ की राशि अपर्याप्त–सी लगती है। हालांकि वर्ष 2017–18 के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन व मातृत्व लाभ कार्यक्रम शामिल हैं, के आवंटन को बढ़ाकर ₹ 20755 करोड़ किया गया है। अतः बहुत कुछ योजना का किस प्रकार क्रियान्वयन होता है, उस पर निर्भर करेगा। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए दिल्ली पुलिस को मिलने वाले 'निर्भया फंड' को 9 गुना बढ़ाते हुए वर्ष 2017–18 के लिए 28–29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन सबके साथ 'महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के आवंटन को भी पिछले वर्ष के 17640 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017–18 के लिए 22095 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कुल मिलाकर वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में विशेषतौर पर यह उल्लेख किया कि विभिन्न मंत्रालयों के तहत चलने वाली अनेक योजनाओं की राशियों को मिलाकर देखें तो महिला एवं बाल कल्याण हेतु आवंटित समग्र राशि वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 184632 करोड़ होगी जबकि वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में यह राशि ₹ 156528 करोड़ थी। कुल मिलाकर यह वृद्धियां यही दर्शाती हैं कि इस बजट में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक उत्थान

को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस पहल की गई है। तथा यदि इस राशि का उद्देश्य अनुरूप व्यय होता है तो निश्चित ही स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आएगा।

सामाजिक समता एवं समरसता स्थापित करने के उद्देश्य से 'केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों' में अति महत्वपूर्ण श्रेणी में आने वाले – अनुसूचित जातियों एवं अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु चलायी जाने वाली पृथक अंब्रेला स्कीमों पर आवंटन राशि को बढ़ाया गया है। बजट 2017–18 ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को विशेष महत्व देते हुए, अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु कुल आवंटित राशि पिछले वर्ष के संशोधित बजट ₹ 40920 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2017–18 के लिए ₹ 52,393 करोड़ कर दिया जोकि लगभग 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी है, वहीं अनुसूचित जनजातियों के लिए भी कुल राशि ₹ 25602 करोड़ के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर 31920 करोड़ रुपये कर दी गई। अन्य कमजोर वर्गों के लिए भी आवंटन ₹ 1892 करोड़ के संशोधित अनुमान से बढ़ाकर ₹ 1976 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इन आवंटित राशियों का व्यय सही तरीके से तथा उद्देश्य अनुरूप हो, इसके लिए सरकार इन स्रोतों में होने वाले व्यय पर 'नीति आयोग' के माध्यम से परिणाम आधारित निगरानी प्रारंभ करेगी। यह कदम निश्चित ही योजनाओं को और सफल और प्रभावी बनाएगा। निःसंदेह ऐसे कदम यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार हर तबके के विकास एवं उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कई उद्बोधनों में देश की युवा आबादी से 'जॉब सीकर्स' से 'जॉब क्रियेटर्स' बनने की बात कही। और अपनी इस सोच को साकार करने हेतु छोटे उद्यमियों और विशेषकर वंचित एवं महिलाओं को पूंजी की समस्या से निजात दिलाने हेतु दो अति–महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रारंभ किया गया– 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' तथा 'स्टैंडअप इंडिया योजना'। एनएसएसओ के 2013 के सर्वे के मुताबिक भारत में लगभग 5–77 करोड़ छोटी व्यापार इकाईयां चलती हैं, जोकि मुख्यतः 'व्यक्तिगत स्वामित्व' के रूप में चलाई जाती हैं और आंकड़े बताते हैं कि इनमें ज्यादातर इकाइयां ऐसे लोगों की हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखते हैं, अतः इनकी सबसे बड़ी समस्या ऋण की उपलब्धता थी और मजबूरन इस वर्ग को गैर–औपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भर करना पड़ता था। अतः इस वर्ग को संस्थागत वित्त के दायरे में लाना इन छोटी और सूक्ष्म इकाइयों को बल प्रदान करने वाला कदम था। 'स्टैंडअप इंडिया' के अंतर्गत हर बैंक शाखा को कम से कम एक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं एक महिला को ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण देना अनिवार्य है (जिसमें ऋण राशि 10 लाख से एक करोड़ के बीच हो सकती है।) स्टैंडअप इंडिया के माध्यम से जिसे कि पिछले वर्ष अप्रैल 2016 में प्रारंभ किया गया था, लगभग 16000 नए उद्यम स्थापित हुए हैं। अतः यह दोनों ही योजनाएं 'मुद्रा योजना' तथा 'स्टैंडअप इंडिया' योजना, वंचितों, पिछड़ों तथा महिलाओं को आर्थिक संबलता प्रदान करने की दिशा में सराहनीय परिणाम दे रही हैं। बजट 2017–18 में भी इन दोनों योजनाओं को प्रमुखता दी गई है तथा आगामी वर्ष के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एटीयूएफएस, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और एएसपीआईआरई सहित मनरेगा से इतर रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट ₹ 10682 करोड़ को बढ़ाकर वर्ष 2017–18 में ₹ 11640 करोड़ कर दिया गया है।

गरीबी भारत की आजादी से लेकर अब तक की बड़ी समस्या रही है, जिसे हम 'गरीबी हटाओं' का नारा तो देते रहे पर गरीबी हटी नहीं। इस बजट में 'मिशन अंत्योदय' के द्वारा 2019 तक, जोकि राष्ट्रपिता का 150वां जन्म जयंती वर्ष होगा, एक करोड़ ग्रामीण परिवारों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तथा इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीणों के लिए आवंटन को बजट 2016–17 के 15000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017–18 में 23000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों हेतु 2019 तक एक करोड़ मकान तैयार करने का लक्ष्य है।

हालांकि इस सरकार ने 'मनरेगा' को पूर्ववर्ती सरकारों की असफल नीतियों का स्मारक कहा था परंतु इसके बावजूद 'मनरेगा' को सामाजिक सुरक्षा की एक बड़े योजना के रूप में इस सरकार के द्वारा तरजीह दी जा रही है। पूर्व बजट में भी 'मनरेगा' के द्वारा उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया गया था और वित्तमंत्री ने इस बजट में दावा किया कि सरकार को मनरेगा के द्वारा जिन 5 लाख फार्म तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट पीट के निर्माण का लक्ष्य रखा था, उसमें सफलता मिली है। वहीं मनरेगा में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत तक पहुंच गई है जो ग्रामीण आबादी के लिए मनरेगा के महत्व को रेखांकित करता है। और इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष 2017–18 हेतु 'मनरेगा' को अब तक के सर्वाधिक 48000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालांकि यहां ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वर्ष 2016–17 संशोधित अनुमान के बाद यह राशि वर्ष 2016–17 के लिए भी 47,499 करोड़ पहुंच गई है। 'मनरेगा' और प्रभावी हो इसके उद्देश्य से मनरेगा कार्यों की निगरानी में स्पेस टेवनोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा।

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्यों का कुल मिलाकर सामाजिक सेवाओं पर जीडीपी का 7 प्रतिशत व्यय होता है। वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान के अनुसार इसमें शिक्षा पर यह आंकड़ा मात्र 2.9 प्रतिशत और स्वास्थ्य पर यह आंकड़ा मात्र 1.4 प्रतिशत बैठता है।

भारत जैसे देश में शिक्षा व स्वास्थ्य पर इतना कम व्यय

महिला सशक्तीकरण और बजट

- आम बजट 2017–18 में महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है और इस उद्देश्य से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु निर्भया फंड में 90 फीसदी का इजाफा किया गया।
- 500 करोड़ रुपये के बजट आवंटन से गांव–स्तर पर 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र गांव की महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता सेवाएं प्रदान करेंगे।
- 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना का बजट भी बढ़ाकर दुगुना कर दिया गया है जोकि 200 करोड़ है।
- महिला और बाल विकास मंत्रालय के कुल बजट में इस बार 25 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट ₹ 17640 करोड़ से बढ़ाकर इसे वर्ष 2017–18 में ₹ 22095 करोड़ कर दिया है।
- राष्ट्रीय क्रेच योजना के लिए 200 करोड़ रुपये और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।
- बाल संरक्षण योजनाओं के लिए भी बजट में बढ़ोतरी की गई है। एकीकृत बाल विकास सेवाओं हेतु बजट पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान 16580 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 20755 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- गर्भवती महिलाओं की आर्थिक मदद योजना के लिए 2700 करोड़ का बजट रखा गया है। गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी बशर्ते लाभ पाने वाली गर्भवती किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और टीकाकरण कराएगी।

- मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।
- महिला सशक्तीकरण एवं संरक्षण मिशन हेतु ₹ 1089 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जोकि पिछले बजट के संशोधित अनुमान में 819 करोड़ रुपये था।
- गरीब परिवार की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने हेतु इस वर्ष भी 2500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- सभी मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला और बाल विकास के लिए आवंटन बजट अनुमान 2016–17 के 1,56,528 करोड़ से बढ़ाकर 2017–18 में 1,84,632 करोड़ रुपये कर दिया है।

विचारणीय विषय है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर किसी देश का भविष्य टिका रहता है, अतः इन दोनों स्रोतों की उपेक्षा कहीं से ठीक नहीं है। हालांकि बजट 2017–18 ने इन दोनों स्रोतों को लेकर कुछ सराहनीय वादे जरूर किए हैं। इस सरकार ने 2015 में स्किल इंडिया मिशन प्रारंभ किया था। जिस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह बजट देश के 600 से ज्यादा जिलों में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव करता है वहीं देशभर में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापना की भी बात करता है। बजट 2017–18 में 4000 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम 'संकल्प' शुरू करने का उल्लेख है, जिसके द्वारा लगभग 3–5 करोड़ युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी गरीबों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने 2017 तक कालाज़ार, 2018 तक कोढ़, 2020 तक खसरा एवं 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही द्वितीय एवं तृतीय स्तरों की स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विशेषज्ञ डॉक्टरों की समुचित उपलब्धता हो, इसके लिए 5000 स्नातकोत्तर सीटें प्रतिवर्ष सृजित करने एवं झारखण्ड तथा गुजरात में दो नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।

इस बजट ने वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान देते हुए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत करने की बात कही है, जिसमें उनके स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरे दर्ज होंगे। एलआईसी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निश्चित पेंशन योजना क्रियान्वित करेगी जिसमें 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष का गारंटीकृत प्रतिलाभ मिलेगा। जहां अभी बचत खातों एवं फिक्स डिपोजिट पर प्रतिलाभ कम मिल रहे हैं वहीं इस स्कीम में 8 प्रतिशत प्रतिलाभ इसके प्रति आकर्षण बढ़ाएंगे।

कुल मिलाकर वर्तमान बजट से यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार यूपीए सरकार की तरह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए व्यय में कटौती के मार्ग अपनाने के बजाए राजस्व आधार का विस्तार कर आय बढ़ाने एवं उसका सम्यक व्यय सामाजिक उत्थान पर करने में विश्वास रखती है। तभी तो वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान में 1,32,328 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है और इसका ठीक–ठाक लाभ सामाजिक सुरक्षा को मिला है।

अतः हम निःसंदेह कह सकते हैं कि यह सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास दोनों को सुनिश्चित करता एक संतुलित बजट है।

(लेखक दृष्टि करंट अफेयर्स के संपादकमंडल में शामिल हैं। सामाजिक–आर्थिक और सामाजिक–राजनीतिक विषयों पर कई पत्र–पत्रिकाओं में लिखते रहते हैं।)

ई–मेल : jagannath.kashyap@gmail.com

गांवों में रोजगार और कौशल विकास

–शिशिर सिन्हा

गांव की मिट्टी में इतना कुछ है कि वो गांव में उद्यमी तैयार कर सकता है और एक उद्यमी कई लोगों को रोजगार दे सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी यही कहते हैं कि नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देना सीखें। इसी पृष्ठभूमि में इस बजट में गांवों में खेती–किसानी के साथ–साथ कौशल विकास के जरिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है।

चार दशक से भी ज्यादा की जिंदगी शहरों में ही बीती है। फिर भी जब मौका मिलता है तो अपने पैतृक गांव जरूर जाता हूं। बहरहाल, जब भी गया, अनुभव अच्छा नहीं रहा। वजह? हर बार गांव में हमउम्र कम होते नजर आए। गोतिया के घर से लेकर गांव के हर तबके के घर में पूछा तो एक ही जवाब मिला, "किसानी तो नहीं रही फायदे की और गांव में काम मिलने से तो रहा, तो भला गांव में क्या करें?" वैसे अब की बार साल के शुरू में गांव गया तो कई हमउम्र मिले। शहर से वापस आ गए थे। पूछा क्यों तो जवाब मिला, "फैक्ट्री बंद हो गई, यहां लौटने के सिवा कोई और चारा नहीं था।"

कुछ अजीब–सा लगा ना। पहले गांव में जीविका का मजबूत जरिया नहीं रहा तो शहर गए और जब शहर में जीविका के लाले पड़े तो गांव वापस आ गए। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हालत कुछ ऐसी है कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके, चाहे वो खेत पर हो या कृषि–आधारित उद्योगों को लेकर हो? क्या 2017–18 के बजट में ऐसा कुछ है कि गांव के लोगों को नौकरी की तलाश में शहर आना ही नहीं पड़े और गांव में रहे तो एक बेहतर जिंदगी जी सकें?

इस सवाल का जवाब जानने के पहले याद कीजिए एक मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का विज्ञापन। इसमें एक लड़की जब गांव आती है तो केवल उसे बुजुर्ग नजर आते हैं। अपने मध्य आयु के पिता के बारे में मां से पूछती है तो मां का जवाब होता है कि घर चलाने के लिए पैसा कमाना जरूरी है और इसके लिए वो शहर गए हैं। फिर जब वो लड़की घर पहुंच कुछ सोच रही होती है तो एक रिश्तेदार गांव की मिट्टी चेहरे पर लगाकर सौंदर्य प्रसाधन का जिक्र करती है। बस यहीं से सोच बनती है कि गांव की मिट्टी से एक बेहतर सौंदर्य प्रसाधन बनेगा और वो हर जगह बिकेगा। और इसी के साथ गांव में हर उम्र के लोगों की वापसी होती है और उन्हें रोजगार भी मिल जाता है। यानी परिवार फिर से जुड़ जाता है।

अब आप कहेंगे कि इस बात का जिक्र क्यों? ये उदाहरण बस इसीलिए दिया गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण रोजगार को बस किसानी तक ही सीमित नहीं कर दिया जाए। गांव की मिट्टी में इतना कुछ है कि वो गांव में उद्यमी तैयार कर सकता है और एक उद्यमी कई लोगों को रोजगार देगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी तो यही कहते हैं कि नौकरी मांगने के बजाए नौकरी देना सीखें। इसी के साथ वापस लौटते हैं ऊपर के सवाल पर कि क्या गांवों में इतने रोजगार के मौके बनेंगे कि लोगों को शहर पलायन ही नहीं करना पड़े? इस सवाल के जवाब को तीन हिस्सों में बांटना होगा, 1.) फायदेमंद किसानी, 2.) मनरेगा और 3.) गांव में उद्यमिता/स्वरोजगार का विकास। अब बारी–बारी से हम देंखेगे कि आम बजट 2017–18 के साथ सरकार की मौजूदा नीतियां इन तीन पहलुओं के लिए क्या खाका तैयार कर रही हैं।

फायदेमंद किसानी

एक किसान भी उद्यमी से कम नहीं। पहले जमीन तैयार

करता है, फिर बीज डालता है, खाद डालता है, सिंचाई का इंतजाम करता है, बढ़ती फसल की रक्षा करता है और अंत में फसल जब तैयार हो जाती है तो उसे बेचता है। एक उद्यमी की ही तरह उसे हर स्तर पर पूंजी की जरूरत है, तकनीक की जरूरत है और सरकार या सरकारी एजेंसियों से सहयोग की जरूरत है। अब आइए, नजर डालते हैं कि बजट में किसानी की बेहतरी के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं:

1. मिट्टी की सेहत– सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि मिट्टी की पड़ताल कर, उसकी सेहत के लिए कार्ड जारी किए जाएंगे। इस कवायद का मकसद मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी किसानों को देना है। इस योजना के लिए बजट –दर–बजट जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। नए बजट में सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों में नई लघु प्रयोगशालाओं की स्थापना करेगी। यही नहीं स्थानीय उद्यमियों के द्वारा 1000 लघु प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। मकसद यही है कि मिट्टी की पड़ताल के लिए किसान को दूर नहीं जाना पड़े।

2. बीज, खाद वगैरह के लिए पैसे– अच्छी फसल तभी संभव हो, जब किसान के पास समय पर पर्याप्त पैसे हो। इसी के मद्देनजर 2017–18 के दौरान 10 लाख रुपये कृषि ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे ऋण रियायती ब्याज दर पर मुहैया कराए जाते हैं। साथ ही समय पर किसान यदि ऋण चुका दे तो उसके लिए ब्याज दर और भी कम हो जाती है।

3. सिंचाई– ये बात किसी से छिपी नहीं कि भारतीय किसान की सबसे बड़ी आस इंद्र देवता से होती है। कभी मानसून सामान्य रहा तो ठीक, नहीं तो किसानों की परेशानी बढ़ जाती है। इस मामले में लंबी अवधि के प्रयास को सहारा देने के लिए एक दीर्घावधिक सिंचाई कोष की स्थापना की जा चुकी है। पहले इसकी स्थायी निधि में 20 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। अब इसे बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ 5000 करोड़ रुपये का एक विशेष सूक्ष्म सिंचाई कोष भी स्थापित होगा।

4. वाजिब कीमत– फसल तैयार होने पर किसान को जितनी खुशी होती है, उससे कहीं ज्यादा खुशी उसकी वाजिब कीमत मिलने से होती है। दलालों से बचाने और किसानों को अपनी पैदावार की सही कीमत देने के मकसद से राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई–नाम की स्थापना की जा चुकी है। इसके दायरे में लाई जाने वाली एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी) मंडियों की तादाद 250 से बढ़ाकर 585 करने का लक्ष्य है। हर बाजार में स्वच्छता, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की बेहतर सुविधा हो, उसके लिए हर बाजार को 75 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी। केंद्र, राज्यों से जल्द नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों जैसे फल–सब्जियां वगैरह को एपीएमसी कानून से बाहर रखने की गुजारिश करेगा। इससे किसानों को अपनी उपज को बेहतर कीमत पर बेचने में मदद मिलेगी।

5. फसल बीमा योजना– वक्त–बेवक्त प्रकृति की मार किसानों की फसलों को तबाह कर देती है। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने नए स्वरूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। योजना का विस्तार क्षेत्र 2016–17 में फसल क्षेत्र के 30 फीसदी से बढ़ाकर 2017–18 में 40 फीसदी और 2018–19 में 50 फीसदी किया जाएगा। वर्ष 2016–17 में कुल 13,240 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जबकि नए वित्त वर्ष में शुरुआती तौर पर 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। ऊपर के तमाम उपाय इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगे। इस लक्ष्य को रखे जाने के पीछे कोशिश यही है कि किसानी फायदेमंद हो और किसान की उद्यमिता फले–फूले। किसानी बेहतर हुई, तो न केवल किसान और उसके परिवार के सदस्यों को रोजगार मिलेगा, बल्कि दो–चार बाहर के और लोगों को रोजगार मिलेगा।

मनरेगा

गांव में कम से कम सौ दिन के रोजगार की गारंटी के साथ पिछली सरकार की योजना को मोदी सरकार ने नए कलेवर मे आगे बढ़ाया है। कोशिश यही है कि योजना बस खैराती योजना बनकर नहीं रह जाए, बल्कि वास्तव मे ऐसा कुछ हो जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार तो मिले ही, गांव–देहात और किसानी की मदद के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित हो। इसी मकसद से पिछले तीन बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा में लगातार आवंटन ही नहीं बढ़ा, बल्कि दी गई रकम से विकसित होने वाली सुविधाओं का भी लक्ष्य तय कर दिया गया। वर्ष 2017–18 के लिए मनरेगा के तहत कुल मिलाकर 48 हजार करोड़ रु का आवंटन किया गया है जो अब तक का सर्वाधिक है।

पैसे के बेहतर इस्तेमाल के मकसद से चालू कारोबारी साल के बजट में 5 लाख तालाबों और 10 लाख कंपोस्ट खाद के गडढ़े तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि मनरेगा के तहत लक्ष्य से दोगुने यानी 10 लाख तालाब मार्च 2017 तक तैयार हो जाएंगे। वर्ष 2017–18 के दौरान 5 लाख और तालाब तैयार का लक्ष्य रखा गया है। एक और जरूरी बात ये है कि 2017–18 के दौरान मनरेगा के तहत औसतन मजदूरी 2.7 फीसदी की दर से बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही आकाशीय तकनीक से मनरेगा की निगरानी भी होगी।

गांव में उद्यमिता एवं स्वरोजगार का विकास

आमतौर पर गांवों में रहने वालों के साथ एक बड़ी खूबी ये है कि वो जी–तोड़ मेहनत करने से झिझकते नहीं। ये उद्यमिता की पहली बड़ी जरूरत है। लेकिन बस मेहनत ही किसी को उद्यमी नहीं बनाती। जरुरत होती है कौशल की, पूंजी की और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं मसलन मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना की।

पहले बात कौशल की

- मनरेगा के तहत अकुशल कामगारों को कुछ शर्तें पूरी करने के बाद कुशल कामगार बनाने की योजना तैयार करने और

कार्यान्वित करने लिए मनरेगा के तहत प्रोजेक्ट लाइफ शुरू की गई है। इस योजना में वही ग्रामीण परिवार का व्यक्ति भाग ले सकता है जिसने मनरेगा के तहत 100 दिन का काम पूरा कर लिया है। ये परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन, कृषि विज्ञान केद्र और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के सहयोग से चलायी जाती है। परियोजना 17 राज्यों में शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- **दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना** इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं का कौशल विकास करके उनकी रोजगार पाने की क्षमताएं बढ़ाना है।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना–** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंकों और राज्य सरकार के सहयोग से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई है। इसका मकसद गरीब परिवारों के लिए ग्रामीण बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वो अपने निवास स्थान के आसपास ही स्वरोजगार शुरू कर सकें।

आइए, देखते हैं कि बजट में कौशल विकास को लेकर क्या कहा गया। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन के लिए 2017–18 में 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और क्रेडिट सहायता योजनाओं के लिए आवंटन तीन गुना बढ़ाया गया है। वित्तमंत्री ने ये भी जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को नए कौशल उपलब्ध कराने के लिए 2017–18 तक कम से कम 20 हजार व्यक्तियों को तत्काल प्रशिक्षण के लक्ष्य के साथ 2022 तक 5 लाख व्यक्तियों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा।

अब बात पूंजी की

कुशल हो गए, काम आ गया, लेकिन काम शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए। इस काम में आपकी मदद कर सकती है सरकार की मुद्रा (माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) योजना। मुद्रा योजना दरअसल देश में सूक्ष्म उद्यमिता यानी बहुत ही छोटे उद्यमी को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई है। इसके तहत 10 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए बैंक व वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त की सुविधा मुहैया करायी जाती है। योजना के तहत तीन तरह के विकल्प शिशु (50 हजार रुपये तक का कर्ज), किशोर (50 हजार से ज्यादा लेकिन 5 लाख रुपये तक का कर्ज) और तरूण (5 लाख से ज्यादा लेकिन 10 लाख रुपये तक का कर्ज) मौजूद हैं। योजना के तहत किराने, साग–सब्जी, खाने–पीने या फिर किसी भी तरह की छोटे दुकान से लेकर ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग शॉप, सर्विस सेंटर, फूड प्रोसिसिंग यूनिट या फिर छोटी निर्माण इकाई लगाने के लिए कर्ज मुहैया कराया जाता है। विभिन्न सहूलियतों की वजह से योजना में कर्ज पर ब्याज की दर कम होती है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन और मुद्रा योजना के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा जिससे ग्रामीण इलाकों में नौकरी देने वाले तैयार हो सकें।

स्टार्टअप इंडिया

मोदी सरकार की इस मुहिम को ग्रामीण रंग–ढंग में ढालने के लिए दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना का खाका तैयार किया जा चुका है। यहां कोशिश यही है कि गांव–गांव में उद्यमी तैयार हो। इसके लिए जरूरी प्रशिक्षण तो मुहैया कराया ही जाएगा, मुद्रा के जरिए पूंजी की व्यवस्था करायी जाएगी। कर में रियायतें मिलेंगी। साथ ही ऐसे उद्यमी पूरी तरह से विकास कर सकें, उनके लिए जरूरी वातावरण यानी इन्क्यूबेशन सेंटर तैयार होगा। सरकार की कोशिश निजी क्षेत्र को भी इस कवायद में शामिल करने की है जिससे ग्रामीण उद्यमिता के लिए ऐसे स्वतंत्र निवेशक मिल सकें जो ना केवल पूंजी बल्कि तकनीकी तौर पर भी सहयोग करने के लिए तैयार हो।

मेक इन इंडिया

मेक इन इंडिया में शामिल विभिन्न क्षेत्रों में एक है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गांवों में रोजगार देने के मामले में ये क्षेत्र खासा मददगार हो सकता है। मत भूलिए कि आज की तारीख में करीब 6.7 करोड़ टन (अनुमानित कीमत 92 हजार करोड़ रुपये) के कृषि उत्पाद बर्बाद हो जाते हैं। इस बर्बादी को काफी हद तक कम किया जा सकता है यदि ग्रामीण इलाकों में शीत भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण की जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएं। ध्यान देने की बात ये है कि ये दोनों ही बहुत बड़े पैमाने पर विकसित किए जाएं, ये भी जरूरी नहीं। ऐसे में ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में इन दोनों की बड़ी भूमिका होगी।

स्टार्टअप इंडिया के तहत पहले से ही शुरुआती वर्षों में आयकर में राहत दी जा रही है। इन फर्म के लिए एक औसत कंपनी की तरफ बढ़ने का रास्ता नए बजट में तैयार कर दिया गया है। बजट में 50 करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए आयकर की दर 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दी गई है। सरकार साफ कर चुकी है कि भले ही ऐसी कंपनियां बाद में बड़ी हो जाएं, लेकिन उन्हें निचली दर का फायदा मिलता रहेगा।

जाहिर है कि ग्रामीण उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तो ज़मीन तैयार है। अब जरूरत है कि इस जमीन पर उचित फसल लगायी जाए, जिससे न केवल खुद को रोजगार मिले, बल्कि औरों को भी रोजगार दिया जा सके। ऐसा हुआ तो गांवों से पलायन रूकेगा और ग्रामीण आमदनी बढ़ेगी। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत होगा।

(लेखक 21 वर्षों से आर्थिक और कारोबारी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में संपादक (कारोबारी मामले), एबीपी न्यूज में है।)
ई–मेल : hblshishir@gmail.com

आपके अघोषित खाते या जमा नकदी हमसे छिपे नहीं हैं!

"वंचित वर्गों की सहायता करने में आपका भी भला है!"

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016

में अपनी अघोषित आय निवेश करें

घोषित की गई धनराशि का प्रयोग वंचित वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किया जाएगा

मुख्य विशेषताएं

- कोई भी व्यक्ति नकद के रूप में या बैंक अथवा डाकघर अथवा किसी विनिर्दिष्ट संस्था के खाते में जमा राशि के रूप में अघोषित आय की घोषणा कर सकता है।*
- अघोषित आय के कुल **49.90%** का कर, सरचार्ज तथा शास्ति के रूप में भुगतान करें।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 में अघोषित आय का **25%** अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।
- जमा राशि ब्याज रहित होगी और चार वर्ष के लिए लॉक-इन रहेगी।

घोषणा करने की विधि

- घोषणा **https://incometaxindiaefiling.gov.in** पर **ऑनलाइन** दाखिल की जा सकती है अथवा इस योजना के अंतर्गत कर आदि के भुगतान तथा इस योजना में जमा के प्रमाण के साथ आधिकारिक प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त को **प्रिंट** फार्म में प्रस्तुत की जा सकती है।

उन्मुक्ति

- सम्पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित की गई है।
- इस योजना के अंतर्गत घोषित आय, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन करयोग्य नहीं होगी।
- इस योजना के अंतर्गत की गई घोषणा के संबंध में उन्मुक्ति इस योजना की धारा 199-0 में विनिर्दिष्ट के अतिरिक्त अन्य सभी अधिनियमों के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

यह योजना

31 मार्च, 2017

तक लागू है

* ऐसी अघोषित आय की घोषणा न करने से शास्ति और अभियोजन सहित 77.25% की दर से कर, सरचार्ज और सेस लगाया जाएगा।

स्पष्टीकरण हेतु कृपया देखें:
सी.बी.डी.टी. सर्कुलर सं.2/2017
दिनांक. 18.01.2017 (एफ.ए.क्यूज)
जो उपलब्ध है : www.incometaxindia.gov.in
अधिक जानकारी के लिए : ts.mapwal@nic.in पर ई-मेल करे

आयकर विभाग

davp 15401/13/0290/1617

डिजिटल गांव से लिखी जा रही विकास की इबारत

–आलोक कुमार

यह सूचना प्रौद्योगिकी की सदी है। इसे तीसरी औद्योगिक क्रांति कहा जा रहा है जिसने मानव के विकास और विकास की धारा को बदलकर रख दिया है। बदलाव की आंधी तेज है। बीती सदी की तरह सिर्फ साक्षर होने भर से बात नहीं बनने वाली है बल्कि डिजिटल साक्षरता विकसित समाज का अनिवार्य अंग बन गई है। सूचना प्रौद्योगिकी को विकास की रोशनी से अछूती रह गई आबादी तक तेजी से पहुंचाना होगा। इसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए साल के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही, शुरुआती तौर पर इस वित्तवर्ष में 5000 गांवों को 'डिजी गांव' में बदलने की सरकार की योजना है।

व्यक्ति विशेष की प्रगति का आकलन डिजिटल साक्षरता से होने लगा है। बीती सदी के सत्तर के दशक में जाकर कल्पना करें, तो आज जहां इंसान पहुंच चुका है वह कल्पनातीत था।

बताते हैं कि हर सदी का अस्क पिछली सदी से बेहद अलग होता है। मौजूदा सदी के आरंभिक वसंत के सोलह साल बीत गए, 17वें में प्रवेश कर गए हैं। मसलन यह व्यस्क होने और मौजूदा सदी की नींव मजबूत करने का आखिरी चरण है। जिस तरह अठारहवें साल में हर भारतीय मतदाता बनकर सरकार बनाने और भविष्य गढ़ने की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हो जाता है ठीक इसी तरह अगले साल हमारी सक्षमता से तय हो जाएगा कि मौजूदा सदी कैसी होगी और उसमें भारत का क्या स्थान होगा ?

अगर सदी को भारत को असर में लेना है, तो सक्षम निर्णयकर्ता जरूरी होंगे। इसके लिए प्रवीणता से विशाल भारतीय आबादी को सूचना प्रौद्योगिकी की जद में लेना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी को विकास की रोशनी से अछूती रह गई आबादी तक तेजी से पहुंचाना होगा। सबको एक–सा अहसास कराना होगा। छूटी आबादी को बताना जरूरी है कि वह सोलहवीं–सत्रहवीं सदी के अभावग्रस्त दौर से बाहर निकल इक्कीसवीं सदी में हैं। आज इंसान की अंगुलियां ही उसकी पहचान हैं। अंगुलियों की नोक यानी एक क्लिक पर हर संभव सूचना मौजूद है। टच स्क्रीन के स्पर्श से सुविधा हासिल कर लेने की ताकत है। बदलाव की लहर पर सम्यक सवारी के लिए सरकारी–स्तर पर तैयारी तेज है। वित्तीय बजट 2017–18 में भावी भारत की तस्वीर पेश करते हुए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा, "भारत एक विशाल डिजिटल क्रांति के मुहाने पर खड़ा है।"

उन्होंने वित्तीय प्रावधान की घोषणा करते हुए कहा कि इस साल के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया जाएगा। जाहिर तौर पर महानगर की तुलना में शहर और शहरों की तुलना में गांव और सुदूर गांव पिछड़े हैं। ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना डिजिटल क्रांति पर भारतीय हस्ताक्षर के लिए किए जा रहे प्रयासों में से एक है। भारतीय गांवों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और विकसित यूरोपीय देशों जैसी सुविधा होगी। छोटी–मोटी मिसाल में से एक है कि अगर कोई दस्तावेज गुम हो जाए, तो आपको लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्मचारी–अधिकारी के चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। सरपंच के एक क्लिक से आपका दस्तावेज उपलब्ध होगा।

भारत की आत्मा गांवों में बसती है। एक साथ विशाल संख्या में भारतीय गांवों की आबादी को सूचना क्रांति से जोड़ लेने का मतलब है कि "भारत बदल रहा है", के नारे को अमलीजामा पहनाने के प्रयास पर बल है। विकसित राष्ट्र बनने के लिए एकमात्र शर्त है कि गांव विकसित हों। विकास की रोशनी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे शख्स तक पहुंचे। स्मार्ट शहर की अवधारणा के अनुकूल गांव को सूचना क्रांति के जरिए उबारने के लिए लिया गया फैसला पूरी तरह अमल में आने पर भारत का अस्क बदल जाएगा। तय परिकल्पना के अनुरूप अगर ऐसा हो जाता है तो विकास के अंतर की खाई को पाटना आसान होगा। शहर और गांव के प्रति दो नजरिए का आक्षेप लगा पाना सरल नहीं

होगा। विकसित क्षेत्र को 'इंडिया' और अविकसित गांवों को 'भारत' बताने की बहस पर विराम लगेगा। बीते बजट में जब स्मार्ट शहर बनाने की परिकल्पना का सूत्रपात हुआ था, तो आलोचक स्मार्ट शहर ही क्यों स्मार्ट गांव क्यों नहीं की बहस में उलझा करते थे। डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी बाधा हर जगह इंटरनेट और हाइस्पीड कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता है। अगर इसमें सुधार आ गया, तो विकसित देश होने की दिशा में बढ़ने में सहूलियत होगी।

जाहिर तौर पर भारत को बदलने के लिए सूचना क्रांति को सर्वग्राही बनाना होगा। हर भारतीय के लिए इंटरनेट कनेक्शन सुलभ करना होगा, उनकी पहुंच में लाना होगा। इसके लिए नोटबंदी एक कारगर प्रयास साबित हुआ है। इससे बैंकों को डिजिटल संसार का हिस्सा बना लेने की अनिवार्यता पूरी होती नजर आ रही है। नकद रखने की व्यवस्था पर चोट करते हुए डिजिटल भुगतान को अपरिहार्य बनाया गया है। नोटबंदी से कालेधन पर प्रहार हुआ ही है, साथ ही डिजिटल क्रांति की पहुंच दूर भारतीयों को अंधयुग से बाहर निकालकर सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने का अधूरा काम पूरा करने की दिशा में कारगर पहल होती दिख रही है।

डिजिटल क्रांति को दुनिया की तीसरी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। कम्प्यूटर युग के आगाज़ के साथ 1970 के दशक से मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते हुए चीजों को डिजिटल टेक्नोलॉजी में ढालने का काम शुरू हो गया। डिजिटल कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी ने इसकी स्पीड को और तेज कर दिया। डिजिटल सेल्यूलर फोन और इंटरनेट ने इस उड़ान को और ऊंचाई पर लगाने का काम किया है।

जाहिर तौर पर ऐसी इबारत लिखी जा रही है जिससे रोजमर्रा की जिंदगी डिजिटल क्रांति पर आश्रित हो जानी है। डिजिटाइजेशन एक प्रकार से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली उन तमाम चीजों को एकीकृत तकनीक से जोड़ने का प्रयास है जिससे सुविधा व सेवा संबंधी सभी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाए। ज्यादा से ज्यादा चीजों को प्रक्रियाबद्ध तरीके से डिजिटल फॉरमेट में ढालना ही डिजिटाइजेशन है। गांवों के डिजिटल क्रांति से जुड़ने के नतीजे के लाभ को कुछ इस तरह रेखांकित किया जाता है।

भारतीय सेना में तैनात एक सिपाही छुट्टी में गांव आया। सरपंच को खोजता हुए उसके पास पहुंचा। सिपाही का मतदाता पहचान–पत्र खो गया था। उसे दोबारा से बनाने की लंबी प्रक्रिया आसान नहीं थी। उसमें लगने वाले दिनों के बारे में वह जानना चाहता था। सरपंच ने बताया कि अब यह काम मिनटों में हो जाता है। कंप्यूटर की मदद से उसने पहचान–पत्र की दूसरी कॉपी निकलवा दी। निश्चित रूप से यह डिजिटाइजेशन से ही मुमकिन हो पाया। ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें डिजिटाइजेशन से काम आसान हो गया है। नयी पीढ़ी के 'डिजिटल' लोग सुबह उठने पर ब्रश बाद में करते हैं, स्मार्टफोन में ई–मेल पहले चेक करते हैं, मित्रों के फेसबुक पोस्ट और ट्विटर फीड व व्हॉट्सएप पर आए विविध संदेशों को देखते हैं। न केवल नई पीढ़ी, बल्कि कामगार तबका समेत पूरा समाज डिजिटल हो रहा है।

अब अपनों को ढूंढने में जादुई तरीके से बायोमैट्रिक्स आधारित आधार पहचान–पत्र काम करने लगा है। बताते हैं कि यह गुमशुदा लोगों की तलाश के काम को सरल बना गया है। आधार कार्ड के अन्य लाभों के अलावा सामाजिक संगठन हिदायत देते हैं कि अगर आपके आसपास कोई बिछड़ा बच्चा या बुजुर्ग नजर आए, तो उसे आधार केंद्र तक ले जाएं। वहां उसके फिंगर प्रिंट से उसके मूल ठिकाने और मां–बाप से जुड़े पहचान का झटके में पता लगाया जा सकता है।

डिजीटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

- तंत्र को स्वच्छ बनाने और भ्रष्टाचार तथा काले धन का खात्मा करने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना सरकार की कार्यनीति का अभिन्न अंग है।
- वित्तीय समावेशन और जन धन आधार मोबाइल त्रिसूत्र को बढ़ावा देने के पहले के प्रयास डिजिटल लेन–देन को वर्तमान में आगे बढ़ाने के महत्वपूर्ण प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे।
- अभी तक 125 लाख व्यक्तियों ने भीम एप को अपना लिया है। सरकार भीम की उपयोगिता को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं रेफरल बोनस योजना और कैशबैक योजना शुरू करेगी।
- आधार समर्थित भुगतान प्रणाली का व्यापारिक संस्करण आधार पे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा जिनके पास डेबिट कार्ड, मोबाइल वैलेट और मोबाइल फोन नहीं हैं।
- बढ़े हुए डिजिटल लेन–देन लघु और सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक ऋण सुलभता के लिए समर्थ बनाएंगे।
- यूपीआई, यूएसएसडी, आधार भुगतान, आईएमपीएस और डेबिट कार्डों के माध्यम से 2017–18 के लिए 2500 करोड़ के डिजिटल लेनदेन के लक्ष्य को पूरा करने का मिशन शुरू करना।
- बैंकों ने मार्च 2017 तक अतिरिक्त 10 लाख नए पीओएस टर्मिनलों को शुरू करने का लक्ष्य रखा है। उन्हें सितंबर 2017 तक 20 लाख आधार–आधारित पीओएस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान अवसंरचना और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ किया जाएगा। डाकघरों, उचित मूल्य की दुकानों और बैंकिंग संपर्कियों के माध्यम से ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- इन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार संसाधन बढ़ाने हेतु वित्तीय समावेशन निधि को सुदृढ़ करेगी।
- 3 लाख रुपये से अधिक के किसी भी लेन–देन को नकदी में करने की अनुमति नहीं होगी।
- छोटे और मध्यम करदाताओं जिनका मौजूदा टर्नओवर 2 करोड़ तक है, उनकी अनुमानित आयगणना में नकदी–भिन्न साधनों से किए गए लेन–देन पर दो प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

दुनिया द्रूत गति से बदल रही है। डिजिटल क्रांति से बढ़ी बदलाव की रफ्तार इतिहास में कभी नजर नहीं आई। मोबाइल और इंटरनेट के अलावा आने वाला वक्त रोबोटिक्स का होने जा रहा है। यह डिजिटल क्रांति से संभव है। सिर्फ गांव और शहर को ही नहीं बल्कि पीढ़ियों के अंतर को पाटने के लिए प्रयास जारी हैं। वार्षिक बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार–आधारित स्मार्ट कार्ड देने की योजना पर अमल हो रहा है। स्मार्ट कार्ड उनके स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए तैयार किया जाएगा।

बजट भाषण में तीन लाख रुपये से ऊपर नकद लेन–देन को प्रतिबंधित करके देश को डिजिटल क्रांति की अनिवार्यता से जोड़ने का काम किया गया है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने बताया कि आपसी लेन–देन के लिए भीम एप्लिकेशन को एक करोड़ पच्चीस लाख लोगों ने अपना लिया है। आधार–आधारित भुगतान प्रणाली का व्यापारी संस्करण आधार पे शीघ्र शुरू किया जाएगा। डिजिटल इंडिया अभियान को गति देने का मतलब है कि आम लोगों की सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक आसान पहुंच बनाना, कृषि क्षेत्र को तकनीक से जोड़ना, किसानों तक उत्पादन के लिए वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना, साथ ही मंडी और बाजार से जोड़ने का काम आसान होने जा रहा है।

प्रख्यात लेखक मिचियो काकु ने 'फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर' में लिखा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन का बड़ा कारण फैक्स मशीनों और कंप्यूटर्स का उदय था जिसके सहारे वर्गीकृत सूचनाओं को एक्सपोज किया गया। वर्ष 2011 के आसपास मिस्र समेत अनेक देशों में हुई क्रांति में सोशल नेटवर्किंग और स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका मानी जाती है। डिजिटल क्रांति के दुरुपयोग की भी अथक कहानियां हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के पीछे रूसी कंप्यूटर की भूमिका पर सवाल किया जा रहा है। इस तकनीक का आर्थिक असर भी व्यापक रहा है। डिजिटल क्रांति की चपेट में आकर टेलीग्राम और टाइपराइटर बेमानी हो चुका है।

डिजिटाइजेशन में आम आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की क्षमता है। वैश्विक बाजार तक आसानी से पहुंचने की राह मुहैया कराने में इसका बड़ा योगदान है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके माध्यम से कम से कम निवेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है।

डिजिटल क्रांति की रफ्तार तेज करने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इसका व्यापक असर हो रहा हे। बदलते भारत की बदलती तस्वीर उभर रही है। प्रोजेक्ट का प्रमुख मकसद देश को नॉलेज इकोनॉमी में तब्दील करना है। इस प्रोजेक्ट में सरकार ने अनेक सेक्टर्स में लोगों को विविध सुविधाएं मुहैया करायी हैं।

इनमें से दस प्रमुख सुविधाओं कुछ इस तरह हैं:–

1. डिजिटल लॉकर : इसमें आप सरकार की किसी भी एजेंसी या निकाय द्वारा जारी सभी प्रकार के प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे आपको इनकी हार्डकॉपी लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी।

2. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट : इस स्कीम को 'जीवन प्रमाण' के नाम से शुरू किया गया है। पेंशनधारियों को प्रत्येक वर्ष एक खास समय पर जीवन प्रमाण देना होता है। इस पहल से अब उन्हें संबंधित सबूत डिजिटल तरीके से पेश करने में मदद मिलेगी। इसमें आधार संख्या और बायोमैट्रिक डिटेल्स को जोड़ा गया है।

3. मनरेगा : देश की तकरीबन सभी ग्राम पंचायतों में बेहतर मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम लागू करते हुए मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों और कामगारों का ब्यौरा डिजिटल बनाया जा रहा है। इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ रीयल–टाइम आंकड़े मिल पाएंगे।

4. ट्विटर संवाद : ट्विटर संवाद एक ऐसी पहल की गई है, जिसके माध्यम से आम जनता को यह पता चलता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। यह ऐसी सेवा है, जिसमें नेता और विविध सरकारी एजेंसियां ट्विटर आदि के माध्यम से आम जनता से संवाद कायम करती हैं।

5. मदद : इसे विदेश मंत्रालय ने शुरू किया है। विदेश में मौजूद कोई भी भारतीय नागरिक अपनी किसी खास परेशानी से निपटने के लिए सरकार से मदद मांग सकता है या ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है, ताकि जल्द से जल्द उसकी मदद की जा सके।

6. डिजास्टर वार्निंग सिस्टम : इस पहल के तहत देश के किसी भी हिस्से में तूफान समेत अन्य प्राकृतिक आपदाओं के बारे में लोगों को एसएमएस के माध्यम से अलर्ट जारी किया जाता है।

7. रिटर्न दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा : आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए श्रम मंत्रालय ने छोटे उद्यमियों और संगठनों के लिए यह खास सेवा शुरू की है। इससे उन्हें रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत होगी।

8. ऑनलाइन पैनकार्ड 48 घंटे में : डिजिटाइजेशन के कारण अब ऑनलाइन पैनकार्ड आप महज 48 घंटे में हासिल कर सकते हैं। इसका मकसद देश के सभी नागरिकों को पैनकार्ड मुहैया कराना है।

9. ई–मनी : डाक विभाग की इस सेवा का इस्तेमाल गांवों और दूरदराज इलाकों में लोग रुपये भेजने के लिए करते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर सेवा है।

10. प्रगति : प्रो–एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) के नाम से शुरू की गई यह सेवा नागरिकों के लिए शिकायत निवारण (ग्रिवांस) सेल की तरह है। केंद्र सरकार के किसी भी निर्माणाधीन प्रोजेक्ट के संबंध में आप यहां शिकायत कर सकते हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रिंट मीडिया के साथ–साथ इलैक्ट्रॉनिक मीडिया से भी जुड़े रहे हैं।)

ई–मेल : aloksamay@gmial.com

आगामी अंक

अप्रैल, 2017 – बागवानी (हार्टिकल्चर)

समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास

–प्रमोद जोशी

इस साल के केंद्रीय बजट में शिक्षा से जुड़ी अनेक बातें आकर्षक हैं, पर साधनों की पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सर्व शिक्षा अभियान के लिए जितने साधनों की जरूरत है, उतने उपलब्ध नहीं हैं। इसकी वजह से 'शिक्षा के अधिकार' की संकल्पना अभी दूर नजर आती है। अलबत्ता सरकार छोटे उद्यमों से जुड़े कौशल विकास के जो कार्यक्रम बना रही है, वे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे।

इस साल बजट के पहले पेश की गई 2016–17 की आर्थिक समीक्षा पर नजर डाले तो पाएंगे कि सन 2001 से अब तक 17 साल में शिक्षा पर जीडीपी का 3 फीसदी या उससे ऊपर सार्वजनिक व्यय केवल पांच बार हुआ है। वर्ष 2007–08 में यह प्रतिशत सबसे निचले स्तर 2.59 प्रतिशत पर पहुंच गया था। अधिक से अधिक 3.1 प्रतिशत के ऊपर नहीं गया। सन 2016–17 में भी यह व्यय 2.9 फीसदी था। राज्यों के संसाधनों को मिला दें तो यह प्रतिशत 4.5 प्रतिशत तक हो जाएगा।

हम अपने आर्थिक विकास पर नजर डालें तो पाएंगे कि शुरुआती वर्षों में हम विकासशील देशों के बीच बेहतर स्थिति में थे। खासतौर से चीन से कुछ बेहतर थे, जिसके साथ हमारे हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। आधुनिक युग में चीन ने अपनी विकास यात्रा हमारी आजादी के दो साल बाद शुरू की थी। दोनों देशों की यात्राएं समानांतर चलीं पर बुनियादी मानव विकास में चीन हमें पीछे छोड़ता चला गया। भारत ने मध्यवर्ग को तैयार करने पर जोर दिया, जबकि चीन ने बुनियादी विकास पर जिसमें शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की जबर्दस्त भूमिका है।

प्रारंभिक वर्षों में हमसे प्राथमिक और ग्रामीण शिक्षा की अनदेखी हो गई। सन 2011 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से डॉक्टरेट की मानद उपाधि ग्रहण करते हुए अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा था, समय से प्राथमिक शिक्षा पर निवेश न कर पाने की कीमत भारत आज अदा कर रहा है। नेहरू जी ने तकनीकी शिक्षा के महत्व को पहचाना, जिसके कारण आईआईटी जैसे शिक्षा संस्थान खड़े हुए, पर प्राइमरी शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण 'निराशाजनक' रहा।

जीडीपी के 6 प्रतिशत का लक्ष्य

कोठारी आयोग की सिफारिशों के बाद से देश में इस बात पर आम राय रही है कि प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए शिक्षा पर बड़े निवेश की जरूरत है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीडीपी) की कम से कम 6 फीसदी धनराशि सरकार लगाए। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें शामिल हैं। साथ ही निजी क्षेत्र के निवेश की स्थितियां पैदा की जाएं।

समय–समय पर केंद्र और राज्य सरकारों ने इस बात से सहमति व्यक्त की है, पर व्यावहारिक रूप से यह लक्ष्य कभी पूरा नहीं हुआ। यों भी केंद्र सरकार के सामने अभी राजकोषीय अनुशासन ज्यादा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। पिछले कुछ वर्षों के आम बजट पर ध्यान दें तो पाएंगे कि हमारा आम बजट ही जीडीपी के अनुपात में कम होता जा रहा है। 2012–13 का हमारा वार्षिक बजट जीडीपी के 14.2 फीसदी के बराबर था, जो 2017–18 के बजट में 12.7 फीसदी है। वैश्विक ठहराव से भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित है। तकरीबन 7 प्रतिशत की संवृद्धि के बावजूद भारत सरकार शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में बड़ा निवेश करने की स्थिति में नहीं है। हमें इस गति को बढ़ाना होगा। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में गतिविधियों को तेज करने की जरूरत है।

साधनों का ठहराव

इस साल के आम बजट में शिक्षा के मद में रखी गई धनराशि गाड़ी को इसी गति से खींचेगी, पर उसे तेज गति से दौड़ा नहीं सकेगी। अलबत्ता केवल केंद्रीय बजट से राष्ट्रीय–स्तर पर सरकारी व्यय का अनुमान लगाना संभव नहीं है। शिक्षा समवर्ती सूची में होने के नाते इसमें राज्यों का योगदान भी होता है।

सन 2015–16 में चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के कर संग्रह में से राज्यों को मिलने वाली हिस्सेदारी 32 से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गई है। इस वजह से केंद्रीय बजट में आबंटन का अंश कम हो गया है। इसलिए राज्यों के बजट दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ही शिक्षा पर सकल सार्वजनिक व्यय का अनुमान लगा सकना संभव होगा।

बहरहाल यह साफ दिखाई पड़ता है कि केंद्रीय बजट में शिक्षा के मद में बढ़ोतरी तो हुई है, पर वह इतनी नहीं है कि उससे बड़े नतीजे निकाले जाएं। वर्ष 2017–18 के कुल बजट में मानव संसाधन मंत्रालय का हिस्सा 3.7 फीसदी है, जबकि 2016–17 के बजट में यह 3.65 फीसदी था। शिक्षा के बजट में वृद्धि आर्थिक संवृद्धि से मेल नहीं खा रही है, जबकि उसमें काफी बड़े स्तर पर वृद्धि की जरूरत है।

पिछले वर्ष के बजट में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन को देश के रूपांतरण के सबसे महत्त्वपूर्ण स्तंभों में शामिल किया गया था। इस साल के बजट को वित्तमंत्री ने जिन दस स्तंभों का आधार दिया उनमें तीसरे स्थान पर 'युवा' को रखा है। शिक्षा को युवा विकास का हिस्सा माना गया है, जो ठीक है। इस लिहाज से देश के 600 जिलों में कौशल विकास केंद्रों की स्थापना को शिक्षा के साथ जोड़कर देखें तो उम्मीदें जागती हैं। बावजूद इसके शिक्षा अपनी बुनियाद यानी गांवों में कमजोर दिखाई पड़ रही है।

10 फीसदी की वृद्धि

इस साल शिक्षा के अंतर्गत कुल 79,686 करोड़ रुपये का बजट है, जिसमें से 46,356 करोड़ रुपये (58 प्रतिशत) विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग और 33,329 करोड़ रुपये (42 प्रतिशत) उच्चतर शिक्षा विभाग के खाते में हैं। हालांकि यह वृद्धि पिछली बार के बजट की तुलना में 10 फीसदी के आसपास है। पर इसे जीडीपी बरक्स देखें तो यह धनराशि तकरीबन 0.47 फीसदी है, जो 2016–17 में 0.48 फीसदी थी। इस लिहाज से यह ठहराव है। 2016–17 के संशोधित बजट में बढ़कर शिक्षा पर पूरा व्यय 73,599 करोड़ रुपये हो गया। इस लिहाज से यह वृद्धि करीब 6,087 करोड़ रुपये की है।

देश में आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए राज्यों और संघ सरकार की भागीदारी से चलाया जा रहा 'सर्व शिक्षा अभियान' प्राथमिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन सहित 2017–18 के बजट में 29556 रुपये की धनराशि रखी गई है। पिछले बजट की तुलना में यह केवल 1305 करोड़ ज्यादा है। पर शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति के लिए यह पर्याप्त नहीं है। इन प्रारंभिक वर्षों में आधार ढांचे के निर्माण के साथ–साथ कुशल अध्यापकों की जरूरत है।

सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटेबलिटी (सीबीजीए) के अनुसार इस साल मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनाई गई वार्षिक कार्ययोजना और जिलों से आई मांग 55,000 करोड़ रुपये की थी, जिसकी तुलना में बजट में केवल 23,500 करोड़ रुपये यानी 42.7 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत हुई। यानी जिन कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई है, उसके आधे भी पूरे नहीं हो पाएंगे। ऐसा पिछले वर्षों में भी होता रहा है, पर पिछले छह साल के आंकड़ों को देखें तो प्रतिशत के आधार पर यह सबसे कम धनराशि है।

सन 2012–13 में 56.3 (25,555 करोड़), 2013–14 में 87.6 (27,258 करोड़), 2014–15 में 77.7 (28,258 करोड़), 2015–16 में 54.7 (22,000 करोड़) और 2016–17 में केंद्र सरकार की स्वीकृत कार्य योजना की 48.2 प्रतिशत (22,500 करोड़) धनराशि बजट के रूप में प्राप्त हुई थी। वित्त मंत्रालय ने मानव संसाधन मंत्रालय के संकल्पों को स्वीकार नहीं किया।

समावेशी शिक्षा की दिशा में प्रयास

ग्रामीण क्षेत्रों को जो कार्यक्रम सीधे प्रभावित करते हैं वे समावेशी शिक्षा की ओर भी ले जाते हैं। मानव संसाधन मंत्रालय ने विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शैक्षिक कार्यक्रमों को चलाने के लिए 4229 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के लिए उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत 2078 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। इस प्रकार पूर्वोत्तर के लिए 6307 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पूर्वोत्तर की ओर देश का ध्यान अब जा रहा है। इसी तरह सरकार ने राष्ट्रीय साधन एवं मैरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत धनराशि को बढ़ाकर 282 करोड़ रुपये कर दिया है।

इस मद में पिछले बजट में 35 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी, जो संशोधित बजट में 39.65 करोड़ रुपये हो गई थी। इस छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को शिक्षा जारी रखने का मौका देना है। ऐसे मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करना, जो कक्षा आठ के बाद स्कूल छोड़ने को मजबूर होते हैं, कम से कम बारहवें दर्जे तक शिक्षा जारी रख सकें। इसी तरह राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत धनराशि को 45 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 320 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका उद्देश्य भी बालिकाओं, खासतौर से अजा–जजा छात्राओं का स्कूल में नामांकन बढ़ाकर उन्हें स्कूल छोड़ने से बचाना है।

पिछले महीने सरकार ने 62 जिलों में एक–एक जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी थी। इस परियोजना की पूरी लागत 2,871 करोड़ रुपये है। नए जवाहर नवोदय विद्यालय जिन राज्यों में खुलने हैं, वे हैं छत्तीसगढ़ में 11, गुजरात में आठ, दिल्ली में सात, जम्मू–कश्मीर और उत्तर प्रदेश में पांच–पांच। इनके अलावा अन्य राज्यों में भी ये स्कूल खोले जाएंगे। नवोदय विद्यालय ग्रामीण

युवा और बजट

- स्कूलों में अधिगम (लर्निंग) के वार्षिक ज्ञान परिणाम मापन प्रणाली शुरू करना।
- सार्वभौमिक पहुंच, लिंग समानता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु नवाचार निधि शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 जिलों में शुरू की जानी है।
- अच्छी गुणवत्ता वाले शिक्षा संस्थानों को बेहतर प्रशासनिक और शैक्षिक स्वायत्तता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जाएगा।
- महाविद्यालयों की पहचान प्रत्यायन और रैंकिंग के आधार पर की जाएगी और उन्हें स्वायत्तता का दर्जा दिया जाएगा।
- 350 ऑनलाईन पाठ्यक्रम 'स्वयं' शुरू करने का प्रस्ताव।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं में सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वायत्त और स्व–संपोषित प्रमुख समीक्षा संगठन के रूप में एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थापना।
- प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का अब देश भर में 600 से ज्यादा जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव। देश भर में 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।
- वर्ष 2017–18 में 4000 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता कार्यक्रम (संकल्प) शुरू करने का प्रस्ताव; 'संकल्प' युवाओं को बाजार संगत प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
- औद्योगिक मूल्यवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राईव) का अगला चरण भी 2017–18 में 2200 करोड़ रुपये खर्च करके शुरू किया जाएगा।
- कपड़ा क्षेत्र में रोजगार सृजन का विशेष कार्यक्रम पहले ही शुरू किया जा चुका है। इसी तरह की स्कीम चमड़ा और फुटवियर उद्योग के लिए शुरू की जाएगी।

पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। बजट में नवोदय विद्यालयों के नाम पर 2700 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है।

मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना पर 2016–17 के बजट में 295 करोड़ की राशि थी, जो 2016–17 में 120 करोड़ रुपये रह गई। इस बार भी इस मद में 120 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर 2015–16 के बजट में 9144 करोड़ की राशि पिछले साल के बजट में बढ़कर 9,700 करोड़ रुपये हो गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के तहत देशभर में कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को 'मिड डे मील' दिया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पर 2017–18 के बजट में 3830 करोड़ रुपये की धनराशि रखी गई है। वर्ष 2015–16 के बजट में यह राशि 3562 करोड़ रुपये थी, जो पिछले साल के बजट में 3700 करोड़ रुपये कर दी गई थी। यह कार्यक्रम सर्वशिक्षा अभियान के अनुवर्ती परिणाम के रूप में शुरू किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में वित्तमंत्री ने कहा कि व्यापक पहुंच, लैंगिक समानता और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने हेतु माध्यमिक शिक्षा के लिए नवोन्मेष निधि सृजित की जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया में आईसीटी (इनफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी) समर्थित ज्ञान रूपांतरण शामिल होगा। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक रूप से पिछड़े 3479 खंडों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सरकार किस प्रकार के नवोन्मेष की बात कर रही है।

इसी तरह सरकार ने वार्षिक ज्ञान परिमाण मापने की प्रणाली शुरू करने की घोषणा भी की है। यह प्रणाली वार्षिक परीक्षा से किस तरह अलग होगी, अभी स्पष्ट नहीं है। अलबत्ता इसके पीछे एक बड़ा कारण शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पड़ने वाला दबाव है। शिक्षा से जुड़े संगठन प्रथम की असर रिपोर्टें लगातार बता रही हैं कि बच्चे उतना ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जितनी उनसे अपेक्षा है।

शिक्षा–केन्द्रित एक भारतीय एनजीओ 'प्रथम' की सालाना रिपोर्टों 'असर' से पता लगता है कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद स्कूलों की संख्या और उनमें दाखिले में भारी बढ़ोतरी हुई है, पर पढ़ाई–लिखाई की गुणवत्ता गिरी है। सर्वे के अनुसार सरकारी स्कूलों पर आम जनता का विश्वास घट रहा है। आरटीई का सकारात्मक असर है कि 6–14 वर्ष उम्र वर्ग के बच्चों के स्कूल में दाखिले में भारी इजाफा हुआ है, पर बच्चे स्कूलों में साधारण कौशल भी नहीं सीख पा रहे हैं।

सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा जरिया शिक्षा है। और सामाजिक भेदभाव का जरिया भी शिक्षा ही है। गुणवत्ता का आकलन तभी महत्त्वपूर्ण है, जब उन कारणों का निवारण करते रहें, जिनके कारण बालक की शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बड़ी संख्या में बच्चे पहली पीढ़ी के छात्र हैं। उनके परिवारों में इससे पहले कोई पढ़ने नहीं गया। इसलिए वहां शिक्षा का माहौल बनाने और शिक्षित होने के लाभों को समझने–समझाने की जरूरत भी है। गांवों और कस्बों से ऐसे रोल मॉडल खोजे जाने चाहिए जो केवल शिक्षा के सहारे आगे बढ़ने में कामयाब हुए।

उन्नत भारत अभियान

उच्च शिक्षा में सरकार का झुकाव सामान्य शिक्षा के मुकाबले तकनीकी शिक्षा पर है। सरकार ने इस साल नए आईआईटी की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपये रखे हैं। पिछले साल इस मद में 190 करोड़ रुपये और उससे पहले यानी कि 2015–16 में 45 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। देश में चल रहे आईआईटी की सहायता के लिए 7171 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है, जो पिछले साल के संशोधित बजट में 4953 करोड़ रुपये थी। नए आईआईएम की स्थापना के लिए इस साल 190 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से भी युवा आईआईटी और आईआईएम जाने लगे हैं।

इनमें से कुछ कार्यक्रम सीधे ग्रामीण क्षेत्रों को छूते हैं। जैसे 'उन्नत भारत अभियान' उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं को, धारणीय विकास को गति प्रदान करने के लिए उचित समाधान निकालकर, ग्रामीणों के साथ कार्य करने में समर्थ बनाएगा। इसका लक्ष्य उभरते हुए व्यवसायों के लिए ज्ञान उपलब्ध कराकर समावेशी शैक्षिक प्रणाली और समाज के बीच महत्वपूर्ण चक्र स्थापित करना और ग्रामीण भारत की विकास आवश्यकताओं के बाबत कार्य करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टरों की क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अपेक्षाकृत नया कार्यक्रम है। पिछले बजट में इसके लिए 10 करोड़ की राशि रखी गई थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्तमंत्री के बजट भाषण में कौशल विकास और रोजगारों के सृजन पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से कौशल विकास के लिए युवाओं को अपने पड़ोस के कौशल केंद्र से संपर्क करना होगा। वित्तमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों को 60 से ज्यादा जिलों में शुरू किया जा चुका है। अब 2017–18 में 600 से ज्यादा जिलों में इन केंद्रों के विस्तार करने का प्रस्ताव है। इनके अलावा देशभर में 100 भारत अंतरराष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। हालांकि यह कार्यक्रम मानव संसाधन मंत्रालय का नहीं है, पर शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ इसका सीधा सम्बन्ध है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर धनराशि पिछले साल के बजट में रखी गई 1804 करोड़ रुपये की राशि से बढ़ाकर 3026 करोड़ रुपये कर दी गई है।

सबसे बड़ा युवा समूह

सन् 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सन 2030 तक दुनिया के धारणीय था सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने के लिए 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। धारणीय विकास समाधान नेटवर्क (एसडीएसएन) ने एक सूचकांक भी बनाया है, जिसमें विभिन्न देशों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। इन 17 में से चौथा लक्ष्य शिक्षा का है। लक्ष्य है समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। इस सूचकांक में भारत का स्थान 149 देशों में 110 वां है।

पिछले साल यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट में कहा गया था कि वर्तमान गति से चलते हुए भारत में सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य 2050 तक ही हासिल हो सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा में तेजी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

देश के करीब 15 लाख स्कूलों के नेटवर्क में 26 से 27 करोड़ बच्चे इस साल प्राइमरी और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं। इनमें से काफी बच्चे सन 2030 तक देश के उत्पादक समूह में शामिल हो जाएंगे, जो उस वक्त करीब एक अरब का होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को देखें तो भारत को उस वक्त विकास के रास्ते पर मजबूत कदम रखने चाहिए। पर हम आज की गति से चले तो सन 2030 में भी हम शिक्षा के मामले में पिछड़े देशों में गिने जाएंगे।

देश में करीब 86 लाख स्कूल अध्यापक और करीब 15 लाख उच्च शिक्षा से जुड़े प्राध्यापक हैं। फिर भी यह पर्याप्त नहीं है। बड़ी संख्या में हमें गुणवान और साधनों से सज्जित अध्यापकों की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर हमारे यहां विद्यालयों का आधार ढांचा कमजोर है।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र–शिक्षक अनुपात और विद्यालय के भवन और शैक्षिक सामग्री को लेकर भी व्यवस्थाएं की गईं हैं। इस दौरान जो सर्वे आए हैं, उनसे पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 फीसदी स्कूल ही शर्तें पूरी करते हैं। अंशकालीन शिक्षकों को भी शामिल कर लें तब भी देशभर में 17 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। प्राथमिक स्तर पर तकरीबन 15 लाख नए अध्यापकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए केंद्र और राज्यों को पहल करनी चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। दैनिक हिन्दुस्तान में स्थानीय संपादक के पद से सेवानिवृत्त हुए। फिलहाल मीडिया संस्थानों में अध्यापन कार्य में संलग्न हैं।)

ई–मेल : pjoshi23@gmail.com

बजट में सौर ऊर्जा पर जोर

–ऋषभ कृष्ण सक्सेना

कार्बन उत्सर्जन कम करने और देश में पैदा होने वाली बिजली में 2030 तक अक्षय ऊर्जा की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना बहुत जरूरी है। अक्षय ऊर्जा में सरकार का सबसे ज्यादा जोर सौर ऊर्जा पर है। सरकार ने 175 गीगावॉट में से 100 गीगावॉट हिस्सेदारी सौर ऊर्जा की रखी है क्योंकि देश–विदेश से कंपनियां इसमें निवेश भी कर रही हैं। इसी कारण वित्तमंत्री ने सबसे ज्यादा राहत भी इसी क्षेत्र को दी है।

उत्तरी राज्यों द्वारा जरूरत से ज्यादा बिजली लिए जाने से 2012 में जब उत्तरी ग्रिड फेल हो गया था और अचानक अंधेरा छा गया था तो बिजली के वैकल्पिक स्रोतों की कमी बहुत अधिक खली थी। उसी समय लगभग हर देशवासी को नवीकरणीय यानी अक्षय ऊर्जा की जरूरत और अहमियत भी समझ आ गई थी। मोदी सरकार इसे खासतौर पर समझती है और इसीलिए मई, 2014 में सत्ता में आते ही उसने ऊर्जा के इस स्रोत पर खास ध्यान देना शुरू कर दिया। पर्यावरण को साफ रखने के मामले में यूं भी अक्षय ऊर्जा का बहुत योगदान होता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने और देश में पैदा होने वाली बिजली में 2030 तक अक्षय ऊर्जा की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने पिछले बजट में इस पर बहुत जोर दिया था। पिछले बजट में जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसके सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आए। इस बार के बजट से ठीक पहले पेश आर्थिक समीक्षा में बताया गया कि पिछले ढाई वर्ष में ग्रिड से जुड़ी नवीकरणीय ऊर्जा में 14.3 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 5.8 गीगावॉट सौर ऊर्जा की बिजली है और 7.04 गीगावॉट पवन ऊर्जा की। इस तरह अक्षय ऊर्जा के मोर्चे पर प्रगति संतोषजनक दिख रही है।

यही कारण है कि 2017–18 के बजट में भी उसी अभियान को आगे बढ़ाया गया है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि 2022 तक वह 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल करना चाहती है क्योंकि जिस देश में 30 प्रतिशत के लगभग आबादी को बिजली हासिल नहीं है और बिजली की प्रति व्यक्ति खपत बमुश्किल 1,000 यूनिट है, वहां इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसीलिए पिछले ढाई वर्ष में इस दिशा में ठीकठाक काम भी किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फ्यूल सेल और बायोगैस का बड़ा योगदान है और वित्तमंत्री ने इस बार के बजट में इनमें से कमोबेश सभी में इस्तेमाल होने वाली मशीनों पर कर और शुल्क या तो पूरी तरह खत्म कर दिए हैं या काफी कम कर दिए हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में भी 8.7 प्रतिशत का इजाफा किया गया है, जिससे 2017–18 में आवंटन 5,473 करोड़ रुपये कर दिया है, जो चालू वित्त वर्ष में 5,036 करोड़ रुपये ही था।

सौर ऊर्जा पर जोर

अक्षय ऊर्जा में सरकार का सबसे ज्यादा जोर सौर ऊर्जा पर है। सरकार ने 175 गीगावॉट में से 100 गीगावॉट हिस्सेदारी सौर ऊर्जा की रखी है क्योंकि देश–विदेश से कंपनियां इसमें निवेश भी कर रही हैं। इसी कारण वित्तमंत्री ने सबसे ज्यादा राहत भी इसी क्षेत्र को दी है। सोलर सेल, पैनल और मॉड्यूल बनाने में प्रयोग किए जाने वाले सोलर टेंपर्ड ग्लास पर अभी तक 5 प्रतिशत का मूलभूत सीमा शुल्क (बेसिक कस्टम ड्यूटी) लगता था, जिसे अब पूरी तरह हटा दिया गया है। सरकार ने इस ग्लास के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुर्जों और कच्चे माल से प्रतिकारी शुल्क (काउंटरवेलिंग ड्यूटी) भी घटाकर आधा कर दिया है। सोलर टेंपर्ड ग्लास का इस्तेमाल सोलर फोटोवोल्टाइक सेल और मॉड्यूल्स तथा सौर ऊर्जा बनाने वाले उपकरणों और वॉटर पंपिंग के पैनलों आदि में होता है। इसके अलावा सरकार ने बजट में अक्षय ऊर्जा के लिए आवंटित कुल राशि में से 3,361 करोड़ रुपये तो सौर ऊर्जा के ही नाम कर दिए हैं।

सौर ऊर्जा पर अगर भरोसा किया जा रहा है तो इस भरोसे का

इनाम भी मिल रहा है। सरकारी नीतियों और निजी क्षेत्र के निवेश के कारण ही इसके दाम में भी जबर्दस्त कमी आई है। 2010 में सौर ऊर्जा से बनी बिजली 14–15 रुपये प्रति यूनिट पड़ती थी, लेकिन आज यह 3 रुपये से भी नीचे चली गई है। फरवरी में ही सरकार ने मध्य प्रदेश में रीवा अल्ट्रा मेगा सौर बिजली परियोजना के लिए जब बोली लगवाईं तो इस क्षेत्र के बड़े विशेषज्ञ भी भौंचक्के रह गए। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्कों में शुमार इस परियोजना के लिए 2.97 रुपये प्रति यूनिट तक की बोली लगाई गई। इतनी सस्ती बिजली की कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह भी तब है, जब इस परियोजना को सरकार से कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। तमाम खर्चों और दूसरे शुल्कों को मिलाने के बाद इस परियोजना से बनने वाली बिजली लगभग 3.3 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी, जो कोयले से बनने वाली बिजली से कुछ सस्ती ही रहेगी। इसी तरह रूफटॉप सौर परियोजना में पिछले वर्ष नवंबर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी में 3 रुपये प्रति यूनिट तक की बोली लगाई गई थी। इससे उत्साहित होकर वित्तमंत्री ने इस बार के बजट में लगभग 7,000 रेलवे स्टेशनों को सौर ऊर्जा से चालित बनाने की घोषणा कर दी है। इसकी शुरुआत 300 स्टेशनों से की जा चुकी है और 1,000 मेगावॉट सौर ऊर्जा अभियान के अंतर्गत 2,000 रेलवे स्टेशनों पर काम और शुरू किया जाएगा।

पवन ऊर्जा का खयाल

सौर ऊर्जा की ही तरह पवन ऊर्जा का भी स्वच्छ बिजली हासिल करने में बड़ा योगदान है। देश में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान जैसे राज्यों में इसका जमकर उत्पादन हो रहा है। 175 गीगावॉट के सरकार के लक्ष्य में लगभग 60 गीगावॉट योगदान पवन ऊर्जा का भी रहने वाला है। इसके अलावा कभी खत्म नहीं होने वाले प्राकृतिक स्रोत से बनने वाली यह बिजली लाखों लोगों को रोजगार देने की क्षमता भी रखती है। इसीलिए इस बार के बजट में पवन ऊर्जा को प्रोत्साहित करने वाली घोषणाओं की पूरी उम्मीद थी। वित्तमंत्री ने इस मामले में निराश भी नहीं किया। सौर ऊर्जा की ही तरह उन्होंने पवन ऊर्जा का उत्पादन करने वाले उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पदार्थों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और कुछ विशेष करों में अच्छी–खासी राहत दे दी ताकि पवन ऊर्जा उत्पादन को बल मिल सके। मूलभूत सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने और काउंटरवेलिंग ड्यूटी विशेष कर पूरी तरह खत्म करने से अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में आने वालों की संख्या जरूर बढ़ेगी।

अक्षय ऊर्जा के छोटे स्रोतों का भी वित्तमंत्री ने ध्यान रखा है। उन्होंने फ्यूल सेल से बिजली बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनों के आयात पर लगने वाला शुल्क भी कम कर दिया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी साथ में जोड़ दी गई हैं। बायोगैस में भी इसी तरह की राहत दी गई है। लेकिन बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। उनका कोई जिक्र बजट में नहीं आया।

लेकिन इतना काफी है क्या?

बजट में अक्षय ऊर्जा के मामले में वित्तमंत्री की मंशा तो अच्छी नजर आई, लेकिन उसके हिसाब से कारगर उपायों में कुछ कसर रह गई। ऊपर बताया ही जा चुका है कि सरकार ने देश में 2022 तक 175 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का भारी–भरकम लक्ष्य रखा है। इसके लिए बेशुमार धन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। लेकिन केवल बजट के भरोसे बैठकर इतना धन नहीं आ सकता। धन का इंतजाम करने के लिए दूसरे स्रोत तलाशने पड़ेंगे। सौर ऊर्जा की 100 गीगावॉट की क्षमता हासिल करने के लिए ही लगभग 100 अरब डॉलर के कर्ज की जरूरत पड़ जाएगी। पूंजी का सबसे बड़ा स्रोत अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजार है, जहां लगभग 95,000 अरब डॉलर की राशि मौजूद है। लेकिन उस रकम को किफायती दरों पर भारतीय ऊर्जा उत्पादकों को मुहैया कराना काफी टेढ़ी खीर है। इस बार के बजट में जेटली इस पर विचार कर सकते थे और जरूरत के मुताबिक रकम दे सकते थे अथवा नीतियां बना सकते थे। लेकिन पिछले वर्ष के हरित बॉण्ड से आगे बढ़ना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा।

बजट आवंटन के मोर्चे पर भी कुछ कंजूसी बरती गई। पिछले बजट में इस क्षेत्र के लिए 5,036 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, लेकिन इस बार उसमें केवल 437 करोड़ रुपये का इजाफा किया गया यानी केवल 5,473 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें भी लगभग 74 प्रतिशत राशि ग्रिड में जाने वाली अक्षय ऊर्जा के लिए तय कर दी गई है, जिसमें 20 गीगावॉट क्षमता हासिल करने के लिए सोलर पार्कों के निर्माण के दूसरे चरण की बात की गई है।

इसके अलावा रूफटॉप सोलर परियोजनाओं की भी एक तरह से अनदेखी ही की गई है। अगर बजट में ठीकठाक सहायता मिली होती तो इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा उपकरण के जरिए बिजली बनाने की अर्थात रूफटॉप परियोजनाओं से अगले पांच वर्ष में करीब 15 गीगावॉट ऊर्जा क्षमता उत्पन्न हो सकती थी। बजट में वित्तमंत्री ने आवासीय बुनियादी ढांचे को तो अच्छी–खासी मदद दी है, लेकिन रूफटॉप सौर परियोजनाओं के लिए सीधे कुछ नहीं किया है। इनके लिए किसी बड़ी नीतिगत योजना का ऐलान भी नहीं किया गया है। इसी तरह सिंचाई के पंपों में से अगर 15 प्रतिशत को भी सौर पंपों में तब्दील कर दिया गया तो 20 गीगावॉट बिजली की क्षमता तैयार हो सकती है। सरकार चार वर्ष में किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है। यदि प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ने के साथ ही सस्ते कर्ज भी उपलब्ध करा दिए जाएं तो सौर पंपों में निवेश बढ़ सकता है, जिसका फायदा पूरे बिजली क्षेत्र को मिलेगा।

अक्षय ऊर्जा के साथ एक दिक्कत यह भी है कि उसमें पूंजी बहुत लगानी पड़ती है और उसका प्रतिफल मिलने में समय लग जाता है। ऐसे में जो वित्तीय जोखिम होता है, उसे बजट कितना कम कर पाएगा, यह देखने में अभी समय लगेगा। अध्ययन बताते हैं कि सस्ती दरों वाली सौर ऊर्जा में लगभग 70 प्रतिशत खर्च इक्विटी

अक्षय ऊर्जा और ग्रामीण भारत

अक्षय ऊर्जा के लिए इस बार का बजट चाहे मिला–जुला रहा हो, लेकिन गांवों को इस बजट से कोई शिकवा नहीं हो सकता। खासकर बिजली के मामले में वित्तमंत्री ने गांवों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। एक ओर 20,000 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क विकसित करने की बात कही गई है तो दूसरी ओर दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सभी गांवों को मई 2018 तक बिजली देने का भरोसा भी जताया गया है। ये दोनों लक्ष्य असल में एक–दूसरे से जुड़े हुए हैं। देश में पारंपरिक यानी कोयले से बनने वाली बिजली के ग्रिडों पर बोझ इतना ज्यादा है कि गांवों को उस बिजली से रोशन करना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा जैसे विकल्प बहुत कारगर साबित होने जा रहे हैं। गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में कुछ गांवों को पवन ऊर्जा से बिजली बेशक मिल रही है, लेकिन बिजली से महरूम 30 करोड़ की आबादी के घर रोशन करने में सौर ऊर्जा ज्यादा कारगर साबित होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण इलाकों में छिटपुट स्तर पर ही सही सोलर माइक्रोग्रिड और मिनीग्रिड के जरिए बिजली दी जा रही है। सरकार डेढ़ वर्ष के भीतर पूरे देश को रोशनी देने की चुनौती से अगर पार पाना चाहती है तो उसे इन्हीं ग्रिड पर काम करना होगा। इस मामले में सफलता मिलना भी तय है क्योंकि कारगिल और लद्दाख के बहुचर्चित सौर ऊर्जा प्रयोग से इतर कई उत्तरी और पूर्वी राज्यों में भी ऐसे ग्रिड सफलता से काम कर रहे हैं। बेशक यह छोटे–छोटे उद्यमों और संगठनों की लगन का नतीजा है। उदाहरण के लिए ओडिशा में कंधारा के जंगल में कई गांव स्थानीय माइक्रोग्रिड से जुड़े हैं, जहां सोलर प्लेटों के जरिए रात में घरों को तो बिजली मिलती ही है, सार्वजनिक स्थानों को भी रोशन किया जाता है। वहां फोटोवोल्टाइक सेल से बना एक केंद्रीय बिजली भंडार होता है, जो तारों के जरिए घरों और छोटे कारखानों से जोड़ा जाता है।

इसे बड़े स्तर पर लागू किया जा सकता है क्योंकि मौजूदा सरकार सौर ऊर्जा पर बहुत जोर दे रही है, जिससे गांवों में बिजली पहुंचने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है। सरकार ने लगभग 5,000 गांवों को सौर ऊर्जा की बिजली देने के लिए परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी है। सौर ऊर्जा केवल सामाजिक–स्तर और जीवन–स्तर ही नहीं बढ़ाती है बल्कि रोज 4–5 घंटे अतिरिक्त बिजली मिलने से ग्रामीण परिवारों की आय में भी करीब 30 प्रतिशत का इजाफा हो जाता है। सौर ऊर्जा बुनियादी ढांचे की इस कमी को पाटने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। पिछले चार वर्ष में पूंजी लागत में करीब 70 प्रतिशत कमी आई है, जिसके कारण अब सौर ऊर्जा की बिजली पहुंच से बाहर नहीं रह गई है।

सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा और एक सटीक व्यवस्था लानी होगी। केन्या जैसे देश को ही देख सकते हैं। वहां कई निजी उद्यमी माइक्रोग्रिड चला रहे हैं। उनके ग्राहक मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भुगतान करते हैं और जब उनके खाते से रकम खत्म हो जाती है तो बिजली अपने आप कट जाती है। भारत में भी ऐसा हो सकता है और उत्तर प्रदेश में मेरा गांव पावर तथा पश्चिम बंगाल में मेलिंडा फाउंडेशन ऐसा कर भी रही है। लेकिन हमारे देश में अक्सर ग्रिड से बेहद सस्ती और कभी–कभार मुफ्त बिजली मिलती है। ऐसे में माइक्रोग्रिड में निवेश करने वाले हिचकते हैं क्योंकि जैसे ही किसी इलाके में ग्रिड की बिजली पहुंचेगी, लोगों की दिलचस्पी माइक्रोग्रिड में खत्म हो जाएगी। अगर सरकार इन माइक्रोग्रिड की मरम्मत और रखरखाव के लिए कुछ आर्थिक मदद मुहैया कराती है और केन्या जैसी इस्तेमाल के मुताबिक भुगतान करने की व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू करती है तो गांवों को अंधेरे में बिल्कुल नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा निजी निवेशक भी निवेश करने के लिए आ जाएंगे।

यूं भी अक्षय ऊर्जा केवल रोशनी भर नहीं देगी बल्कि और भी कई काम करेगी। मसलन उत्तर प्रदेश में 15,000 घरों को रोशन कर चुका सिंपा नेटवर्क्स स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों को भी बिजली मुहैया करा रहा है। बिहार में धरनई गांव भी सोलर मिनी ग्रिड से रोशन हो रहा है। घर हों, स्कूल हों, स्वास्थ्य केंद्र हों या कुटीर उद्योग, गांव में सब कुछ इसी बिजली से चल रहा है। सनमोक्ष नाम की कंपनी ने तो ओडिशा में छोटकी गांव को सौर ऊर्जा की स्मार्ट नैनोग्रिड तकनीक से चलने वाला पहला 'स्मार्ट विलेज' ही बना दिया है। नगालैंड की राजधानी कोहिमा के पास एक गांव में सौर ऊर्जा से चलने वाला जलशोधन संयंत्र तक लगा दिया गया है, जिससे एकदम साफ पानी उपलब्ध होता है। एडजिला ने सौर ऊर्जा से चलने वाले टैबलेट बनाए हैं, जिनसे ग्रामीण कर्नाटक में शिक्षा का कायाकल्प हो रहा है।

सौर ऊर्जा एक और बड़ा काम कर सकती है और वह है डीजल से चलने वाले पंपों में कमी लाना। अगर 10 लाख डीजल पंपों के बजाय सोलर पंप लगा दिए जाएं तो खेती की उत्पादकता 30,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाने का अनुमान तमाम विश्लेषक लगाते हैं। बेशक ये पंप सामान्य पंप के मुकाबले तीन–चार गुना महंगे होते हैं, लेकिन सरकार को तीन–चार साल में इनके जरिए डीजल सब्सिडी की जो बचत होगी, उसी का इस्तेमाल कर वह इन पर सब्सिडी दे देती है तो सोलर पंप बहुत आराम से लग जाएंगे। इतना ही नहीं इन पंपों को बनाने, लगाने और अक्षय ऊर्जा के जरिए ग्रिड लगाने जैसे दूसरे कामों से भारी तादाद में रोजगार भी पैदा होंगे।

तथा कर्ज का ब्याज चुकाने में ही हो जाता है। लेकिन इस जोखिम को कम करने के लिए किसी भी एजेंसी को इस बार के बजट में किसी तरह की सहायता नहीं दी गई है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम को मिलने वाली वित्तीय सहायता भी आधी कर दी गई है। शायद यही वजह है कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञों ने भी बजट का ऐलान होने के बाद कहा है कि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट से बाहर ताकना जरूरी हो गया है। सौर ऊर्जा को जो आवंटन किया गया है, वह उत्पादकों के पास जाएगा या वितरकों के पास, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। 2016 में इस क्षेत्र ने जो भी हासिल किया, उसे देखते हुए सरकार से इस बार के बजट में और भी मदद मिलने की उम्मीद थी। लेकिन इस मोर्चे पर मायूसी ही हाथ लगी है।

एक और दिक्कत यह है कि बजट में 3,361 करोड़ रुपये तो सौर ऊर्जा के लिए दे दिए गए हैं, लेकिन पवन ऊर्जा के हिस्से केवल 408 करोड़ रुपये आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार सौर ऊर्जा को ही तवज्जो दे रही है। ऐसा तब है, जब पवन ऊर्जा बिजली उत्पादन के मामले में सौर ऊर्जा से अधिक सक्षम है। पवन ऊर्जा क्षेत्र ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन में संशोधन की उम्मीद भी लगाई थी, जो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। लेकिन इस मोर्चे पर कुछ नहीं किया गया।

छोटी पनबिजली परियोजनाओं और बायोगैस परियोजनाओं के साथ तो और भी सौतेला व्यवहार किया गया है। पनबिजली को 135 करोड़ रुपये और बायोगैस को केवल 76 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। माना जा रहा था कि बड़ी पनबिजली परियोजनाओं को भी अक्षय ऊर्जा के दायरे में लाया जाएगा क्योंकि आखिरकार उनमें पानी से ही बिजली बनती है और पानी तो अक्षय है।

अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय पर्यावरण कोष (एनईएफ) पर भी स्पष्टता की कमी दिख रही है। कोयले पर अभी तक 400 रुपये/टन उपकर वसूला जाता है और उसे एनईएफ में डालना होता है। इस उपकर के जरिए 31 मार्च, 2017 तक 54,336 करोड़ रुपये की भारी–भरकम रकम इकट्ठी किए जाने का अनुमान जताया गया है, लेकिन एनईएफ में केवल 25,810 करोड़ रुपये ही डाले गए हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इनमें भी बमुश्किल आधी रकम (12,427 करोड़ रुपये) अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर खर्च की गई है। बजट में जो भी आवंटन नवीकरणीय ऊर्जा के लिए किया जा रहा है, वह इसी कोष से आएगा। ऐसे में बजट में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए था कि उपकर का कितना हिस्सा एनईएफ में भेजा जाएगा। लेकिन वित्तमंत्री ऐसा करने से चूक गए।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भी अगले वित्तवर्ष में ही लागू होने वाला है। अक्षय ऊर्जा पर उसका कितना और कैसा असर पड़ेगा, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उद्योग और विश्लेषकों को लगता है कि सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों और पुर्जों को यदि मौजूदा कर दरों की श्रेणी में ही रखा जाता है तो जीएसटी का उस पर कम से कम असर पड़ेगा। लेकिन यदि अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता वाली श्रेणी में नहीं रखा गया तो मुश्किल हो सकती है। बजट से कुछ पहले जीएसटी परिषद से बिजली मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा के जीएसटी की दर शून्य रखने की सिफारिश भी की थी। मंत्रालय का कहना है कि चालू वित्तवर्ष तक लागू तमाम करों और शुल्कों को ज्यों का त्यों लिया गया तो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जरूरी कच्चे माल और सेवाओं पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। उस सूरत में कंपनियों का पूंजीगत खर्च 10–12 प्रतिशत बढ़ सकता है, जिस कारण पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली 30–40 पैसे और सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली 40–50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है। ऐसा हुआ तो सौर ऊर्जा की क्षमता में विस्तार करने के सरकार के मंसूबों को तगड़ा झटका लगेगा। हालांकि उम्मीद है कि जीएसटी परिषद प्रणाली लागू होने से पहले इसका पूरा ध्यान रखेगी। लेकिन वित्तमंत्री ने जीएसटी के मसले पर कुछ भी नहीं बोलकर इस अनिश्चितता को बरकरार रखा है।

इस बजट में खास बात यही रही कि अक्षय ऊर्जा के लिए नई योजनाओं का ऐलान नहीं किया गया और कुछ बड़ा भी नहीं किया गया। उसके बजाय पहले से घोषित योजनाओं को दुरुस्त करने पर ही जोर दिया जाता रहा। मसलन 20 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य की बात पहले ही की जा चुकी थी। इसे अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार आसान कर्ज मुहैया करा सकती थी या आवासीय क्षेत्र के लिए आवंटन में रूफटॉप सोलर उपकरणों को शामिल किया जा सकता था। लेकिन इस दिशा में कुछ नहीं किया गया।

हालांकि यह भी अजीब ही है कि पुरानी योजनाओं पर जोर देने के बावजूद कुछ ऐसी परियोजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जो अभी तक अटकी हुई हैं। मसलन वित्तमंत्री ने सोलर पार्क के निर्माण का दूसरा चरण आरंभ करने की बात बजट में कही है, जिसके तहत 20,000 मेगावॉट अतिरिक्त क्षमता का विकास किया जाएगा। लेकिन पहले चरण की कुछ परियोजनाओं पर अभी तक काम नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में 1,000 मेगावॉट का सोलर पार्क ऐसी ही परियोजना है। इसकी घोषणा 2014 के बजट में की गई थी, लेकिन यह घोषणा फाइलों में ही दबकर रह गई है। परियोजना के लिए जमीन तो तलाश ली गई है, लेकिन वहां पारेषण के लिए ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं है और इसके लिए आगे कोशिश भी नहीं की गई है। अगर बजट में ऐसी परियोजनाओं को गति देने का प्रयास किया जाता तो अच्छा रहता।

उद्योग का एक तबका यह भी मानता है कि कुछ पुर्जों से शुल्क और कर घटाने के साथ ही कुछ अन्य पुर्जों पर आयात शुल्क में जो इजाफा कर दिया गया है, वह यहां सोलर सेल और प्लेट बनाने वाले छोटे उद्यमियों के लिए भारी पड़ सकता है क्योंकि उनके माल की लागत बढ़ जाएगी और तैयार आयातित उपकरण उससे सस्ते पड़ेंगे। ऐसे में सरकार की दरियादिली का असली लाभ धरातल पर देखने को मिलेगा, इसमें संदेह है।

(लेखक आर्थिक दैनिक बिजनैस स्टैंडर्ड में पत्रकार हैं।)
ई–मेल : rishabhakrishan@gmail.com

बढ़ते स्वास्थ्य बजट में ग्रामीण भारत की भागीदारी

–आशुतोष कुमार सिंह

2017 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उल्लेखनीय इजाफा किया गया है। इसमें 2016–17 में 3706.55 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 47352.51 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार इसमें 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा सरकार ने 2017 तक कालाज़ार और फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करने की कार्ययोजना तैयार की है।

एक अत्यंत पुरानी और सर्वमान्य संकल्पना है कि पढ़ाई, दवाई और लड़ाई यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तीनों पूरी तरह निःशुल्क होने चाहिए। स्वाधीन भारत के संविधान निर्माताओं ने संभवतः इसी बात को ध्यान में रखकर भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित किया था और इसको ही ध्यान में रखकर सरकार हर वर्ष बजट बनाती है। बजट में हजारों करोड़ रुपये स्वास्थ्य के लिए आवंटित भी किए जाते हैं। परंतु दुःख का विषय यह है कि तमाम सरकारी प्रयत्नों के बावजूद अभी तक भी आदमी अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम है।

बहरहाल इस बजट के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर अलग से चर्चा की जानी आवश्यक प्रतीत होती है। सबसे पहला मुद्दा है सबके लिए स्वास्थ्य। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चला रखा है। पिछली सरकार ने शहरी स्वास्थ्य मिशन की भी शुरुआत की थी परंतु उसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बजट में ही रखा गया था। इस सरकार ने दोनों को अलग–अलग कर दिया है। परंतु सवाल है कि क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सबको स्वास्थ्य के लक्ष्य को पूरा कर सकता है?

ज्ञातव्य है कि देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई वर्ष 1983 में जिसमें पहली बार सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि स्वाधीनता मिलने के लगभग 46 वर्ष बाद सरकार को देश के स्वास्थ्य की चिंता हुई। इसके बाद देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और इसके उपकेंद्र खोले जाने लगे। परंतु इनकी संख्या देश की जनसंख्या के अनुपात में काफी कम थी। 2013 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2011 तक देश में एक लाख 76 हजार 820 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ब्लॉक स्तर), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप–केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त देश में 11 हजार 493 सरकारी अस्पताल हैं और 27 हजार 339 आयुष केंद्र। देश में (एलोपैथ के) 883812 डॉक्टर हैं। नर्सों की संख्या 18 लाख 94 हजार 9 सौ 68 बताई गई है। परंतु दूसरी ओर देश में 5 लाख से अधिक गांव हैं और अधिकतर गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच रही हैं।

अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति खराब है। कोई भी डॉक्टर गांवों में जाने के लिए तैयार नहीं है। जिन्हें भेजा जाता है, वे केंद्रों में बैठते नहीं हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब एमबीबीएस के छात्रों के लिए गांवों में एक वर्ष के लिए सेवा देना अनिवार्य किए जाने पर डॉक्टरों ने तीखा विरोध किया था। ऐसे में यह चिंतनीय हो जाता है कि यदि पर्याप्त संख्या में प्राथमिक

चिकित्सा केंद्र खोल भी दिए जाएंगे तो उसके लिए डॉक्टर कहां से लाए जाएंगे। हालांकि वर्ष 2012 के भारत सरकार के आंकड़ों को देखें तो प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों के लिए कुल 24049 डॉक्टरों की आवश्यकता थी और इसके लिए सरकार ने 31867 डॉक्टरों को नियुक्त करने की व्यवस्था की जिनमें से 28984 डॉक्टर केंद्रों में तैनात भी हैं। इस पर भी कुल 903 केंद्र डॉक्टरविहीन हैं और 14873 केंद्रों में केवल एक ही डॉक्टर उपलब्ध है। 7676 केंद्रों में लैब तकनीशियन नहीं हैं तो 5549 केंद्रों में फार्मसिस्ट नहीं है। केवल 5438 केंद्रों में महिला डॉक्टर उपलब्ध हैं। दूसरी ओर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या और भी दयनीय है। आवश्यकता है 19332 विशेषज्ञों की जबकि सरकार केवल 9914 की ही व्यवस्था कर पाई है और उनमें से भी 5858 ही कार्यरत हैं। ऐसे में निश्चित रूप से एक सवाल उठता है कि बढ़ते बजट के बीच आखिर ग्रामीणों का स्वास्थ्य कैसे सुधरे?

2017–18 के बजट में स्वास्थ्य की स्थिति

यह सच है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीति बनाना बहुत आसान काम नहीं होता है। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति मासिक आय के अनुपात में ग्रामीण इलाकों में 6.9 प्रतिशत और शहरी इलाकों में 5.5 प्रतिशत लोगों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। भारत में सरकारी अस्पतालों में प्रसव, नवजात और शिशुओं की देखभाल जैसी सेवाएं मुफ्त दी जाती हैं लेकिन इसके बावजूद अपनी जेब से भी बहुत पैसा देना पड़ता है। स्वास्थ्य नीति के तहत अगले पांच सालों में सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत जन–स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा जो मौजूदा एक प्रतिशत के स्तर से अधिक है।

2017 के बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उल्लेखनीय इजाफा किया गया है। 2016–17 के संशोधित अनुमान 39688 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इसे 48853 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार इसमें 27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की गई है। इसके अलावा सरकार ने 2017 तक काला–अज़ार और फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठ रोग, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक का उन्मूलन करने की कार्ययोजना तैयार की है।

विकास लक्ष्यों के अनुसार दुनिया में मातृत्व मृत्यु दर अनुपात में एक लाख प्रसव के आधार पर 70 प्रतिशत तक की कमी लाई जाएगी। 1990 में 560 के मातृत्व मृत्यु के अनुपात की तुलना में देश ने 2011 में इसे घटाकर 167 कर दिया। 1990 में 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 126 थी जो 2014 में 39 हो गई। 2017 के बजट के प्रकाश में सरकार ने शिशु मृत्यु दर 2014 में 39 से कम करके 2019 तक 28 तक लाने की योजना बनाई है। इसी प्रकार 2011 की मातृत्व मृत्यु दर 167 को कम करके 2020 तक 100 तक करने का लक्ष्य है। देश के 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आज भी यह चुनौती बनी हुई है। इन राज्यों में देश की कुल आबादी का 42 प्रतिशत हिस्सा निवास करता है और वार्षिक आबादी वृद्धि में 56 प्रतिशत हिस्सा इन राज्यों का है। भारत में जनस्वास्थ्य सुविधा और प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं का एक विशाल संगठन विकसित किया गया है। प्राथमिक और दूसरे स्तर के अस्पतालों के लिए बुनियादी ढांचा और मानव संसाधन विकास पर जोर दिया जा रहा है। 2017 के बजट में 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है जिसका सीधा फायदा ग्रामीण भारत को मिलने वाला है। इसके अलावा देशभर में गर्भवती महिलाओं के लिए एक योजना चलाई जाएगी जिसके तहत प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये योजनाएं मुफ्त दवा, मुफ्त निदान और मुफ्त आपातकालीन सेवाओं के साथ चलेंगी। यदि प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली बेहतर रूप से काम करे तो ऊपर के अस्पतालों पर बोझ कम होता है। 2017 के बजट में इस पर ध्यान दिया गया है।

भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। 2017 के बजट में प्रति वर्ष स्नातकोत्तर की 5 हजार सीटों की व्यवस्था बनाए जाने का प्रस्ताव है ताकि दूसरे और तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक मिल सकें। भारत सरकार ने चिकित्सा सुविधा और अभ्यास संबंधी नियमों में बदलाव लाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का संकेत दिया है। देश में बढ़ी हुई स्नातकोत्तर सीटों की उपलब्धता और एक केंद्रीय प्रवेश प्रणाली जैसे सुधारों ने चिकित्सा सुविधा की गुणवत्ता बढ़ाई है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि इनकी कमी के कारण देश में न सिर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव हो जाता है बल्कि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी हो जाती है।

मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा अनुसंधान के बीच सहयोग को मजबूत किया गया है। भारत में सरकार द्वारा वित्तपोषित 32 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग संस्थान हैं। इस संबंध में नीति, चिकित्सा उपकरणों में अभिनव प्रयोग, बुनियादी अनुसंधान, सस्ते अभिनव प्रयोग, नई दवाओं की खोज, अनुसंधान में भागीदारी और डाटाबेस के सृजन पर जोर दिया जा रहा है। जब हम बजट की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे पिछले वर्ष का बजट भाषण भी याद आ रहा है जिसको याद कर लेना पाठकों की जानकारी के लिहाज से बेहतर होगा।

2016–17 के बजटीय भाषण के वक्त वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने जब देश के स्वास्थ्य के हिस्से की चर्चा करनी शुरू की तब संसद में मेज थपथपाने की आवाज कुछ ज्यादा ही तीव्र थी। कारण स्पष्ट था। इस बार सरकार स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चौकस थी। देश के स्वास्थ्य की चिंता इस बजट में साफतौर पर दिखी।

नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जब वित्तमंत्री ने घोषणा की तो इसकी तारीफ चहुंओर हुई। इस मौके पर वित्तमंत्री ने देश की गरीब व उसकी गरीबी को रेखांकित करते हुए चिंता जताई कि परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी, आर्थिक रूप से कमजोर

परिवार की आर्थिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डालती है। ऐसे परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी जो प्रति परिवार एक लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करेगी। वहीं घर के बुजुर्ग को 30 हजार रुपये का अतिरिक्त कवर मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवार के घर में कोई बुजुर्ग है तो उसे 1 लाख 30 हजार रुपये तक की कवरेज मिलेगी। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी.नड्डा ने कहा, 'बजट, 2016–17 एक दूरदर्शी और प्रगतिशील बजट है जिसमें ग्रामीणों, किसानों, युवाओं सहित समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है। बजट से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को भी पूरा फायदा पहुंचेगा। बजट से देश के विकास को गति मिलेगी।' स्वास्थ्य मंत्री ने बुजुर्गों को दिए जाने वाले स्वास्थ्य कवरेज की तारीफ करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से पूरे परिवार को और खासतौर से वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा से बढ़ेगी देश की उत्पादन शक्ति

किसी भी राष्ट्र–राज्य के नागरिक स्वास्थ्य को समझे बिना वहां के विकास को नहीं समझा जा सकता है। दुनिया के तमाम विकसित देश अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतनशील व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रयत्नशील रहे हैं। नागरिकों का बेहतर स्वास्थ्य राष्ट्र की प्रगति को तीव्रता प्रदान करता है। इतिहास गवाह रहा है कि जिस देश के लोग ज्यादा स्वस्थ रहे हैं, वहां की उत्पादन शक्ति बेहतर रही है। और किसी भी विकासशील देश के लिए अपनी उत्पादन शक्ति को सकारात्मक बनाए रखना ही उसकी विकसित देश की ओर बढ़ने की पहली शर्त है। ऐसे में भारत को पूरी तरह कैसे स्वस्थ बनाया जाए, यह एक अहम् प्रश्न है। अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय नागरिकों को पूर्णरूपेण स्वास्थ्य सुरक्षा कैसे दी जाए, आज भी एक यक्ष प्रश्न है। ऐसे में एक स्वास्थ्य चिंतक होने के नाते कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर मैं चिंतन–मनन करता रहा हूं। हमें लगता है कि सरकार इन सुझाओं पर ध्यान दे तो इस दिशा में और बेहतर परिणाम आ सकते हैं।

सबको मिले स्वास्थ्य सुरक्षा

भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। यहां की सरकार जनपक्षीय है। यहां पर जो भी नीति बनती–बिगड़ती है, उसका सरोकार जनता से ही होता है। स्वास्थ्य नीतियों को बनाते समय भी सरकारों का ध्येय जनता का स्वास्थ्य अर्थात् राष्ट्र का स्वास्थ्य ही रहा है। लेकिन जाने–अनजाने में भारत के स्वास्थ्य को समग्र रूप से सामाजिक सुरक्षा के दायरे में कैसे लाया जाए, इस पर व्यापक नीति सामने नहीं आ पाई है। भारतीय शुरू से ही अपने स्वास्थ्य के बारे में सजग रहे हैं, उनकी समझ भी बेहतर रही है, जो कालांतर में आकर गुलामी की वजह से अपनी ज्ञान–परंपरा से विमुख होते गए। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली जिसका तीव्र विकास पिछले 5–6 दशकों में हुआ है, के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक तरफ तो क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं तो दूसरी तरफ इसके दुष्परिणाम ने बीमारियों की नई–नई प्रजातियों को पनपने का मौका दिया है! ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक के लिए खुद को स्वस्थ रख पाना एक चुनौती के समान है। ऐसे में आर्थिक रूप से गैर–बराबरी जहां पर ज्यादा हो, वहां पर नई चिकित्सा पद्धति के तहत खुद के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाना अब आसान नहीं रह गया है। ऐसे में देश के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ रखने के लिए वृहद सरकारी नीति बनाने की जरूरत है। ऐसे उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कोई बीमार ही न पड़े। इस दिशा में इस बार के बजट में दो महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार ने पहल की भी है। एक तो बीपीएल श्रेणी की महिलाओं के नाम से एलपीजी कनेक्शन देने की घोषणा और दूसरा स्वच्छ भारत अभियान के लिए 9 हजार करोड़ का बजट। यह दोनों ही योजनाएं स्वस्थ बने रहने में सहायक हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि बीमारी व बीमारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे सामाजिक गैर–बराबरी बढ़ रही है। इस स्थिति से उबरने के लिए क्या किया जा सकता है। इस संदर्भ में खासतौर से बीमा योजना को ध्यान में रखते हुए कुछ सुझाव दे रहा हूं।

आदर्श स्वास्थ्य व्यवस्था हेतु अन्य सुझाव

आदर्श स्वास्थ्य व्यवस्था लागू करने के लिए सरकार को निम्न सुझाओं पर गंभीरता पूर्वक अमल करने की जरूरत है:

- प्रत्येक गांव में सार्वजनिक शौचालय हो;
- खेलने योग्य खेल का मैदान हो;
- प्रत्येक स्कूल में योग शिक्षक के साथ–साथ स्वास्थ्य शिक्षक की बहाली हो;
- प्रत्येक गांव में सरकारी फार्मासिस्ट की दुकान की व्यवस्था हो, जहां लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकें;
- सभी कच्ची–पक्की सड़कों के बगल में पीपल व नीम के पेड़ लगाने की व्यवस्था के साथ–साथ हर घर–आंगन में तुलसी का पौधा लगाने हेतु नागरिकों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए।

निष्कर्ष

बढ़ते स्वास्थ्य बजट के बीच यह ध्यान दिया जाना जरूरी है कि ग्रामीण भारत की सेहत को और बेहतर कैसे किया जाए। क्योंकि सर्वविदित है कि गांवों में भारत की आत्मा बसती है। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तंदुरुस्त करने की बात कही गई है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए लेकिन इन बातों का धरातल पर उतरना अभी बाकी है।

(लेखक स्वस्थ भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं। फिलहाल वे 'स्वस्थ बालिका, स्वस्थ समाज' का संदेश देने के लिए 16000 किमी. की स्वस्थ भारत यात्रा पर निकले हुए हैं।)

ई–मेल : forhealthyindia@gmail.com

पेयजल और ग्रामीण स्वच्छता को प्राथमिकता

–धीप्रज्ञ द्विवेदी

ग्रामीण भारत स्वच्छता कवरेज अक्तूबर 2014 के 42 प्रतिशत से बढ़कर वर्तमान में 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। देशभर में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 3.47 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। वित्तवर्ष 2017–18 में खुले में शौचमुक्त क्षेत्रों में पाईपयुक्त शुद्ध जलापूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित्तवर्ष 2016–17 में ₹ 11,300 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन इसमें लगभग 12800 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वर्ष 2017–18 में इसमें ₹ 16248 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु वित्तवर्ष 2016–17 में ₹ 6000 करोड़ (संशोधित) का प्रावधान रखा गया है जिसे 2017–18 में बढ़ाकर ₹ 6050 करोड़ कर दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल के उपमिशन के हिस्से के रूप में अगले 4 वर्षों के लिए आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित 28000 से अधिक बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत में ग्रामीण स्वच्छता को लेकर प्रयास स्वतंत्रता के बाद ही प्रारम्भ हो गए थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1954 में पहली बार ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया था। लेकिन वर्ष 1981 की जनगणना से यह बात सामने आई कि केवल 1 प्रतिशत घरों में ही शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में 1981–90 के दशक को शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता का दशक घोषित किया गया। इसी के साथ भारत में, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम वर्ष 1986 में ग्रामीणों के जीवन–स्तर में सुधार करने तथा महिलाओं को निजता और सम्मान प्रदान कराने के लिए प्रारंभ किया गया। गरीबी–रेखा से नीचे के परिवारों द्वारा निजी पारिवारिक शौचालय बनवाए जाने और उसका इस्तेमाल किए जाने की उनकी उपलबिधयों को मान्यता देने के लिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत क्रियाकलाप शुरू करने के अलावा विद्यालय शौचालय इकाइयों, आंगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिए भी सहायता का विस्तार किया गया। स्वच्छता के विचार को विस्तारित कर 1993 में इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता, गृह स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल तथा कूड़े–कचरे, मानव मलमूत्र और नाली के दूषित पानी के निस्तारण को भी शामिल किया गया है।

गरीबी–रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, शुष्क शौचालयों का फ्लश शौचालयों में उन्नयन, महिलाओं के लिए ग्राम स्वच्छता भवनों का निर्माण, स्वच्छता बाजारों तथा उत्पादन केंद्रों की स्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के लिए सघन अभियान चलाना आदि भी इस कार्यक्रम के अंग हैं। केंद्र, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों और अन्य निष्पादन संस्थाओं के अनुभवों को देखते हुए तथा ग्रामीण स्वच्छता पर आयोजित द्वितीय सेमिनार की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना के ढांचे को 1 अप्रैल, 1999 को पुनःनिर्मित किया गया। नए बने कार्यक्रम में धन के गरीबी–आधारित राज्यवार आवंटन को नकार कर मांग–आधारित प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात कही गई है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया और आवंटन

आधारित कार्यक्रम को चरणबद्ध प्रक्रिया द्वारा 31 मार्च, 2002 तक समाप्त कर दिया गया। 1 अप्रैल, 2012 को सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के एक हिस्से के रूप में, भारत निर्माण योजना के अंदर 'निर्मल भारत अभियान' प्रारम्भ हुआ। इसके अंतर्गत निर्मल ग्राम पंचायत विकसित करने की योजना थी। निर्मल भारत अभियान को मनरेगा के साथ जोड़ा गया और विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर प्रगति देखी गई। इस कार्यक्रम में बस्तियों के बीच पक्की नालियों का निर्माण किया गया। इससे कई तरह के फायदे हो रहे हैं। एक तो गलियों में प्रदूषण नहीं फैलता। लोगों को गंदे पानी में से होकर नहीं आना–जाना पड़ता। दूसरी तरफ, गंदा पानी हमारे पेयजल स्रोत को प्रभावित नहीं करता है। सरकार की पहल पर ग्राम पंचायत–स्तर पर स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई निगरानी समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां ग्रामीण स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था सुधार में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन समितियों की बदौलत ग्रामीण भारत की स्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ। सुधार के बाद भी सार्वभौमिक स्वच्छता का लक्ष्य काफी दूर था।

स्वच्छता अभियान को तीव्रता प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसके प्रयासों में तेजी लाने तथा स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्तूबर, 2014 को 'स्वच्छ भारत अभियान' का शुभारंभ महात्मा गांधी की 145 वीं जयंती पर किया। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ–सफाई के स्तर में सुधार लाना है। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। यह एक राष्ट्रीय–स्तर का अभियान है और भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है जोकि शहरों और गांवों की सफाई के लिए आरम्भ किया गया है। इस अभियान में शौचालयों का निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, गलियों व सड़कों की सफाई, देश के बुनियादी ढांचे को बदलना आदि शामिल हैं। इसके उद्देश्यों में शामिल हैं–

- सरकारी, शिक्षाजगत, व्यापार और ईएनवीआईएस सहित गैर–सरकारी संगठनों के सूचना प्रयोगकर्ताओं, वाहकों और प्रदात्ताओं के साथ संपर्क स्थापित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन–स्तर में सुधार करना।
- देश में सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल स्थिति प्राप्त करने के साथ 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना।
- जागरूकता सृजन और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने वाले समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
- पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए किफायती तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए, समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित करना।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एक नजर में

संपूर्ण भारत में शौचालय	61.05 प्रतिशत
खुले में शौचमुक्त राज्य	3
खुले में शौचमुक्त गांव	1,63,894
'नमामि गंगे' के तहत खुले में शौचमुक्त गांव	3006
खुले में शौचमुक्त ग्राम पंचायतें	74673
खुले में शौचमुक्त जिले	96

*ये आंकड़े फरवरी 2017 तक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, जो पहले पेयजल और स्वच्छता विभाग के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत था, अब एक अलग मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है। इसकी शुरुआत त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) 1972–1973 के रूप में हुई थी। इसकी कवरेज में तेजी लाने के लिए 1986 में पेयजल प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था। वर्ष 1991–92 में इस मिशन का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन रखा गया था तथा वर्ष 1991 में पेयजल और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) का गठन किया गया था। पहली प्रमुख क्षेत्र सुधार परियोजना (एसआरपी) उसी वर्ष शुरू की गई थी। बाद में, वर्ष 2010 में इसका नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग रखा गया था, तथा सरकार द्वारा इस क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिए जाने को ध्यान में रखते हुए इसे मंत्रालय का दर्जा दिया गया था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय देश में पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों की समग्र नीति, योजना, वित्तपोषण और समन्वय के लिए नोडल विभाग है। पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2009 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम विभिन्न स्टेक होल्डरों के पूर्व प्रयासों से प्राप्त अनुभवों पर आधारित है एवं वर्तमान में संचालित समस्त ग्रामीण पेयजल योजनाओं को समेकित कर एक एकल (एकीकृत) कार्यक्रम के रूप में आरंभ करने का प्रयास किया गया है। एनआरडीडब्ल्यूपी का मुख्य उद्देश्य भारत के समस्त ग्रामीण नागरिकों हेतु पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पेयजल सुरक्षा से तात्पर्य है कि प्रत्येक ग्रामीण को हर समय एवं (बाढ़ व सूखे सहित) सभी परिस्थितियों में पीने, भोजन बनाने एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं तथा मवेशियों हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध हो। गांव में रहने वाले लोगों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि

वे यह तय करें कि उनके पास कितना पानी उपलब्ध है व उसका उपयोग वे किस प्रकार करते हैं तथा पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। इसके महत्व को समझते हुए इस बात के प्रबंध किए गए हैं कि राज्य सरकारें पेयजल सुरक्षा हेतु नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं को सौप दें। पेयजल सुरक्षा के लिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समुदाय का नेतृत्व एवं प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायतों को आगे आना चाहिए। ग्राम पंचायतों को ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से समाज को प्रेरित एवं शिक्षित करना चाहिए एवं यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेयजल सुरक्षा हेतु उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग प्राप्त हो। ग्रामसभा निर्णय लेने एवं योजनाओं की स्वीकृति (अनुमोदन) का एक मुख्य मंच है।

भारत में कुल 1714431 बस्तियों तक पेयजल उपलब्ध कराया जाना है जिनमें से वर्ष 2016–17 के लिए लक्षित (मंत्रालय के अनुसार) बस्तियों की संख्या 56835 थी इसमें अब तक की उपलब्धि 38503 रही है। जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों की संख्या 01.04.2016 तक 71077 थी, जिसमें से 2016–17 के लिए लक्षित (मंत्रालय के अनुसार) संख्या 12812 थी और उपलब्धि 3056 बस्तियों की रही है। आंशिक रूप से कवर बस्तियों की संख्या 01.04.2016 तक 336774 थी जिसमें 2016–17 के लिए लक्षित (मंत्रालय के अनुसार) संख्या 44023 थी और उपलब्धि 15686 की रही है। पूरी तरह से कवर बस्तियों की संख्या 01.04.2016 तक 1306580 थी, जबकि 2016–17 के लिए लक्षित (मंत्रालय के अनुसार) संख्या 26978 थी, जिसमें से अब तक की उपलब्धि 19761 बस्तियों तक रही है। नए बजट में न केवल पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रवधान रखा गया है बल्कि उसकी गुणवत्ता को भी बेहतर करने का प्रयास है। साथ ही प्रदूषित भू–जल वाले क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण इलाके में पक्की नालियां, पीने के लिए शुद्ध पेयजल एवं साफ–सफाई व्यवस्था को बखूबी देखा जा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक बीस राज्यों की सात करोड़ आबादी फ्लोराइड और एक करोड़ लोग सतह के जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा घुल जाने के खतरों से जूझ रहे हैं। इसके अलावा, सुरक्षित पेयजल कार्यक्रम के तहत सतह के जल में फ्लोराइड, टीडीसी, नाइट्रेट की अधिकता भी बड़ी बाधा बनी हुई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब साठ फीसदी बीमारियों की मूल वजह जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जलधाराओं में विसर्जित कर दिया जाना है।

राज्यसभा में फरवरी 2017 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में सूचना दी कि पूरे देश में 66,663 बस्तियां आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रदूषण से प्रभावित हैं। लेकिन सरकार 2022 तक 80 प्रतिशत घरों तक नल–जल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 6 फरवरी, 2017 को राज्यसभा में पेयजल मंत्री ने कहा कि जहां खनन होता है उन राज्यों के लिए एक विशेष योजना विकसित की गई है और कहा कि विभिन्न राज्यों में पीने के पानी में सुधार के लिए ₹ 800 करोड़ की विशेष धनराशि प्रदान की गई है। ₹ 100 करोड़ की विशेष सहायता भी पश्चिम बंगाल और राजस्थान, जो आर्सेनिक और फ्लोराइड के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में हैं और सरकार उन्हें हटाने की दिशा में काम कर रही है, को प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के लिए स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ₹ 25,000 करोड़ रुपये की एक विशेष योजना तैयार की है, जिसमें से ₹ 1250 करोड़ इस वर्ष के लिए निर्धारित किए गए हैं और ₹ 760 करोड़ पहले ही राज्यों को जारी किए गए हैं। 9113 स्वच्छ पेयजल स्टेशनों की स्थापना की तरह छोटे सुधार भी किए जा रहे हैं। साथ ही देश भर में एक लाख स्कूलों में आरओ 1000 लीटर प्रतिदिन पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए हैं।

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक एक लीटर पानी में 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक तक किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इससे अधिक होने पर मानव जीवन के लिए नुकसानदायक होता है। आर्सेनिक की अधिकता वाले पानी को पेयजल में इस्तेमाल किए जाने से त्वचा, खून और फेफड़े के कैंसर तथा बच्चों में कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत और हड्डियों की बीमारी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार की कोशिश है कि लोगों को शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जाए ताकि वे विभिन्न बीमारियों से प्रभावित न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक रणनीतिक योजना 2011–22 तैयार की गई थी जिसके अंतर्गत सभी ग्रामीण घरों में एक मीटर के जरिए पर्याप्त मात्रा में नल–जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। पेयजल की आपूर्ति को राष्ट्रीय पेयजल मानकों के अनुसार किया जाएगा। हर ग्रामीण व्यक्ति को पीने, खाना पकाने और दूसरे अन्य कार्यों के लिए जिसमें घरेलू जरूरतों के साथ–साथ पशुधन भी शामिल हैं, के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी निर्बाध जलापूर्ति हो पाएगी। वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण

व्यक्ति को अपने घर के भीतर कम से कम 70 एलपीसीडी पानी उपलब्ध होगा। राज्य अपनी सुविधानुसार इसे 100 एलपीसीडी या उससे भी अधिक कर सकते हैं।

इसमें यह भी प्रस्तावित है कि वर्ष 2017 तक देश के कम से कम 55 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल–जल पहुंचाया जाएगा। कम से कम 35 प्रतिशत घरों तक सीधे नल की सुविधा होगी, 20 प्रतिशत से कम लोगों को ही सार्वजनिक नल का उपयोग करना पड़ेगा, जबकि हैंडपम्प का उपयोग करने वालों की संख्या को 45 प्रतिशत से नीचे लाने का लक्ष्य है। यह भी लक्ष्य रखा गया था कि ग्रामीण घरों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो सके। पानी की खराब गुणवत्ता से निपटने के लिए सरकार ने वरीयता क्रम में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को ऊपर रखा है। इसके बाद लोहे, खारेपन, नाइट्रेट और अन्य तत्वों से प्रभावित पानी की समस्या से निपटने का लक्ष्य बनाया गया है। एक बार जिन बस्तियों को पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी है उन्हें पुनः ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए जल स्रोतों के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। गांवों और बस्तियों में पेयजल सुरक्षा–स्तर बहाली के लिए वर्षाजल, सतही जल तथा भू–गर्भीय जल के उचित उपयोग की व्यवस्था की गई है। गांवों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन, कार्यान्वयन और मरम्मत का ग्रामीण–स्तर पर विकेंद्रीकृत, मांग आधारित और समुदाय प्रबंधित योजना 'स्वजलधारा' प्रारंभ की गई थी। वर्तमान बजट इन लक्ष्यों को पाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति में कई संस्थानों की सहभागिता होती है जैसे ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, इत्यादि। लेकिन इसमें सबसे मत्वपूर्ण कार्य पानी समिति/ग्राम जलापूर्ति समिति का है। ग्राम जलापूर्ति समिति ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति है एवं ग्राम पेयजल सुरक्षा हेतु नियोजन, क्रियान्वयन, संचालन रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है जिसमें एक प्रमुख दायित्व है जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी। रोगाणु संक्रमण, अस्वच्छताजनित अनेक रोगों जैसे डायरिया (दस्त) पेचिश, हैजा, टायफाइड आदि का कारण हैं। भूजल स्रोतों में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की अधिकता से फ्लोरोसिस एवं आर्सेनिक डर्मेटायटिस रोग भी उत्पन्न होने लगे हैं। वर्तमान बजट में इन सभी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है।

वर्तमान बजट के प्रावधानों से उम्मीद है कि देश में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को और तेजी मिलेगी। स्वच्छता का लक्ष्य 2019 तक प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही, ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति 70 एलपीसीडी जल 2022 तक सुनिश्चित किया जा सकेगा।

(लेखक स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्य कर रही संस्था 'स्वस्थ भारत' के संस्थापक सदस्य हैं।)

ई–मेल : dhirnesh.dubey@outlook.com

फॉर्म–IV

कुरुक्षेत्र (हिंदी) मासिक पत्रिका के स्वामित्व एवं भागीदारी तथा अन्य विवरण

(1) प्रकाशन का स्थान	:	नई दिल्ली
(2) प्रकाशन की अवधि	:	मासिक
(3) मुद्रक का नाम	:	डॉ. साधना राउत
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
(4) प्रकाशक का नाम	:	डॉ. साधना राउत
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
(5) संपादक का नाम	:	ललिता खुराना
राष्ट्रीयता	:	भारतीय
पता	:	कुरुक्षेत्र (हिंदी), कमरा नं. 655 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
(6) उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार–पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों	:	सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार पूर्ण साझेदार है।

मैं डॉ. साधना राउत एतद् द्वारा घोषणा करती हूं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांक : 31.01.2017

(डॉ. साधना राउत)
प्रकाशक

पंचायतों की गरीबी मुक्ति में कितना सहायक बजट

–अरुण तिवारी

केंद्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने ग्रामीण क्षेत्र का उल्लेख 'गांधी के दिल को प्रिय क्षेत्र' के रूप में किया। अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने यह प्रतिबिंबित करने की भी पूरी कोशिश की कि 'गांधी के दिल को प्रिय क्षेत्र' इस बजट की प्राथमिकताओं में है। उन्होंने गांव और कृषि क्षेत्र को अपनी सरकार की नजर में ऐसा क्षेत्र बताया, जिससे समझौता नहीं किया जा सकता। श्री जेटली ने कहा–''महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने तथा 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबीमुक्त बनाने के लिए हम जवाबदेही, परिणाम और अभिसरण पर पूरा ध्यान केन्द्रित करते हुए मिशन अंत्योदय शुरू करेंगे। ''गौरतलब है कि न तो गरीबी मुक्ति की यह घोषणा नई है और न ही मिशन अंत्योदय; नया है तो गरीबी मुक्ति लक्ष्य का संख्याबद्ध और समयबद्ध होना। भारत में कुल दो लाख, 38 हजार, 617 ग्राम पंचायतें हैं। इस नाते उक्त घोषणा को हम पंचायती गांवों की गरीबी मुक्ति हेतु वित्तवर्ष 2017–18 के केन्द्रीय बजट की आधारभूत और चरणबद्ध घोषणा भी कह सकते हैं।

वित्तीय घोषणाओं में कितना दम?

मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हेतु 23 हजार करोड़, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्यों की हिस्सेदारी मिलाकर 27 हजार करोड़, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योति योजना हेतु 4,814 करोड़, अनुसूचित जाति कल्याण हेतु 52,393 करोड़, अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु 31,920 करोड़, ग्राम महिला शक्ति केन्द्र हेतु 500 करोड़, कृषि क्षेत्र को 51,026 करोड़, नाबार्ड का 40 हजार करोड़ का दीर्घकालिक सिंचाई संग्रह कोष; फसल बीमा योजना हेतु 9000 करोड़ और दीनदयाल उपाध्याय योजना (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) बजट में 4500 करोड़ की वृद्धि –ग्रामीण क्षेत्र संबंधी सभी वित्तीय घोषणाएं गांवों की गरीबी मुक्ति की आधारभूत घोषणा को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से पुष्ट करने का आर्थिक आश्वासन हैं। बकौल वित्तमंत्री गांव, कृषि और संबंधित क्षेत्रों के मद में दिया गया कुल मिलाकर बजट 1,87,223 करोड़ रुपये बैठता है। वित्तमंत्री ने इस बजट प्रावधान को पिछले वित्तवर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक बताया। हालांकि अर्थशास्त्री इस दावे से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि गांवों में जहां देश की 72 प्रतिशत से अधिक आबादी रहती है, देश के कुल बजट में गांवों का हिस्सा बेहद कम है।

क्या सिर्फ बजट ही है काफी?

मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं एक गंवई पत्रकार हूं। बजट विश्लेषण के मेरे आधार भिन्न हैं। मेरा मानना है कि यदि बजट घोषणाओं से ही आर्थिक गरीबी दूर हो सकती, तो गांवों के हिस्से की बजट राशि को सीधे–सीधे एक करोड़ ग्रामीण परिवारों के खाते में पहुंचा देने से ही उनकी गरीबी–मुक्ति हो जाती। मेरा आकलन है कि बजट का ज्यादातर पैसा तो योजनाओं को चलाने वालों की तनख्वाहों, सुविधाओं, दफ्तरों के रखरखाव और विज्ञापनों में ही खर्च हो जाता है; लक्ष्य लाभार्थी तक तो अंशमात्र ही पहुंचता है; इस चित्र को उलट देना चाहिए। अब तक का चित्र यह है कि गरीबी मुक्ति की सरकारी योजनाएं और घोषणाएं गांव से ज्यादा, पंचायत प्रतिनिधियों को धनी बनाने वाली साबित हुई हैं। 50 हजार पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा, 50 हजार पंचायती गांवों की गरीबी मुक्ति की घोषणा साबित हो; इसके लिए वित्तीय प्रावधानों से ज्यादा, उन प्रावधानों का विश्लेषण जरूरी है, जोकि गरीबी मुक्ति के सपने को सच करने के लिए जरूरी हैं।

कैसे हो गरीबी मुक्ति?

आर्थिक गरीबी से मुक्ति के आधार सूत्र दो ही हैं : अधिक से अधिक कमाई और अधिक से अधिक बचत। अधिक से अधिक कमाई के लिए हमारे गांवों को पांच व्यवस्थाएं चाहिए : कृषि योग्य भूमि का मालिकाना, मौजूद हुनर के हिसाब से अधिकतम काम, काम के हिसाब से अधिकतम मजदूरी तथा गांव में पैदा अथवा निर्मित सामान का अधिकतम संभव दाम। आंकड़ा, उत्पादन पश्चात् खासकर सब्जी व बागवानी उत्पादों के 40 प्रतिशत तक नष्ट हो जाने का है। अतः कृषि उत्पाद को रोककर रखने की किसान की क्षमता बढ़ाने संबंधी व्यवस्था की जरूरत पांचवीं है। उपलब्ध काम के हिसाब से हुनर सिखाने को आप अतिरिक्त प्राथमिकता में रख सकते हैं। गांवों में खर्च के मुख्य मदों को देखें, तो अधिक से अधिक बचत के लिए 10 व्यवस्थाएं चाहिए : सस्ती दवाई, सस्ती पढ़ाई, सस्ती सिंचाई, सस्ता ईंधन, सस्ते कृषि उपकरण, सस्ती खाद, टिकाऊ बीज, नशामुक्ति, खर्चीली शादी से मुक्ति और थाना–कचहरी से मुक्ति। क्या केन्द्रीय बजट 2017–18 में इनका प्रावधान है? आइये, जांच करें।

बचत का जरिया

''एक करोड़ गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए वर्ष 2019 तक पक्का मकान बनाने का लक्ष्य, मार्च, 2018 तक डेढ़ लाख पंचायतों में तेज स्पीड वाली ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता, ब्रॉडबैंड सेवा का उपयोग कर टेलीमेडिसन के जरिए स्वास्थ्य संबंधी मसलों पर गांववासियों की मदद तथा पांच लाख और नए तालाब बनाकर ग्राम पंचायतों को सूखामुक्त बनाने का लक्ष्य'' – बजट भाषण में उल्लिखित ये लक्ष्य लाभार्थियों के क्रमशः आवास, दवाई और सिंचाई खर्च को कम करेंगे। अतः ये बचत कराने वाले कदम हैं। गांवों की बचत सुनिश्चित कराने वाली अन्य मदों पर वर्तमान बजट या तो कुछ नहीं कहता अथवा विपरीत कहता है।

कमाई के आधार

''वर्ष 2018 तक चार लाख हेक्टेयर से अधिक सूखी ज़मीन को सिंचाई के अंतर्गत लाया जाएगा। वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों के पांच लाख लोगों को इमारती मिस्त्री का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। दीनदयाल उपाध्याय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण इलाकों में कौशल विकास और आजीविका अवसर बढ़ाएगा। स्टैंडअप इंडिया योजना–2016 दलित, आदिवासी और महिला उद्यमियों को हरित उद्यम स्थापित करने और दूसरों को रोजगार देने वाला बनाएगी। फसल पश्चात् उत्पाद को नष्ट होने से रोकने के लिए किसानों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई से जोड़ेंगे। सब्सिडी और योजना मद में मिलने वाली समस्त सहायता राशियों को सीधे खाते में डालने का विचार है।'' ये सभी कदम, आय वृद्धि में सहायक कदम हैं; किंतु जब तक भारत के ग्रामीण कर्ज वापसी हेतु सक्षम न हो जाए, किसानों को कर्ज हेतु प्रेरित करती घोषणा को मैं आय वृद्धि का उचित आधार नहीं मानता। विश्लेषण कीजिए कि गत् 20 वर्षों में कर्ज चुका न पाने के कारण ही भारतीय किसानों ने बड़े पैमाने पर आत्महत्या की। जब तक भारतीय ग्रामीण डिजीटल व्यवहार के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक ई–नेशनल एग्रीकल्चर मार्किट की संख्या बढ़ाने की घोषणा व्यापारियों की आय बढ़ाने वाली ही साबित होगी। किसान को मिलने वाले दाम और खुदरा ग्राहक जिस दर पर सामान खरीदते हैं, आज दोनों में छह गुना तक का फर्क है। दिलचस्प है कि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के महंगा होने से हमारी सरकारें कभी नहीं डरती। हम भी उनको लेकर महंगाई की चर्चा नहीं करते; लेकिन अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों के महंगा होते ही हम सभी हल्ला मचा देते हैं। जबकि सच यही है कि कृषि उत्पादों का उचित मूल्य दिए बगैर किसानों की गरीबी मिटाना लगभग असंभव ही है;फिर भी भारत का केंद्रीय बजट (2017–18) हमारे गांव में पैदा होने वाले अथवा बनाए जाने वाले उत्पादों को अधिकतम संभव मूल्य दिलाने के बारे में कुछ नहीं कहता। इस पूरे बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कानून (मनरेगा) संबंधी घोषणाएं ही ऐसी हैं, जोकि गांव के गरीब की आय की बढ़ोत्तरी और बचत.. दोनों की बाबत कुछ आश्वस्त करती हैं।

अकेला बड़ा मनरेगा

हालांकि अर्थशास्त्रियों के मुताबिक, मनरेगा के लिए बजट आवंटन में 10,000 करोड़ की वृद्धि वास्तविक नहीं हैं। वर्ष 2016–17 के अनुमानित खर्च (38,500 करोड़) के पश्चात् हुए वास्तविक खर्च (47,499 करोड़) की तुलना में देखें तो 2017–18 का मनरेगा बजट (48,000 करोड़) मात्र 501 करोड़ की वृद्धि वाला ही है। इस तरह मनरेगा में कुल बजट वृद्धि एक प्रतिशत के लगभग ही है; जबकि 3,469 करोड़ रुपये का मनरेगा का बकाया भुगतान का बोझ भी इसी वित्तवर्ष पर पड़ने वाला है।

परिसंपत्ति सृजन पर ज़ोर सराहनीय

किस ग्राम पंचायत में किन–किन परिसम्पत्तियों का सृजन होना है; प्रत्येक ग्रामसभा को कम से कम इनका चिन्हीकरण तो कर ही लेना चाहिए। आखिरकार, मनरेगा का दूसरा मुख्य लक्ष्य ऐसी परिसम्पत्तियों का सृजन ही है, जो दीर्घकालिक रोज़गार और आय वृद्धि का ऐसा संसाधन बन सकें, ताकि एक दिन मनरेगा जैसे क़ानून की जरूरत ही न बचे। गौर करने की बात है कि भारतीय गरीब ग्रामीणों में भी सबसे गरीब वे परिवार हैं, जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। इनमें भी सबसे गरीब खेतिहर मजूदर हैं। मनरेगा का उपयोग बीहड़–ऊसर भूमि को सुधारने में भी किया जा रहा है। इस सुधरी हुई भूमि को आवंटित करने का अधिकार ग्रामसभा को देकर भूमिहीनों को भूमिधर बनाकर भी गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है। वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में इस बारे में केन्द्र सरकार का इरादा पेश किया है। उन्होंने कहा–''हम वर्तमान संसाधनों में प्रति वर्ष वृद्धि करते हुए संसाधनों का और अधिक प्रभावी उपयोग करेंगे। मनरेगा को नए और किसानों के लिए ज्यादा हितकारी तरीके से पेश करेंगे। मनरेगा को ऐसी परिसम्पत्तियां सृजित करनी चाहिए, जो खेत की उत्पादकता और किसान की आय बढ़ाए।''

केन्द्रीकरण से बचें

मनरेगा के तहत् किस गांव में क्या काम होगा; ये कार्य ग्रामसभा का अधिकार क्षेत्र है। गांव जिन भी परिसम्पत्तियों का सृजन करना चाहे, उनके आकार, प्रकार, डिजाईन से लेकर स्थान चयन तक को तय करने का खुला अधिकार ग्रामसभाओं को सौंप देना चाहिए। जिन गांवों में मिट्टी संबंधी कार्य पूरे हो चुके हों; वहां गांववासियों की रुचि और हुनर के अनुसार, ऐसी सहकारी कुटीर औद्योगिक परिसम्पत्तियों को सृजित करने की छूट दी जानी चाहिए, जिनसे साझा रोज़गार विकसित हो सके। ग्रामसभाओं को सक्षम बनाना जरूरी है ही। ये परिवर्तन, एक दिन हमारे गांववासियों को ऐसा बना देगा कि वे दूसरों को रोज़गार देने वाले बन जाएंगे। अलग से मिशन अंत्योदय की जरूरत ही नहीं बचेगी।

विसंगतियों से पार पाने की कोशिश

मनरेगा के तहत दिए गए कार्य, कार्य वितरण, मजूदरी और हो रहे कार्यों में कई विसंगतियां हैं। मनरेगा के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए 2016–17 की आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए वित्तमंत्री ने स्वयं माना कि जिन राज्यों में भारत के 50 प्रतिशत गरीब रहते हैं, वहां मनरेगा के तहत कुल खर्च का एक–तिहाई ही खर्च किया गया। भुगतान में चोरी और फर्जी जॉब कार्ड के मामले हैं ही। किसी राज्य में मजदूरी कम है, तो कहीं ज्यादा। 12 राज्यों में मनरेगा के तहत् मिलने वाली मजदूरी राज्य की न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। मनरेगा कार्यों को ऐसी विसंगतियों से पार पाना होगा।

इन विसंगतियों से पार पाने के लिए सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आठ फरवरी को जारी एक बयान में सरकार ने एस. महेन्द्रदेव समिति की सिफारिश लागू करने पर विचार करने की बात कही है। समिति की सिफारिश है कि मनरेगा के तहत् मिलने वाली मजदूरी, राज्य की न्यूनतम मजूदरी दर से कम नहीं होनी चाहिए। मनरेगा मजदूरी दर, अभी ग्राहक मूल्य सूचकांक (कृषि मजूदर) से तय होती है। मनरेगा मजदूरों को महंगाई से सुरक्षित रखने के लिए समिति ने उनकी मजदूरी दर को राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर अथवा ग्राहक मूल्य सूचकांक (कृषि मजदूर) में से जो भी ज्यादा हो, उसके आधार पर तय करने की सिफारिश की है। समिति ने मजदूरी दर को ग्राहक मूल्य सूचकांक (ग्रामीण मजदूर) से जोड़ने की बात भी कही है। विलम्ब व चोरी रोकने के लिए भुगतान को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से जोड़ा जा रहा है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए भुगतान का काम केरल में एक वर्ष पूर्व ही शुरू कर दिया गया था। इस वर्ष के अंत तक 10 और राज्यों में शुरू कर देने का लक्ष्य है। फर्जी जॉब कार्ड चिन्हित और रद्द करने का काम शुरू हो चुका है। 1.98 लाख जॉब कार्ड रद्द किए जाने की ताज़ा खबर असम सरकार की तरफ से आई।

सुधारों को गति

मनरेगा संबंधी सुधार कदमों को और गति देने का संकेत देते हुए श्री जेटली ने मनरेगा के तहत् सृजित परिसम्पतियों को 'जियो टैग' देने तथा उनके विवरण को पब्लिक डोमेन में डालने की बात कही। उन्होने उल्लेख किया कि गरीबी मुक्त प्रत्येक पंचायत में गरीबी रेखा से ऊपर लाने के प्रयासों की निगरानी हेतु संयुक्त सूचकांक विकसित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थानों में मानव संसाधन की कमी को देखते हुए 'परिणाम के लिए मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम' शुरू करेंगे। जवाबदेही, परिणाम और अभिसरण की बात आधारभूत वाक्य में है ही। भ्रष्टाचार पर लगाम और कार्यकुशलता में बढ़ोत्तरी की दृष्टि से ये सभी प्रयोग करके देखने चाहिए। अच्छा हो कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत से उन परिसम्पत्तियों की सूची मांगे, जिन्हें उसकी ग्रामसभा ने वित्तवर्ष विशेष के दौरान सृजित करने हेतु चिन्हित किया है। यदि पंचायतें अग्रिम तिमाही हेतु कार्यदिवस का मांगपत्र पहले ही तैयार कर सकें, तो इससे भी पारदर्शिता आएगी तथा कार्य सुचारू होगा। किंतु यदि हम चाहते हैं कि मनरेगा, गरीबी–मुक्ति का एक प्रबल औजार बने, तो सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि प्रत्येक ग्रामसभा पूरी सक्रियता, सजगता और विवेक के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए संकल्पित हो।

मिशन अंत्योदय

दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संशोधित प्रारूप ही मिशन अंत्योदय है। मूल रूप से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरुआत की। जून, 2011 में आजीविका – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का रूप दिया। नवंबर, 2015 में नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया।

मिशन अंत्योदय, गरीबों को उनकी आजीविका हेतु स्वयं–सहायता समूह उपक्रम के रूप में विकसित करने का मिशन है। मिशन के दस्तावेजों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करेगा कि पंचायत और स्वयंसहायता समूहों जैसे गरीब के उपक्रम के बीच इस तरह का संबंध विकसित हो, ताकि पंचायतीराज संस्थाएं मिशन की गतिविधियों में सक्रिय भागीदार तो हों, लेकिन स्वयंसहायता समूहों की स्वायत्तता खतरे में न पड़े। हमें, हमारी पंचायती राज संस्थाओं को इस सावधानी के लिए मजबूर करना ही होगा। इस सावधानी के न रखने का ही परिणाम है कि पिछले 70 वर्ष में तमाम पैसा झोंक देने के बावजूद हमारे गांवों की अभी भी एक बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। श्री जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा कि मिशन अंत्योदय, प्रत्येक गरीब परिवार की टिकाऊ आजीविका के लिए सूक्ष्म कार्ययोजना पर ध्यान केन्द्रित करेगा। 36 प्रतिशत ग्रामीण अभी भी अनपढ़ हैं। साक्षर ग्रामीणों में 64 प्रतिशत पांचवीं से आगे नहीं पढ़े; 5.4 प्रतिशत हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़े। मात्र 3.4 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जिनका कोई सदस्य स्नातक है। क्या यह सूक्ष्म कार्ययोजना गांवों की शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता विकास पर भी गौर करेगी? काश! कि ऐसा हो।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ग्रामीण विकास एवं लोकतांत्रिक मसलों पर नियमित लेखक हैं।)

ई–मेल : amethiarun@gmail.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छता पखवाड़ा लेखा-जोखा

सरकारी कार्यालयों में साफ–सफाई और स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपनी सभी मीडिया इकाइयों के साथ 16–31 जनवरी, 2017 तक स्वच्छता पखवाड़ा 2017 का आयोजन किया। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और उठाए गए कदमों की प्रेस को जानकारी देते हुए शहरी विकास, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री एम. वैंकेया नायडू ने बताया कि सरकार पूरी तरह से इस कहावत में यकीन रखती है कि 'बदलाव घर से शुरू होता है।' उन्होंने ये भी कहा कि स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, वे जगह साफ हो और हम उन्हें स्वच्छ रखे और राष्ट्र में इस स्वच्छता आंदोलन को शुरू करने के लिए सत्ता के केंद्र यानी सरकारी मंत्रालयों और कार्यालयों से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती।

श्री नायडू ने कहा कि स्वच्छता, सुव्यवस्था और सफाई बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनके अव्यवस्थित होने पर शांति पाना बेहद मुश्किल है। श्री नायडू ने ये भी कहा कि रिकार्डों और नियमावलियों का डिजिटाइजेशन स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रकाशन विभाग द्वारा वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत/इंडिया 2017 का प्रिंट के साथ–साथ ई–संस्करण जारी किए जाने की सराहना की।

श्री नायडू ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न इकाईयों और विभागों ने इस मिशन में जन–भागीदारी के लिए कई नए तरीके प्रयुक्त किए।

- मंत्रालय और मीडिया इकाइयों द्वारा व्यापक सफाई अभियान चलाया गया जिसका बकायदा नियमित रूप से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मुआयना किया गया। सितंबर से नवंबर 2016 के दौरान चलाए गए विशेष अभियान से मंत्रालय 60,624 वर्ग फुट जगह को पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ।
- पखवाड़े के दौरान श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभाग के लिए मंत्रालय ने 'स्वच्छता के लिए श्रेष्ठ विभाग' पुरस्कार भी रखा। स्वच्छता सहित ई–ऑफिस रिकॉर्ड रखने, समीक्षा करने और लागू करने में हुई प्रगति को पुरस्कार हेतु पैमाना बनाया गया।
- मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शौचालयों और कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया।
- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (जोकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है) द्वारा एक स्वच्छ भारत लघु फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। इसके लिए एक से तीन मिनट की लघु फिल्में आमंत्रित की गई। देशभर से 20 से अधिक भाषाओं में कुल 4346 निविदाएं प्राप्त हुई। पुरस्कार विजेताओं को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में 2 अक्तूबर, 2016 को आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया।
- इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान में तेजी लाने के लिए अगस्त 2016 से जुलाई 2017 की अवधि के लिए एक शीर्षक आधारित स्वच्छता कैलेंडर तैयार किया।
- मंत्रालय ने स्वच्छता की अवधारणा का विस्तार करते हुए, ऑफिस में साफ–सफाई के साथ–साथ पुरानी फाइलों, बेकार फर्नीचर आदि को भी साफ करने का काम शुरू किया है। सभी डिवीजनों को विज्ञप्ति भेजी गई थी कि वे लंबित फाइलों के ढ़ेर का शीघ्र निपटान करें जैसे– पुराने मुकदमें, सर्विस रिकॉर्ड, सरकारी संवाद आदि। साथ ही पुरानी बेकार पड़ी चीजों की नीलामी भी की जाए।
- सभी कार्यदिवसों में डीडी न्यूज द्वारा 'स्वच्छता समाचार' नाम का 5 मिनट का एक विशेष बुलेटिन शुरू किया गया है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में फीचर स्टोरी और स्वच्छता के लिए लोगों द्वारा की जा रही पहलों पर समाचार दिए जाते हैं।
- ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा स्वच्छता के विभिन्न विषयों पर नारे और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित की गई ताकि स्वच्छता अभियान में लोगों की भागीदारी और बढ़ायी जा सके।
- डीडी न्यूज और दूसरी मीडिया यूनिटों द्वारा वाद–विवाद व निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
- लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुणे स्थित भारतीय फिल्म व टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) और गीत एवं नाटक प्रभाग (एसडीडी) द्वारा नुक्कड़ नाटक किए गए।
- भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए रेडियो के माध्यम का खूब प्रयोग किया गया (सामुदायिक रेडियो सहित)।
- स्वच्छ भारत पर कई रेडियो विचार गोष्ठियां हुई और कचरा–निपटान पर कई लाइव कार्यक्रम प्रसारित किए गए।
- भारतीय जनसंचार संस्थान ने बेकार पड़े बिजली के और इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की ई–नीलामी की। इससे 14,21,484 रुपये मिले।
- प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाओं और रोजगार समाचार में स्वच्छता के विभिन्न आयामों से संबंधित विशेष लेख छापे गए। इनमें स्वच्छता से संबंधित सफलता की कहानियां भी प्रकाशित की गई।
- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के हैदराबाद कार्यालय में ऑफिस रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण का कार्य शुरू हुआ है ताकि इस कार्यालय को कागजमुक्त बनाया जा सके।
- मंत्रालय और सभी मीडिया यूनिटों द्वारा स्वच्छता शपथ दिलायी गई। साथ ही स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए पोस्टर और बैनर भी लगाए गए। ⑧

सफलता की कहानी-सरपंचों की जुबानी

–गोपेन्द्र नाथ भट्ट

राजस्थान के जयपुर जिले को 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने के लिए अपनाए गए तरीकों को विश्वबैंक की टीम ने बहुत सराहा है। ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने की दिशा में स्कूली बच्चों का बहुत साथ मिला, कई बच्चों ने अपने माता–पिता को कह दिया कि वे स्कूल तब जाएंगे जब उनके घर में शौचालय बन जाएगा। जयपुर जिले में पिछले छह माह में सरपंचों ने अच्छा काम किया है, जिससे 532 ग्राम पंचायतों में से 154 ग्राम पंचायतें ओडीएफ हो चुकी हैं।

शौचालय बनने पर जाएंगे स्कूल

कार्यक्रम में शाहपुरा में छारसा ग्राम पंचायत के सरपंच श्री सीताराम ने बताया कि उन्हें स्कूली बच्चों का बहुत साथ मिला, कई बच्चों ने अपने माता–पिता को कह दिया कि वे स्कूल तब जाएंगे जब उनके घर में शौचालय बन जाएगा.....। फागी में मोहबतपुरा के सरंपच श्रीहनुमानमल ने कहा कि विकास अधिकारी ने उन्हें पंचायत प्रसार अधिकारी उपलब्ध कराए और टीम के रूप में कार्य करते हुए सफलता प्राप्त की। नायला के सरपंच श्री मोहन मीणा ने बताया कि जब ओडीएफ के अभियान को आगे बढ़ाया तो कई पढ़े–लिखे लोगों ने भी अजीब तर्क दिए लेकिन अंततः सबको समझाते हुए कामयाबी मिली।

'ई गंगा में तो नहा लिया क्यां न क्यां'

जालसू पंचायत समिति की भानपुरकलां ग्राम पंचायत के वयोवृद्ध सरपंच श्री रामसहाय ने अपने अनुभव बताते हुए कहा कि ओडीएफ के लिए प्रयास करने के दौरान कई दिक्कतें आई मगर उन्हें पार करते हुए उनकी ग्राम पंचायत ने मंजिल को पा लिया। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि 'ई गंगा में तो नहा लिया क्यां न क्यां, बूढा ठेरा ने भी ताण दिया' (सबके सहयोग से मंजिल पाई, बड़े–बुजुर्गों को भी प्रयास कर समझाया गया)।

बच्चों–अध्यापकों की भूमिका

जमवारामगढ़ की सरपंच सुमित्रा जोशी ने बताया कि उन्हें बस–स्टैंड पर गंदगी देखकर सदैव पीड़ा होती थी। जब इस अभियान के तहत उन्हें अवसर मिला तो ग्राम पंचायत को ओडीएफ कराने के क्रम में उन्होंने बस स्टैण्ड पर सुलभ काम्पलैक्स का निर्माण कराया। ग्रामवासियों के सहयोग से आज बस–स्टैण्ड की सूरत बदली नजर आती है। साम्भर की काजीपुरा पंचायत के सरपंच श्री नवरत्न कुमावत ने बताया कि उन्हें 'ओडीएफ' की मुहिम में विशेषकर बड़े विद्यालयों के बच्चों और अध्यापकों का सहयोग मिला। बस्सी में तुंगा पंचायत के सरपंच श्री उमाकांत शर्मा ने बताया कि वे ढाणी–ढाणी गए और मॉर्निंग फोलोअप के तहत ढोल बजाकर लोगों को खुले में शौच न जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जिले में वे इस मुहिम को आगे ले जाने में बढ़–चढ़कर सहयोग करने को तैयार हैं।

किचन की जगह कम कर बनाया शौचालय

झोंटवाड़ा पंचायत समिति में माचवा के सरपंच श्री रामफूल बावरियां ने बताया कि उन्होंने अपनी विकास अधिकारी के सहयोग से महिला वार्डपंच, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीम बनाकर लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि उनकी पंचायत में एक ऐसा घर था, जहां शौचालय बनाने के लिए जमीन नहीं थी, फिर भी उसके मुखिया ने स्वच्छता की मुहिम से प्रेरित होकर किचन की जगह को कम करते हुए वहां शौचालय का निर्माण कराया।

जगदीशजी कृपा से हुआ नाम

गोनेर की सरपंच ने कहा कि उनकी ग्राम पंचायत का जब भी किसी काम में नाम होता है तो हम गांववासी उसे जगदीशजी महाराज की कृपा मानते हैं। ओडीएफ का काम भी उनकी कृपा से ही हुआ है और अब ग्राम पंचायत 'कैशलेस' होने की ओर अग्रसर हैं।

महिलाओं के सम्मान से जोड़ा

गोविन्दगढ़ पंचायत समिति में जयसिंहपुरा के सरपंच तरूण कुमार यादव ने बताया कि जब सरपंच बने तो ओडीएफ ग्राम पंचायत बनाने में बड़ी दिक्कतें थी। आम रास्ते पर शौच के लिए महिलाओं की कतार लगती थी। रात में वाहनों की लाईटे ऐसी कतारों पर पड़ती थी। ऐसे में खुले में शौच को हमने महिलाओं के आत्मसम्मान से जोड़ कर लोगों को प्रेरित किया और धीरे–धीरे स्थितियां बदल गई।

धनाढ्यों ने दिया सहयोग

कलवाड़ा (सांगानेर) के सरपंच डॉ. हरिनारायण स्वामी ने बताया कि उनकी पंचायत में धनाढ्यों को शौचालय विहीन कमजोर तबके के लोगों के घरों में टायलेट बनवाने में सहयोग के लिए प्रेरित किया गया। दूदू में आकोदा के सरपंच श्री देवकरण गुर्जर ने कहा कि वे स्वयं नशे व गुटखे का सेवन नहीं करते। लोगों को भी पाउच वगैरह इधर–उधर नहीं बिखेरने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि उन्हें कहीं पाउच आदि मिलते हैं तो वे स्वयं एकत्रित कर उन्हें जलाते हैं।

जयपुर जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कराने की दिशा में सराहनीय काम करने वाले करीब डेढ़ सौ सरपंचों को हाल ही में सम्मानित किया जिस दौरान उन्होंने अपने ये अनुभव साझा किए। एक अनूठे नवाचार के तहत यह कार्यक्रम जयपुर शहर की बुलंदी पर स्थित ऐतिहासिक 'नाहरगढ़ किले' पर आयोजित किया गया।

(लेखक राजस्थान सूचना केंद्र, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में अतिरिक्त निदेशक हैं।) (पसूका)

अपनी प्रति
अभी बुक कराएं

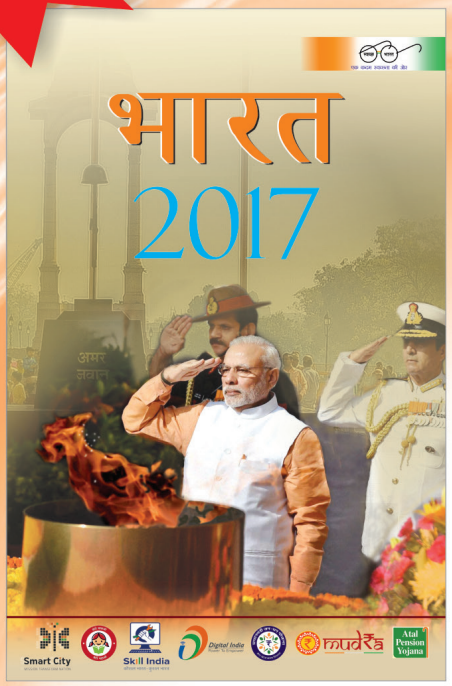

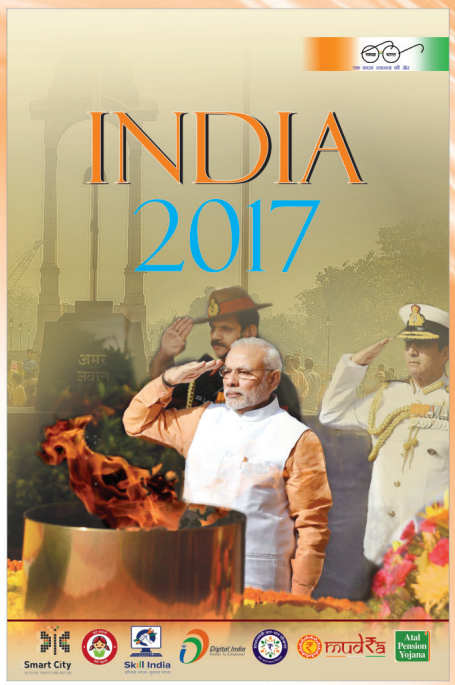

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

शोधकर्ताओं, नीति निर्धारकों, विद्वानों, मीडियाकर्मियों और रोजगार की तलाश में जुटे, खासतौर से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जानकारियों का अनमोल खज़ाना

ई बुक के रूप में उपलब्ध
ऑनलाइन बिक्री play.google.com, amazon.in, kobo.com पर

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in
ऑडर के लिए संपर्क करें-
फोन : 011-24367260, 24365609, ई मेल : businesswng@gmail.com

@ DPD_India
www.facebook.com/publicationsdivision
www.facebook.com/yojanaJournal

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 63 अंक : 5 पृष्ठ : 52 मार्च 2017 मूल्य : ₹ 22

बजट 2017-18

ग्रामीण विकास

ग्रामीण विकास और बजट 2017-18

- वर्ष 2017–18 का एजेंडा हैः टेक इंडिया (टीईसी) यानी 'ट्रांसफार्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया'।
- ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल आवंटन 187223 करोड़ रुपये।
- वर्ष 2017–18 के लिए कृषि संबंधी ऋण 10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर नियत।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किया गया। इसके लिए 9 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान।
- नाबार्ड में पहले से ही स्थापित दीर्घावधिक सिंचाई निधि में 100 प्रतिशत तक अभिवर्धन; 5000 करोड़ रुपये की आरंभिक निधि के साथ प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्त करने के लिए नाबार्ड में समर्पित सूक्ष्म सिंचाई निधि की भी स्थापना।
- राष्ट्रीय कृषि बाजार कर विस्तार 250 बाजारों से 585 एपीएमसी तक; प्रत्येक राष्ट्रीय कृषि बाजार को 75 लाख रुपये तक सहायता।
- अनुबंध खेती के संबंध में एक मॉडल कानून तैयार किया जाएगा और इसे अपनाने हेतु राज्यों को परिचालित किया जाएगा।
- 2000 करोड़ रुपये की राशि के साथ नाबार्ड में डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि की स्थापना।
- वर्ष 2019 गांधीजी की 150वीं जयंती तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाना तथा 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्ति दिलाना।
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 48 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है।
- 2017–18 में मनरेगा के लिए आवंटन अब तक का सर्वाधिक 48000 करोड़ रुपये होगा।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की गति का लक्ष्य 2017–18 में 133 किलोमीटर प्रतिदिन तय किया गया है।
- मनरेगा के अंतर्गत कृषि से जुड़े 5 लाख के लक्ष्य की तुलना में 10 लाख तालाबों का कार्य मार्च 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2017–18 में खेती से जुड़े 5 लाख और तालाबों का कार्य शुरू किया जाएगा।
- 1 मई 2018 तक 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए आवंटन वर्ष 2017–18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है जोकि वर्ष 2016–17 के संशोधित अनुमान से 8000 करोड़ रुपये अधिक है। बेघर और कच्चे घरों में रह रहे लोगों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान पूरे करने का लक्ष्य।
- ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 42 प्रतिशत (अक्तूबर 2014 तक) से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई। खुले में शौच जाने से मुक्त गांवों को अब पाइपयुक्त जलापूर्ति के लिए प्राथमिकता।
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के उपमिशन के हिस्से के रूप में अगले चार वर्षों में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित 28 हजार से अधिक निवासों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने का प्रस्ताव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में नए कौशल विकसित करने के लिए 2022 तक 5 लाख लोगों को राजगीरी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थानों में मानव संसाधन विकास हेतु मानव संसाधन सुधार कार्यक्रम 2017–18 के दौरान शुरू किया जाएगा।
- देशभर में 600 से ज्यादा जिलों में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार; 100 भारत अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र देश भर में स्थापित किए जाएंगे।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 जिलों में स्थानीय नवाचार को प्रोत्साहन के जरिए सार्वभौमिक पहुंच, लिंग समानता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु नवाचार निधि शुरू की जाएगी।
- 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रो में 500 करोड़ रुपये के आवंटन से महिला शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत उस प्रत्येक गर्भवती महिला के बैंक खाते में सीधे 6000 रुपये अंतरित कर दिए जाएंगे जो किसी चिकित्सा संस्था में बच्चे को जन्म देगी और अपने बच्चों का टीकाकरण कराएगी।
- सस्ते आवासों को अवसंरचना का दर्जा दिया जाएगा।
- प्राकृतिक आपदाओं से गरीब परिवारों के घरों एवं घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई हेतु प्रभावी सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री आपदा बीमा योजना शुरू की जाएगी जिसमें एक लाख के कवर हेतु मात्र 100 रुपये का वार्षिक प्रीमियम रखा जाएगा।
- भारत नेट के अंतर्गत 2017–18 के अंत तक ऑप्टिकल फाइबर पर हाईस्पीड ब्राडबैंड कनेक्टिविटी डेढ़ लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध होगी।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीमेडिसन, शिक्षा और कौशल प्रदान करने के लिए 'डिजी गांव' पहल शुरू की जाएगी।
- सरकार ने 2017 तक कालाज़ार और फिलारियासिस, 2018 तक कोढ़, 2020 तक खसरा और 2025 तक तपेदिक समाप्त करने के लक्ष्य की कार्ययोजना भी तैयार की है। ❑

वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत/इंडिया 2017 का विमोचन

विश्वसनीय, भरोसेमंद और प्रामाणिक'' जानकारी उपलब्ध कराना इस सरकार की पहचान है। इसी दृष्टिकोण के तहत वार्षिक पुस्तक भारत 2017 में भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी के साथ–साथ ज्ञान का भंडार है। इसमें सटीकता के चश्मे से देश का सर्वेक्षण किया गया है। नई पीढ़ी तक पहुंच बनाने के लिए सभी भारतीय भाषाओं में पुस्तकों, पत्रिकाओं का प्रकाशन बहुत जरूरी है। भारतीय पेनोरमा और विरासत के विभिन्न पहलुओं पर पुस्तकें प्रकाशित करके लोगों में पढ़ने की आदत डालने में प्रकाशन विभाग ने एक आदर्श मंच उपलब्ध कराया है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री वेंकैया नायडू ने हाल ही में वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 2017 और ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी जारी करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही।

वार्षिक भारत ग्रंथ के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को जारी करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इसमें नई तकनीकी विशेषताएं हैं और श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। ई–बुक में खोज संबंधी सामग्री, संदर्भ सामग्री जैसी विशेषताएं हैं जिसके जरिए पाठक को पढ़ने में आसानी हो तथा प्रकाशित पुस्तकों से इसकी कीमत 25 प्रतिशत कम है। उन्होंने कहा कि सरकार के डिजिटल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रकाशन विभाग ने 750 से अधिक पुस्तकों को डिजिटल स्वरूप में बदल दिया है और यह मार्च, 2017 के अंत तक एक हजार पुस्तकों को डिजिटल रूप देने के 12वीं योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने प्रकाशन विभाग की ओर से तैयार ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया जिसमें 750 से अधिक पुस्तकों का भंडार है जिसमें विभिन्न विषय की पुस्तकें डीपीडी बुक गैलरी पर निःशुल्क उपलब्ध हैं।

श्री नायडू ने डिजिटल तरीके से जीवन जीने के महत्व और इसके लाभों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सूचना और पैसों के डिजिटल लेन–देन से देश में काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकेगी। द्विभाषिक संदर्भ पुस्तकें भारत 2017 और इंडिया 2017 वर्षों से सरकार के मंत्रालयों और विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में प्रामाणिक और समग्र जानकारी का स्रोत रही हैं। नई मीडिया शाखा द्वारा संकलित सामग्री के आधार पर प्रकाशन विभाग की ओर से प्रकाशित प्रतिष्ठित वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 2017 के प्रकाशन का ये 61वां वर्ष है। इसमें 33 खण्ड हैं, जिनमें ग्रामीण से लेकर शहरी तक, उद्योग से लेकर बुनियादी ढांचागत विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर मानव संसाधन विकास, कला और संस्कृति, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, रक्षा, शिक्षा और जनसंचार तक देश के विकास के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी शामिल है। इस पुस्तक में सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों, तथा महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साल भर के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी है।

यह पुस्तक प्रकाशन विभाग के 8 बिक्री केंद्रों और 3 क्षेत्रीय कार्यालयों तथा देशभर में उसके अधिकृत एजेंटों के पास 350 रुपये में उपलब्ध है। बिक्री केंद्रों और अधिकृत एजेंटों की सूची प्रकाशन विभाग की वेबसाइट www.publicationsdiision.nic.in पर उपलब्ध है। businesswng@gmail.com पर ई–मेल भेजकर भी यह पुस्तक मंगवाई जा सकती है। भारतकोष पोर्टल पर यह पुस्तक उपलब्ध है जिसे प्रकाशन विभाग की वेबसाइट के जरिए पढ़ा जा सकता है। प्रतिष्ठित वार्षिक संदर्भ ग्रंथ भारत 2017 आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ईपीयूबी फॉर्मेट में ई–पुस्तक के रूप में भी उपलब्ध है। इसे टैबलेट, कम्प्यूटर, ई–रीडर और स्मार्टफोन के जरिए देखा जा सकता है। यह तकनीकी रूप से श्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और पूरी तरह से प्रकाशित पुस्तक की तरह ही है।

ई–भारत में बेहतर संवाद के लिए पाठक अनुकूल कई विशेषताएं हैं जैसे हाईपरलिंक, हाईलाइट करना, बुकमार्क (पृष्ठ स्मृति). साथ ही सोशल मीडिया पर भी इन्हें आसानी से साझा किया जा सकता है। इस पुस्तक में खोज संबंधी सामग्री, संदर्भ सामग्री, आसानी से पढ़ने की सहूलियत, आश्वस्त बैकअप जैसी विशेषताएं भी हैं। परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं या शोधार्थी जिनके पास प्रकाशित पुस्तक उनके पास तक पहुंचने तक का समय नहीं है, ई–पुस्तक उनके लिए शानदार विकल्प है।

ई–पुस्तकें उन दूरदराज इलाकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जहां प्रकाशित पुस्तकें पहुंचाना और उनकी बिक्री जटिल तथा लम्बी प्रक्रिया है। ई–पुस्तक एमेजॉन डॉट इन, गूगल प्ले स्टोर और कोबो डॉट कॉम पर 263 रुपये में उपलब्ध है। इन्हें ई–खुदरा विक्रताओं की वेबसाइट पर जाकर भारत 2017 डालकर आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा हाथ में लेकर पुस्तक पढ़ने का विकल्प तो है ही। ❑

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17
1 मार्च 2017 को प्रकाशित एवं 5-6 मार्च 2017 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS

दृष्टि The Vision

Think DRISHTI

प्रारंभिक परीक्षा-2017 के लिये

दृष्टि पब्लिकेशन्स

का एक और उपहार

प्रमुख आकर्षण

- परीक्षा में करेंट अफेयर्स की बढ़ती भूमिका को देखते हुए पिछले साल भर की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का संकलन।
- सभी घटनाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण जिससे इन्हें तैयार करना बिल्कुल आसान।
- विश्वसनीय स्रोतों एवं वेबसाइटों से संपूर्ण सामग्री का सत्यापन।
- अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों का संकलन।

आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर शीघ्र उपलब्ध

For business/advertising enquiry, Call - 8130392355

Web : www.drishtiias.com, Email : info@drishtipublications.com

प्रकाशक और मुद्रक: डॉ. साधना राउत, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, संपादक: ललिता खुराना